ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

मार्च 2020 विकास को समर्पित मासिक ₹ 30

केंद्रीय बजट 2020-21

प्रमुख आलेख

केन्द्रीय बजट 2020-21 – बेहतरीन संतुलन
डॉ राजीव कुमार

शहरों की कायापलट
दुर्गा शंकर मिश्र

भारत में परिवहन की आधारभूत संरचना
जी रघुराम

फोकस

नए कर प्रस्ताव – आम आदमी के लिए फायदे का सौदा
डॉ अजय भूषण पांडेय

विशेष आलेख

जल और स्वच्छता का अर्थशास्त्र
परमेश्वरन अय्यर

Scanned with CamScanner

'जीवन जीने में आसानी'- केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य विषयवस्तु

"हमारे प्रधानमंत्री ने जीवन जीने में आसानी का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे सभी नागरिकों के कल्याण के लिए हासिल किया जाना चाहिए।" केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार देश को आगे ले जाने के लिए कार्य करेगी, ताकि हम स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण के अगले स्तर पर पहुंच सकें।

सभी नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी के लक्ष्य के लिए इस बजट में तीन प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है-

- **आकांक्षी भारत**- इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्ग जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करना चाहते है। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बेहतर रोज़गार तक पहुंच की सुविधा होनी चाहिए। इसके घटक हैं- कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास; आरोग्य, जल एवं स्वच्छता तथा शिक्षा एवं कौशल।
- सभी के लिए **आर्थिक विकास**- यह प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को दर्शाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक सुधार किए जाएंगे और निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी, ताकि उच्च उत्पादकता और बेहतर कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सकेगी। इसके तीन घटक हैं- उद्योग, वाणिज्य, एवं निवेश; अवसंरचना और नई अर्थव्यवस्था।
- अंत्योदय पर आधारित एक **जिम्मेदार समाज**- समाज जो मानवता तथा करुणा की भावना से ओत-प्रोत हो। इसके तीन घटक हैं- महिला एवं बाल, सामाजिक कल्याण; संस्कृति एवं पर्यटन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।

इन तीन विषयों को भ्रष्टाचार मुक्त नीति आधारित अच्छे प्रशासन एवं मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह बजट दो प्रमुख तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है। पहला मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एआई, एनालिटिक्स, बायो-इनफोरमेटिक्स जैसी तकनीकों के प्रसार से संबंधित है, जबकि दूसरा उत्पादन आयु सीमा वाली आबादी (15-65 वर्ष) से जुड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप डिजिटल क्रांति ने भारत को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका सौंपी है। सरकार का लक्ष्य है-

- डिजिटल प्रशासन के माध्यम से सेवाओं को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना
- राष्ट्रीय अवसंरचना विकास शृंखला के माध्यम से जीवन के भौतिक गुणवत्ता को बेहतर बनाना
- आपदारोधी उपायों के जरिए जोखिम को कम करना
- पेंशन और बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देना।

वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2020-21 कृषि, अवसंरचना, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संशोधित अनुमान 2019-20 से परिव्यय में 3,43,678 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3.8 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

प्रधानमंत्री के ट्वीट

#JanJanKaBudget में कई सुधार शामिल हैं। यह अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार करता है। मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता है कि बजट में किसान आय को दोगुना करने पर व्यापक ध्यान दिया गया है। यह करोड़ों मेहनती किसानों की मदद करेगा।

इस नए दशक का पहला बजट #JanJanKaBudget है। यह विकास के लिए एक निश्चित कार्य योजना के साथ भविष्य की दृष्टि को जोड़ती है। बजट आय, निवेश, मांग और खपत को बढ़ावा देगा। यह हमारी वित्तीय प्रणालियों और ऋण प्रवाह को मजबूत करेगा।

#JanJanKaBudget टैक्स के बोझ को कम करने का प्रयास करता है और आम आदमी के हाथों में अधिक पैसा डालता है। 'विवाद से विश्वास' और फेसलेस अपीयरेंस जैसे उपायों से मुकदमेबाजी कम होगी और सिस्टम पर ज्यादा भरोसा होगा।

(1 फरवरी 2020)

Scanned with CamScanner

विशेषांक
योजना
वर्ष : 64
अंक : 3
मार्च 2020
फाल्गुन-चैत्र, शक संवत् 1941
वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

प्रधान संपादक : राजेंद्र चौधरी
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24369422

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : वी के मीणा
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए helpdesk1.dpd@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

प्रमुख आलेख
केन्द्रीय बजट 2020-21 – बेहतरीन संतुलन
डॉ राजीव कुमार 9

फोकस
नए कर प्रस्ताव : आम आदमी के लिए फायदे का सौदा
डॉ अजय भूषण पांडेय 13

शहरों की कायापलट
दुर्गा शंकर मिश्र 19

भारत में परिवहन की आधारभूत संरचना
जी रघुराम 25

उद्योग परिदृश्य
डॉ रंजीत मेहता 30

आयकरदाताओं के लिए विकल्प की पहल
हरवीर सिंह, सुनील कुमार सिंह 35

राजकोषीय निरंतरता की व्यवस्था
डॉ अमिय कुमार महापात्र 39

जमा पर ज्यादा सुरक्षा, सहकारी बैंक होंगे मजबूत
शिशिर सिन्हा 45

आर्थिक सर्वेक्षण – एक नज़र 48

विशेष आलेख
जल और स्वच्छता का अर्थशास्त्र
परमेश्वरन अय्यर 51

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
डॉ इंदु भूषण 55

शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार
शैलेंद्र शर्मा, शशिरंजन झा 60

कौशल विकास, रोज़गार और मानव संसाधन विकास
दिलीप चिनॉय 64

किसानों की समृद्धि के लिए कार्य योजना
डॉ जगदीप सक्सेना 68

पर्यावरण एवं वन
डॉ एस सी लाहिड़ी 72

महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर
डॉ शाहीन रज़ी, नौशीन रज़ी 76

नियमित स्तंभ
विकास पथ
'जीवन जीने में आसानी'- केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य विषयवस्तु कवर-2
क्या आप जानते हैं?
कोरोना वायरस 'कोविड-19' 71
पुस्तक चर्चा कवर-3

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 28

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

@DPD_India

Scanned with CamScanner

आपकी राय

yojanahindi@gmail.com

पानी है अनमोल

पर्यावरण पर आधारित 'योजना' का जनवरी 2020 अंक विभिन्न आयामों को समेटते हुए जानकारी से भरपूर था। हमारी सरकार जल संरक्षण पर भी कार्य कर रही है लेकिन जन भागीदारी के बिना यह संभव नहीं है। धरती पर निवास करने वाली सभी प्रजातियों के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति की देन है। इस देन को हमें संभाल कर रखना होगा और इसके संरक्षण के लिए सदैव एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह प्रयास करते रहना होगा। मानवीय भूलों का ही परिणाम है की आज धरती पर जल संकट खड़ा हो गया है। लगातार बढ़ता प्रदूषण और जल के संचय का अभाव इसके मुख्य कारण हैं। प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ कर लिया और इसके गंभीर परिणाम हमें अब धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं।

हमारी धरती के जल स्रोत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है- बढ़ता हुआ जल प्रदूषण। नदियों में बेरोक-टोक प्लास्टिक, कूड़ा-कचड़ा डालना, कारखानों और फैक्टरियों का गंदा पानी नदियों में डालने की वजह से नदी के पानी को भी अशुद्ध कर दिया है। जल को प्रदूषित करने के कारण नदियां सूख रही हैं, पानी पीने लायक भी नहीं रहा।

अगर इसी प्रकार हम नदियों, तालाबों आदि को प्रदूषित करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा।

पृथ्वी पर जल एक असीम प्राकृतिक संसाधन है जो पुन: चक्रण द्वारा बनता है लेकिन ताजा और पीने योग्य पानी हमारी प्रमुख आवश्यकता है जिसे हमारे सुरक्षित स्वस्थ जीवन के लिए बचाया जाना चाहिए। पानी को बचाने के प्रयास के बिना, एक दिन पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। पानी की असली कीमत तो वही आदमी बता सकता है जो रेगिस्तान की तपती धूप से निकल कर आया हो। इसलिए जल संरक्षण को सभी व्यक्तियों को समझना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा।

– अनु मिश्रा
बिठुना, सिवान, बिहार

पर्यावरण के संरक्षण के लिए कर्तव्यों का पालन जरूरी

'योजना' का पर्यावरण पर केंद्रित जनवरी 2020 का अंक पढ़ा। इस अंक में विद्वान लेखकों ने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारी दी है। भारत सरकार ने हमेशा से ही पर्यावरण के मुद्दों पर नेतृत्व और प्रतिबद्धता जताई है। पेरिस समझौते के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ई-वाहनों और उत्सर्जन मानदंडों को लागू करना, आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत ने उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। भारतीय संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता दर्शाई गई है। जनसाधारण में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 48क तथा कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51क(छ) में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48क में कहा गया है कि राज्य, पर्यावरण की संरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51क(छ) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया हैं और सरकार द्वारा इसके लिए अनेक कार्यो को किया जा रहा है। नागरिकों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पत्र का अंत दो पंक्तियों से करना चाहूंगा- पर्यावरण की करे सुरक्षा, भविष्य बनाए अच्छा।

– अमित कुमार 'विश्वास'
रामपुर नौसहन, हाजीपुर,
वैशाली, बिहार

आपदा प्रबंधन में सामुदायिक रेडियो का योगदान

योजना का जनवरी 2020 अंक काफी सराहनीय है। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक रेडियो की भूमिका, प्लास्टिक अपशिष्टों का प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किये जा रहे सरकारी प्रयासों की विस्तृत चर्चा की गई है। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मैड्रिड में आयोजित कॉप-25 वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की संपूर्ण कवरेज इस अंक में दी गई। प्रो. एम एस स्वामीनाथन से बातचीत में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के संसाधनों अन्य वैकल्पिक पर विशेष बल दिया गया। हरित क्रांति और कृषि में तकनीक के प्रयोग पर फोकस किया गया।

– प्रेमचंद ओरौन
ईमेल: poraon94@gmail.com

खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब

योजना के फरवरी 2020 अंक में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को आकर्षित करने के लिए जो नारा दिया वह वाकई बहुत प्रेरक है- 'पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब।' यह बिल्कुल ही सत्य है। खेलने से बच्चे

Scanned with CamScanner

न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। और खेल में होने वाली हार जीत से उनकी सहनशक्ति मजबूत होती है।

– आशुतोष तिवारी
प्रतापपुर, छतौरा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

खेलों के लिए स्थान भी जरूरी

योजना का 'शिक्षा में नवाचार' पर आधारित जनवरी 2020 अंक पढ़ा। सभी आलेख एवं सामग्री एक से बढ़ कर एक रही। खेल और शिक्षा तथा योग पर आधारित आलेख इस अंक में शामिल होने से शिक्षा के साथ-साथ खेल व योग का महत्व को ही दर्शाता है। किन्तु शहरीकरण के कारण आजकल मोहल्लों और शहरों में बच्चों के खेल के लिए खुले मैदान सिमटते जा रहे हैं। मैदानों की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से बच्चों द्वारा मोबाइल फोन तथा कंप्यूटर से जुड़ते हैं और उन्हीं में तरह-तरह के खेल जैसे पबजी खेलने की आदत उन्हें पड़ती जा रही है। इस पत्र के माध्यम से मेरा केंद्र और सभी राज्य संरकारों से आग्रह है कि वह शहर विकसित करते हुए खेलों के मैदान व पार्को के लिए अधिक से अधिक ज़मीन रखने का प्रावधान रखें।

–शरद कुमार
उज्जैन, मध्य प्रदेश

'योजना' गागर में सागर

मैं 'योजना' का नियमित पाठक हूं। फरवरी महीने की पत्रिका के माध्यम से मुझे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार के साथ नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बारे में जानकारी मिली जो मेरे लिए अत्यधिक उपयोगी रही है। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं जिसमें यह पत्रिका गागर में सागर भरने का कार्य करती है। योजना के माध्यम से समाज में हो रहे विकास कार्यो की विस्तार से जानकारी मिलती है।

– अभिषेक शर्मा
ईमेल: asns6060@gmail.com

काफी प्रेरक था इसरो प्रमुख डॉ के सिवन का साक्षात्कार

"परीक्षा महत्वपूर्ण है लेकिन वह पूरा जीवन नहीं" - यह प्रधानमंत्री जी लगातार कई वर्षो से कहते आ रहे हैं कि पूरा जीवन परीक्षा है, सिर्फ अंको की परीक्षा को 'परीक्षा' नहीं मानना चाहिए। शिक्षा में नवाचार टॉपिक पर जो विषयवस्तु दी गई उसमें बहुत सारी जानकारी हमें मिली, विशेष तौर पर 'डॉ के सिवन' जो कि इसरो के प्रमुख हैं, उनका साक्षात्कार बहुत ही अच्छा और प्रेरक लगा।

योजना टीम द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इगनाइटेड माइंड्स से ली गई सामग्री 'सपना, सपना, सपना' अच्छी थी। सभी को उस पर विचार करना चाहिए। कृत्रिम मेधा भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और यह किसी भी चुनौती से कम नहीं है। विशेष रूप से 'पृष्ठ संख्या 33 से 44' तक जो शैक्षिक सामग्री इस अंक में दी गई है वह हम सभी को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में हमारी मदद कर सकती है। योजना टीम के लिए एक निवेदन है कृपया विज्ञापन को या तो पत्रिका के शुरू में या अंत में रखें, कंटेंट के बीच में न रखें।

– देवेश त्रिपाठी
ग्राम-मेन्हदुपार,
संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश

शिक्षा में नवाचार

मैं योजना पत्रिका का 2 वर्षों से नियमित पाठक हूं, व्यक्तिगत अनुभवों से मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं कि यह पत्रिका ज्ञान का सागर से कम नही है। यह भी सत्य है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मो पर अथाह ज्ञान मिलता है लेकिन उनकी प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं, वही यह पत्रिका प्रमाणिकता के साथ मासिक के रूप में अलग-अलग विषयों की जानकारी प्रदान करती है। इसी क्रम में शिक्षा में नवाचार अंक बहुत ही लाभदायक है, यह पत्रिका सभी क्षेत्र के लोगो को जरूर पढ़ना चाहिए इससे न सिर्फ आंकडो की प्राप्ति होती है बल्कि यह हमारे सोच और समझ मे विविधता प्रदान करने का कार्य करती है।

– इंद्रदेव यादव
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

पाठकों से...

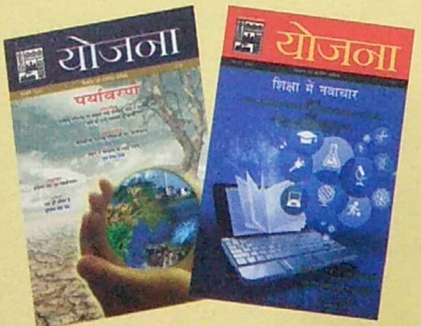

पत्र भेजने के लिए ईमेल पता है

yojanahindi@gmail.com

हमें प्रसन्नता है कि हमारे सुधी पाठकों ने 'योजना' के आलेखों एवं सामग्री पर अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणियां हमें पत्रों के माध्यम से दी हैं। हमें आगे भी आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। 'आपकी राय' में आप नवाचारों और विकास की छोटी-से-छोटी गतिविधियों के बारे में भी हमें लिख सकते हैं।

योजना का अप्रैल 2020 अंक भारतीय संविधान पर केन्द्रित होगा। इसमें नीति निर्माताओं, संविधान तथा कानून विशेषज्ञ और जानकार व्यक्तियों के आलेख होंगे।

अपनी प्रति अभी सुरक्षित करा लें!

Scanned with CamScanner

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2020

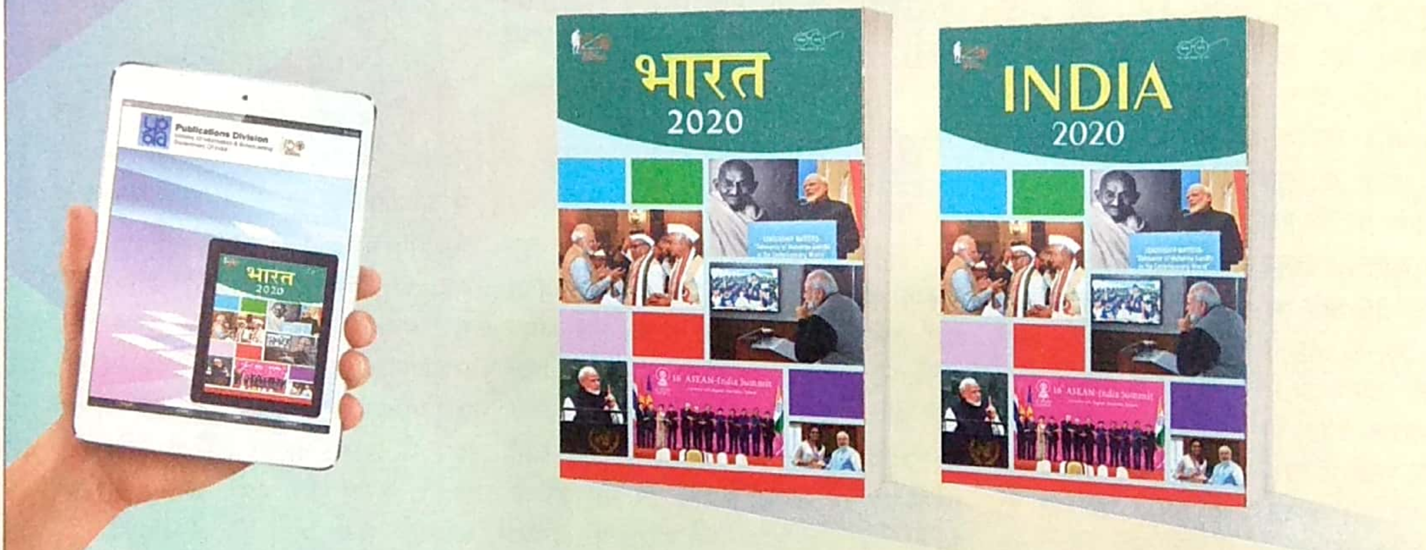

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्यः प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं
ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

संपादकीय

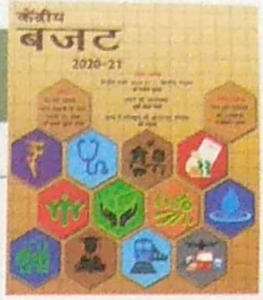

जन जन का बजट

इस दशक के पहले बजट का बुनियादी लक्ष्य 'लोगों की जिंदगी को आसान बनाना' है। इसी वजह से इसे 'जन जन का बजट' नाम दिया गया है। इसमें जनता के हितों को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही, कई ऐसे साहसिक फैसले लिए गए हैं, जिनका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक असर हो सकता है। बजट में ढांचागत सुधारों के लिए पहल की गई है। इस बजट में वृद्धि दर और राजकोषीय जोखिम को कम करने के बीच अच्छा संतुलन दिखता है।

वित्त वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में 130 करोड़ देशवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर है। बजट के तीन मुख्य पहलुओं के जरिये इसे हासिल किया जाएगा - आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला ज़िम्मेदार समाज।

ये तमाम पहलू देश के हर नागरिक की जिंदगी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे। किसान, निवेशक, छात्र, नौकरीपेशा वर्ग या स्टार्ट-अप समेत सबको इसका लाभ मिलेगा। 'आकांक्षी भारत' से आशय समाज के सभी तबके के लोगों द्वारा बेहतर जीवन स्तर की चाह रखना और इसके लिए प्रयास करना है। मसलन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर रोज़गार की सुविधा। 'सभी के लिए आर्थिक विकास' एजेंडे की झलक प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' नारे में दिखती है। साथ ही, इसमें 'जिम्मेदार समाज' यानी देखभाल करने वाले समाज का भी जिक्र है, जो मानवीयता और उदारता या करुणा के साथ विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करता है। योजना के इस अंक में इन तीन व्यापक पहलुओं के आधार पर बजट की पड़ताल की गई है और हर पहलू के बारे में गहरा विश्लेषण पेश करने का प्रयास किया गया है।

बजट में 'डिजिटल गवर्नेंस' के जरिये सेवाएं मुहैया कराने की बात की गई है। साथ ही, 'राष्ट्रीय आधारभूत संरचना कार्यक्रम' (नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन-एनआईपी) के माध्यम से जीवन स्तर को बेहतर बनाने, आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और पेंशन व बीमा जैसी सुविधाओं के जरिये सामाजिक सुरक्षा आदि मोर्चे पर भी प्रमुखता से काम करने का लक्ष्य तय किया गया है। निवेश को बढ़ाने के लिए भी बजट में कई उपाय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर कंपनियों को अब लाभांश वितरण कर नहीं देना होगा। अब यह कर निवेशकों पर लागू होगा। साथ ही, कर से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों को कम करने के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना शुरू की गई है और बैंक में जमा राशि पर बीमा कवर की सीमा 5 लाख रुपये कर दी गई है।

करदाताओं को ज्यादा से ज्यादा छूट मिल सके, इसके लिए आयकर ढांचे में बदलाव किया गया है और करदाताओं को विकल्प मुहैया कराने का प्रस्ताव किया गया है। इससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को छूट का लाभ मिल सकेगा। स्टार्ट-अप कंपनियों को बढ़ावा देने के मकसद से बजट में स्टार्ट-अप के कर्मचारियों के लिए कर का बोझ कम करने की पहल की गई है। ऐसी कंपनियों में ईसॉप पर कर भुगतान के मोर्चे पर राहत प्रदान की गई है। बजट में 16-सूत्री कार्ययोजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने, भंडारण और ढुलाई की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था (समुद्री और तटीय संसाधनों), खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डे तैयार करने की बात है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की जाएगी और उत्तर-पूर्व और जनजातीय आबादी वाले जिलों के संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नवाचार, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (आईओटी), क्वांटम कंप्यूटिंग आदि के आधार पर नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा तैयार की गई है, ताकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके।

इस बजट में कृषि, आधारभूत संरचना, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। स्वच्छता के मोर्चे पर बात की जाए, तो सरकार खुले में शौच से मुक्ति के मामले में हासिल की गई सफलता को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सुधारों के जरिये शिक्षा और कौशल विकास को अहमियत दी गई है। उच्च शिक्षा से जुड़े तकरीबन 150 संस्थान कौशल संबंधी प्रशिक्षण वाले कोर्स और डिग्री स्तर पर अलग-अलग तरह के ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत करेंगे। साथ ही, आरक्षी विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और साइबर फोरेन्सिक जैसे क्षेत्रों के अध्ययन के लिए फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किया गया है।

स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 28 फरवरी, 1948 को अपने पहले बजट भाषण में महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा था- ''ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। अगर हम सही दिशा में कोशिश के साथ-साथ अपनी नियति और आकांक्षाओं को लेकर सकारात्मक हैं, तो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है।'' ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं। ❑

Scanned with CamScanner

केन्द्रीय बजट 2020-21 – बेहतरीन संतुलन

डॉ राजीव कुमार

वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट आर्थिक विकास और राजकोष की अच्छी स्थिति के बीच उम्दा संतुलन कायम करने में सफल रहा। बजट में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया गया है और समावेशी और दीर्घकालिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस वर्ष के बजट में तीन प्रमुख विषयों को जोड़ा गया; आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला समाज यानी जिम्मेदार समाज। भारत की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए; प्रधानमंत्री की 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की कल्पना के समान; इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुंच के जरिये अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना है। दीर्घकालिक वृद्धि और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि हम एक मैत्रीपूर्ण और जिम्मेदार समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा।

हाल के समय में, कृषि और उससे संबद्ध क्रियाकलापों को उतार-चढ़ाव देखना पड़ा है। हालांकि, सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में 16 कार्य बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है जिसमें कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। आपूर्ति की अड़चनों के कारण कृषि पैदावार और किसानों की कम आमदनी के बीच अत्यधिक बेमेल है। बजट का लक्ष्य मूल्य श्रृंखला के लिए शुरू से अंत तक समर्थन प्रदान करना और गोदाम भंडारण और विकास पर जोर देना है। नीली अर्थव्यवस्था और उसके माध्यम से भारत के तटीय क्षेत्रों के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया गया है। भंडारण के लिए कोल्ड सप्लाई चेन बनाना और भारतीय रेलवे की मदद से रेफ्रिजरेटेड कोच शुरू करना, खराब हो जाने वाले उत्पादों के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि में सुधार की दिशा में उठाए गए कदम स्वागत योग्य हैं।

यह बजट अविकसित प्रौद्योगिकियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। मेरा दृढ़ मत है कि निजी क्षेत्र को डेटा सेंटर पार्क बनाने और क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाने के लिए आगामी नीतियां यह सुनिश्चित करेंगी कि भारत बहुत अच्छी या लाभकारी स्थिति में है और अगली

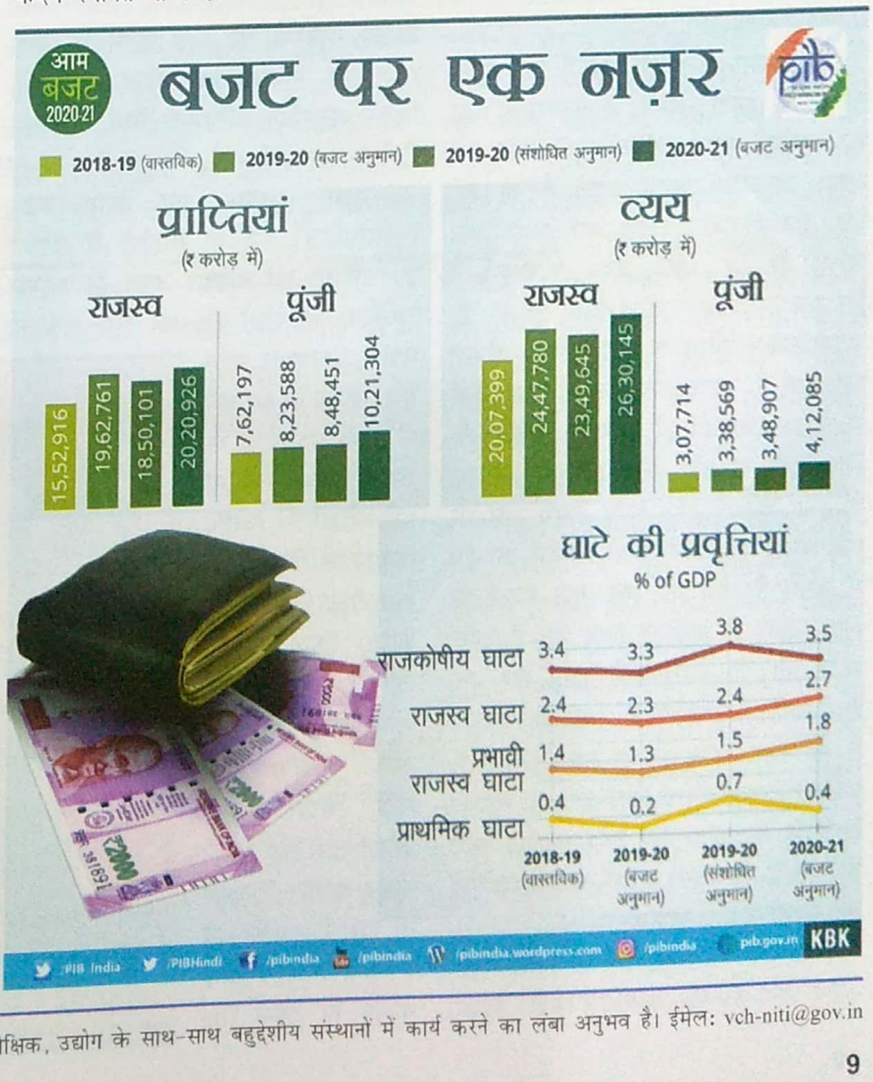

लेखक नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उनका सरकारी, शैक्षिक, उद्योग के साथ-साथ बहुद्देशीय संस्थानों में कार्य करने का लंबा अनुभव है। ईमेल: vch-niti@gov.in

Scanned with CamScanner

औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हैं और इन कदमों से इन क्षेत्रों में विकास को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलता है, विशेष रूप से आईटी सेवाओं को।

यह अनुमान लगाया गया है कि अगले दशक के भीतर, भारत में कामकाजी उम्र की आबादी सबसे अधिक होगी। यदि हम अभी आवश्यक कदम उठाते हैं तो हम इस जनसांख्यिकीय अंश का लाभ उठा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी श्रम शक्ति होना लाभप्रद है, उत्पादकता में सुधार के लिए उपयुक्त कौशल महत्वपूर्ण है। इसका समाधान नई शिक्षा नीति से होगा। प्रधानमंत्री ने जबरदस्त विकास के लिए उद्यमिता और स्टार्ट-अप की जोरदार वकालत की है और भारत विश्व स्तर पर एक प्रमुख स्टार्ट-अप इको सिस्टम के रूप में उभरा है। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए, बजट में प्रावधान किए गए हैं ताकि स्टार्ट-अप में कर्मचारियों द्वारा रखे गए ईएसओपी (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना) में कर राहत प्रदान की जा सके। इसी तरह, अपने शुरुआती दौर में स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए एक बीज कोष स्थापित करने के सरकार के फैसले से उभरते हुए उद्यमियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए अनेक उपाय किए हैं। एक महत्वपूर्ण कदम विदेशी

निवेशकों के लिए बॉन्ड बाजार खोलना है और एफपीआई द्वारा प्रमुख कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश की सीमा को मौजूदा 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक करना है। इसके अलावा, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की अभूतपूर्व सफलता के बाद, सरकार ने मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को मिलाकर एक नया ऋण-ईटीएफ शुरू करने की योजना बनाई है। 10 वर्ष के न्यूनतम मानदंड वाला बांड इसकी उच्च प्रतिभूति को देखते हुए एक शानदार जगह होगी। इस कदम से बॉन्ड बाजार की गहराई बढ़ाने में मदद मिलेगी और वित्तीय मध्यस्थों को वित्त पोषण के लिए व्यावहारिक विकल्प प्रदान किए जा सकेंगे, जिससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर उनकी निर्भरता कम होगी।

सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम (एमएसएमई) देश के जीडीपी में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए, यह बजट क्षेत्र को पर्याप्त वित्तपोषण राहत प्रदान करता है। इस क्षेत्र में प्रमुख उधारदाता के रूप में, एनबीएफसीएस (गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम) से वित्त पोषण अब टीआरईडी मंच के जरिये किया जाएगा ताकि अस्वाभाविक कार्यशील पूंजी को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, एनबीएफसी के सामने मौजूद वर्तमान दिक्कतों के बदले, बजट में एसएआरएफएईएसआई कानून के तहत 100 करोड़ रुपये की संपत्ति और 50 लाख रुपये के ऋण की वसूली के लिए उनकी पात्रता सीमा को बदलने का प्रस्ताव है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष के विनिवेश लक्ष्यों के संबंध में कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि बड़े विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के जरिये इन्हें हासिल किया जा सकता है। एलआईसी को सार्वजनिक रूप से उतारने का कदम न केवल सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व लाएगा, बल्कि संगठन के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाएगा। बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ना, खासकर पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के संकट के बाद अनिवार्य था। इस संदर्भ में, सरकार के दशकों पुराने जमा बीमा कवरेज को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना स्वागत योग्य कदम है।

इसके अलावा, दीर्घकालिक स्थायी विकास और रोज़गार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम यानी नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) की घोषणा है। बजट में बुनियादी ढांचा वित्त कम्पनियों को 22,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता प्रदान की गई है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है और परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण कोष बनाया जा सकता है।

सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और अपने

Scanned with CamScanner

आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। बजट के माध्यम से, पहली बार, बॉन्ड और ऋण उधार के संदर्भ में, अतिरिक्त बजटीय वस्तुओं की रिपोर्ट करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि हम उस जोखिम को पहचानते हैं जिसका 'वास्तविक राजकोषीय-घाटे' और बाजार अनुभवों के संदर्भ में अनुमान लगाया गया है, हालांकि विकास की मौजूदा स्थितियों के कारण इस वर्ष उधारी में वृद्धि हुई है, यह संख्या आने वाले वर्षों में काफी कम हो जाएगी।

आज, दुनिया इतनी संगठित समुदाय बन गई है कि संरक्षणवादी उपायों की ओर बढ़ना सही दिशा में एक कदम नहीं हो सकता। यदि हम अधिक खुली अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो हमें और अधिक अधिकार रखने होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बजट ने कुछ व्यापारिक प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है, मेरा मानना है कि मुख्य रूप से चीनी सामानों के बढ़ते आयात से अपेक्षाकृत कम समय के लिए हमारे घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। सरकार भविष्य में घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर केन्द्रित अधिक उदार व्यापार नीतियों की दिशा में बढ़ने के बारे में विचार कर सकती है।

सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की तरह, जो विभिन्न संरचनात्मक सुधारों से गुजरी है, बजट में भी धन सृजन को प्रोत्साहित करके अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत कर व्यवस्था को धीरे-धीरे सरल बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। करदाताओं का घोषणा पत्र (चार्टर) सरकार में निवेशकों और कॉर्पोरेटों का विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा।

बजट के ठीक बाद बाजारों ने नुकसान दर्ज होने का कोई आधार नहीं था। बाजार शायद कुछ मांग की नीतियों या प्रमुख व्यक्तिगत कर कटौती की उम्मीद कर रहे थे। बजट में दीर्घावधि ढांचागत सुधारों के मद्देनजर हालांकि बाजार अगले दो दिन में ही घाटे से उबर गए।

हम हमेशा उन सभी विषयों पर बात करते हैं जो हो सकता था और जिसे होना चाहिए था। बजट बाजार की उम्मीदों को पूरा करने में विफल हो सकता था,

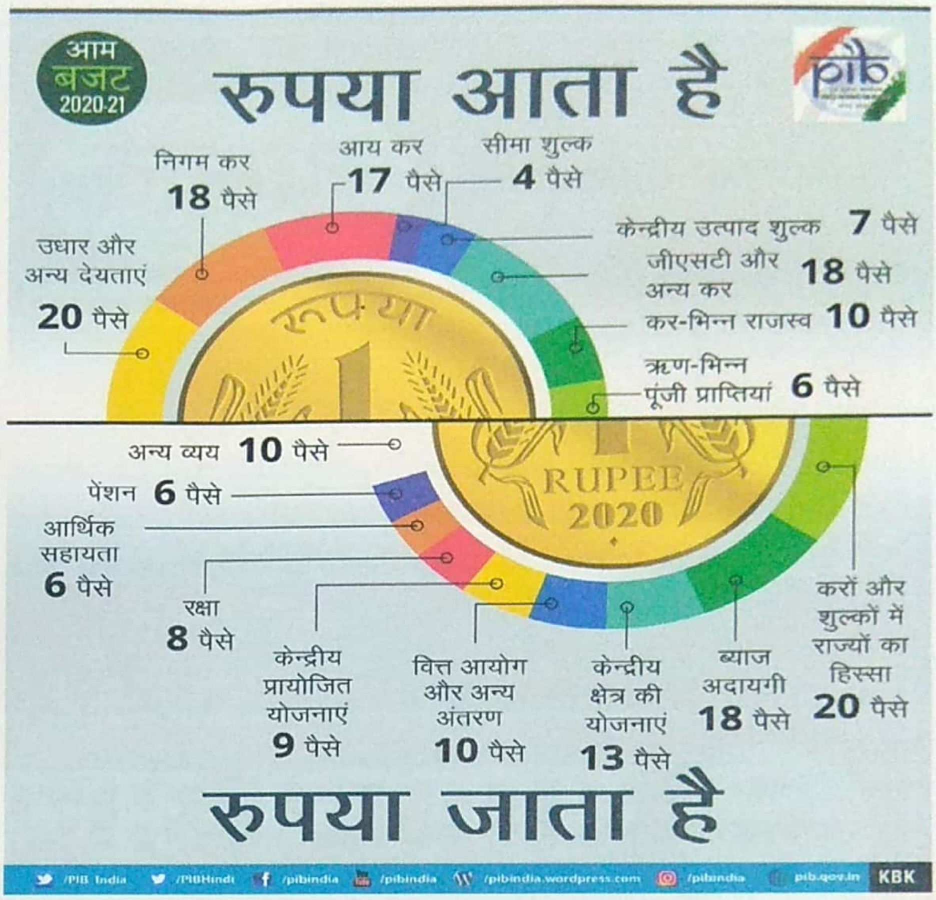

लेकिन यह मौलिक रूप से एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की बात करता है। यह बजट उच्च विकास दर हासिल करने की दिशा में चुनौतियों का एहसास कराता है और उन्हें पहचानता है। जैसा कि सरकार ने पहले भी कहा है, बजट को केवल एक

बजट अच्छा-खासा, तर्कसंगत और सभी जरूरतों को पूरा करने वाला है। आर्थिक विकास की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना लघु, मध्यम और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं का समान रूप से हल निकालने का प्रयास किया गया है। बजट एक आकांक्षी भारत के निर्माण के हमारे लक्ष्यों की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हाल के दिनों में उठाए गए कदम हमें 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे।

घटना के रूप में देखना समझदारी नहीं होगी। पिछले छह महीनों में, नई सरकार के गठन और उसके साथ बजट (वित्त वर्ष 20) की घोषणा के बाद से, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मध्यम अवधि में लाभ मिलेगा। एफआरबीएम कानून के तहत 'एस्केप क्लॉज' का उपयोग करते हुए सरकार द्वारा शानदार संतुलन का कार्य उचित अभिव्यक्ति है। चुनौतीपूर्ण राजस्व संग्रह परिदृश्य के साथ, सरकार राजकोष की अच्छी स्थिति को बनाए रखते हुए पर्याप्त व्यय स्तरों के लिए प्रतिबद्ध है।

बजट अच्छा-खासा, तर्कसंगत और सभी जरूरतों को पूरा करने वाला है। आर्थिक विकास की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना लघु, मध्यम और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं का समान रूप से हल निकालने का प्रयास किया गया है। बजट एक आकांक्षी भारत के निर्माण के हमारे लक्ष्यों की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हाल के दिनों में उठाए गए कदम हमें 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। ❑

Scanned with CamScanner

नए कर प्रस्ताव – आम आदमी के लिए फायदे का सौदा

डॉ अजय भूषण पांडेय

यह बजट लोगों की आय बढ़ाने वाला है। इसके जरिये लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ सकेगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, खपत को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से मांग में बढ़ोतरी होगी। मांग में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था के विकास चक्र की रफ़्तार तेज होगी और जाहिर तौर पर रोज़गार और आमदनी के मोर्चे पर भी बेहतरी हासिल हो सकेगी। सरकार का लक्ष्य कर विभाग को करदाताओं के लिए 'संवाद का विभाग' बनाना है, जो आपकी समस्याओं को सुने और आप पर भरोसा करे। सही करदाताओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए कर विभाग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग, डेटा एनालिटिक्स और अन्य सूचना तकनीक से भी लैस है।

मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में बजट 2020-21 को सुधारवादी बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट जिसमें देश के हर आर्थिक वर्ग के लोगों का खयाल रखा गया है। इस बजट का बुनियादी सिद्धांत यह है कि भारत को साल 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे से चल रही विकास यात्रा में कोई भी पीछे नहीं छूट जाए। आकांक्षी भारत, ज़िम्मेदार भारत और सभी के लिए आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस बजट का तानाबाना बुना गया है। इसके तहत तकनीक और नवाचार की मदद के साथ आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की बात है। यह बजट लोगों की आय बढ़ाएगा। इसके जरिये लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ सकेगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, खपत को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से मांग में बढ़ोतरी होगी। मांग में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था के विकास चक्र की रफ़्तार तेज होगी और जाहिर तौर पर रोज़गार और आमदनी के मोर्चे पर भी बेहतरी हासिल हो सकेगी। इस पूरी कवायद में कर नीति बेहद महत्वपूर्ण है। कर राजस्व न सिर्फ निवेश, रोज़गार और वृद्धि दर को बढ़ावा देने से जुड़े खर्च का इंतज़ाम करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कल्याणकारी योजनाओं पर भी खर्च करने के लिहाज से भी यह आवश्यक है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च से गरीबों के हितों की सुरक्षा मुमकिन होती है। कर नीति का इस्तेमाल कई उद्योगों, क्षेत्रों और वित्तीय उत्पादों को सहारा देने के लिए भी किया जाता है। सरकार आर्थिक नीति और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ खास क्षेत्रों में बचत और निवेश का उचित इस्तेमाल करती है। बजट 2020-21 में इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुधारों और समावेशी विकास पर फोकस किया गया है।

हम जानते हैं कि अप्रत्यक्ष करों के मामले में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत एक ऐतिहासिक सुधार है। इस कर प्रणाली को लागू किए जाने से इंस्पेक्टर राज के खात्मे के साथ न सिर्फ कारोबार करने के मायने बदल गए, बल्कि आर्थिक रूप से देश का एकीकरण भी हुआ। साथ ही, कई तरह के करों और सेस को एक दायरे में लाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ढुलाई और परिवहन क्षेत्रों को भी काफी फायदा हुआ। जीएसटी को लागू करने से बड़े पैमाने पर हुए बदलाव और सिस्टम में आई बेहतरी को देखते हुए सरकार व्यापार और उद्योग जगत के हित में संबंधित सुझावों को लागू करने को लेकर काफी सक्रिय है। अब सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर प्रणाली में किए जा रहे ढांचागत बदलाव से प्रत्यक्ष कर प्रणाली ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और आसान हो गई है। सरकार का लक्ष्य कर विभाग को करदाताओं के लिए 'संवाद का विभाग' बनाना है, जो आपकी समस्याओं को सुने और आप पर भरोसा करे। सही करदाताओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए कर विभाग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। कर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की खातिर कर विभाग डेटा एनालिटिक्स और अन्य सूचना तकनीक से भी लैस है। सही करदाताओं की सुविधा के लिए आसान ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें कानूनी विवाद के लिए कम से कम गुंजाइश हो।

इस साल बजट में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों से जुड़े खास प्रस्ताव इस तरह हैं:

अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी

मौजूदा वित्त वर्ष (2019-20) के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 5,14,000 करोड़ रुपये है और आगामी वित्त वर्ष (2020-21) के सीजीएसटी 5,80,000

लेखक भारत सरकार में राजस्व सचिव और जीएसटीएन के चेयरमैन हैं। ईमेल: rsecy@nic.in

Scanned with CamScanner

तालिका 1 – कर संग्रह में बढ़ोतरी और कर-जीडीपी अनुपात*

	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2017-18	वि.व. 2018-19 (तात्कालिक)
प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात	5.62	5.55	5.47	5.53	5.86	5.98
प्रत्यक्ष कर-आधिक्य घटक	1.16	0.86	.80	1.10	1.59	1.21

स्रोत: आयकर विभाग टाइम सीरीज डेटा, वित्त वर्ष 2001 से 2018 तक

करोड़ रहने का अनुमान जताया गया है। रिटर्न से जुड़े नियमों को आसान को बनाया गया है और पायलट परियोजना के तहत इस पर काम भी चल रहा है। इन नियमों को 1 अप्रैल, 2020 से विधिवत लागू किया जाएगा। इन नियमों के लागू होने से रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, मसलन जीरो रिटर्न के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, रिटर्न प्री-फाइलिंग और रिटर्न की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना। रिफंड की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है और इसे पूरी तरह से स्वचालित बनाया गया है और इसमें लोगों की भूमिका के लिए गुंजाइश सीमित कर दी गई है। साथ ही, फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी रिफंड क्लेम और अन्य धोखाधड़ियों पर लगाम कसने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। 'ई-इनवॉयस' को वैकल्पिक आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि कर नियमों का पालन और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। करदाताओं के लिए आधार नंबर से पुष्टि का नियम भी पेश किया जा रहा है। इससे फर्जी इकाइयों के उन्मूलन में मदद मिलेगी। उपभोक्ता इनवॉइस के लिए क्यूआर-कोड पेश किया गया है। खरीदारी के लिए क्यूआर-कोड के जरिये भुगतान करने पर जीएसटी मानकों को ध्यान में रखा जा सकेगा। ग्राहक द्वारा सामान खरीदने पर उन्हें रसीद मांगने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से इस संबंध में नकद इनाम की योजना पेश करने पर भी विचार किया जा रहा है। ड्यूटी के उल्टे ढांचे जैसे मामलों से निपटने के लिए जीएसटी कर ढांचे पर फिर से विचार किया जा रहा है।

अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क

वित्त वर्ष 2019-20 में सीमा शुल्क के लिए संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ रुपये है, जबकि बजट में इसके लिए 1,55,904 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में इस संबंध में 1,38,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क से जुड़े कुछ उपायों का प्रस्ताव किया गया है। सीमा शुल्क से जुड़े कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे लाभकारी शुल्कों के लिए गुंजाइश बन सके। इसके अलावा, सुरक्षा शुल्क और डंपिंगरोधी नियमों के साथ-साथ प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि घरेलू उद्योगों को मजबूती प्रदान की जा सके।

घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। जिन उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने की बात है, उनमें जूते-चप्पल, फर्नीचर, खिलौने, बरतन, स्टेशनरी, ऑफिस से जुड़े सामान और कई घरेलू उपकरण और अन्य सामान शामिल हैं। ऐसे ज्यादातर सामान एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र द्वारा बनाए जाते हैं। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी आदि के निर्माण में घरेलू स्तर पर भूमिका को बढ़ाने के लिए समेकित प्रयास किए गए हैं। सीमा शुल्क में छूट के प्रावधानों की समीक्षा की गई है और संशोधनों के जरिये छूट के कई सारे ऐसे मामलों को वापस लिया गया है, जो अप्रासंगिक और बेकार हो चुके थे।

सीमा शुल्क के तहत मेडिकल उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य सेस (उपकर) का प्रस्ताव किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि अब भारत में भी बड़े पैमाने पर इस तरह के उपकरणों का निर्माण हो रहा है। इस सेस से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पहचान किए गए जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधारभूत संरचना बनाने में किया जाएगा।

प्रत्यक्ष कर

बजट 2020-21 के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के बारे में बात करने से पहले हम आयकर परिदृश्य पर बात करते हैं। आयकर विभाग की तरफ से किए गए प्रयासों का असर दिखा है और कर संग्रह, रिटर्न भरने वाले लोगों और करदाताओं की संख्या में अच्छीखासी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, इन कोशिशों के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में करों के भुगतान की रफ्तार तेज हुई है।

वस्तु एवं सेवा कर

1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत रिटर्न फार्म	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ई-इनवॉयस के लिए केन्द्रीकृत प्रणाली
आधार पर आधारित सत्यापन	इनवॉयस व बिल लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए नकद प्रोत्साहन की व्यवस्था

Scanned with CamScanner

पहले 'सबका विश्वास' योजना चलाई गई और अब 'विवाद से विश्वास' योजना लाई गई है। प्रस्तावित योजना का मकसद कारोबार और उद्योग को मुकदमों से मुक्त कर उन्हें संपत्ति के निर्माण पर फोकस करने में मदद करना है। अगर 31 मार्च, 2020 से पहले इस योजना का लाभ उठाया जाता है, तो ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। आयकर विभाग के कामकाज के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) करदाताओं के चार्टर को स्वीकार करेगा और इसे लागू करने के लिए जरूरी निर्देश जारी करेगा। अतः, करदाता से जुड़ी सेवाओं को मुहैया कराने के बारे में अधिनियम में प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही, सहकारी समितियों को राहत प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट कर की तरह बजट में इन समितियों के लिए भी कर की दर में कटौती का प्रस्ताव किया गया है। इसे 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, बिजली उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए भी कॉरपोरेट कर में छूट का ऐलान किया गया है। इन कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर महज 15 प्रतिशत होगा।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी सरकारों के सोवरेन वेल्थ फंडों से जुड़ा निवेश बढ़ाने के लिए बजट में ऐसे निवेश (भारत में) से प्राप्त आय पर कर में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया गया है। स्टार्ट-अप कंपनियां प्रतिभाशाली कर्मचारियों को कर्मचारी शेयर विकल्प प्लान (ईसॉप) मुहैया कराकर उन्हें अपने यहां काम करने के लिए आकर्षित कर सकें, इसके लिए बजट में इसॉप से होने वाली आय पर कर्मचारी को 5 साल तक के लिए कर की छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में स्टार्ट-अप को राहत प्रदान करते हुए लंबी अवधि तक कर से छूट देने का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत 100 करोड़ तक के टर्नओवर (कुल बिक्री) वाली स्टार्ट-अप के लिए कर छूट की अवधि को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की बात है। फिलहाल जिन कंपनियों का टर्नओवर 1 करोड़ है, उनके लिए ऑडिट कराना जरूरी है। बजट में ऐसी कंपनियों से जुड़ी टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ करने का फैसला किया गया है।

संक्षेप में कहें तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निजी आयकर से जुड़े नए नियम 80 प्रतिशत करदाताओं के लिए फायदेमंद होंगे। डेटा एनालिटिक्स से भी इस अनुमान की तस्दीक होती है। हमने वित्त वर्ष 2018-19 के कर आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जिसमें सभी तरह की छूट और कटौतियां भी शामिल हैं। इस विश्लेषण के जरिये पाया गया कि कर के नए प्रावधानों से तकरीबन 69 प्रतिशत करदाता 78,000 रुपये तक की बचत कर पाएंगे और करीब 11 प्रतिशत करदाताओं को मौद्रिक रूप से न फायदा होगा, न नुकसान। हालांकि, उनके लिए भी यह मौजूदा प्रावधानों के मुकाबले फायदेमंद होगा। नए आयकर प्रावधान न सिर्फ जटिलताओं से मुक्त हैं, बल्कि इनसे करदाताओं के लिए जांच और नियमों के पालन का बोझ भी कम होगा। साथ ही, करदाताओं को कागजी कार्रवाई भी कम करनी होगी। ❑

Scanned with CamScanner

शहरों की कायापलट

दुर्गा शंकर मिश्र

यह देखते हुए कि भारत ने 2024-25 तक पांच ट्रिलियन (50 खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है, शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रवाह में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी आवश्यक होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को शहरी बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने की आवश्यकता है। शहरी केंद्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के बावजूद, समग्र रूप में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और बुनियादी सेवाएं नहीं हैं। शहरी बुनियादी ढांचे की कमी की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी नई पहल की है।

भारत तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए **'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'** की नीति पर अमल करने के लिए समग्र प्रयास कर रहा है। वर्ल्ड अर्बन प्रॉस्पेक्ट्स-2018 (यानी वैश्विक नगरीय संभावनाओं के बारे में एक रिपोर्ट), का अनुमान है कि भारत में शहरी आबादी कुल आबादी का 34 प्रतिशत है जो 2030 तक 40 प्रतिशत और 2050 तक 50 प्रतिशत होने की संभावना है। शहरीकरण की नई लहर से अवसर और चुनौतियों, दोनों ही पैदा होने की उम्मीद है। सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान 2030 में बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है, जो 2009-10 में 62-63 प्रतिशत था (एचपीईसी, 2011)।

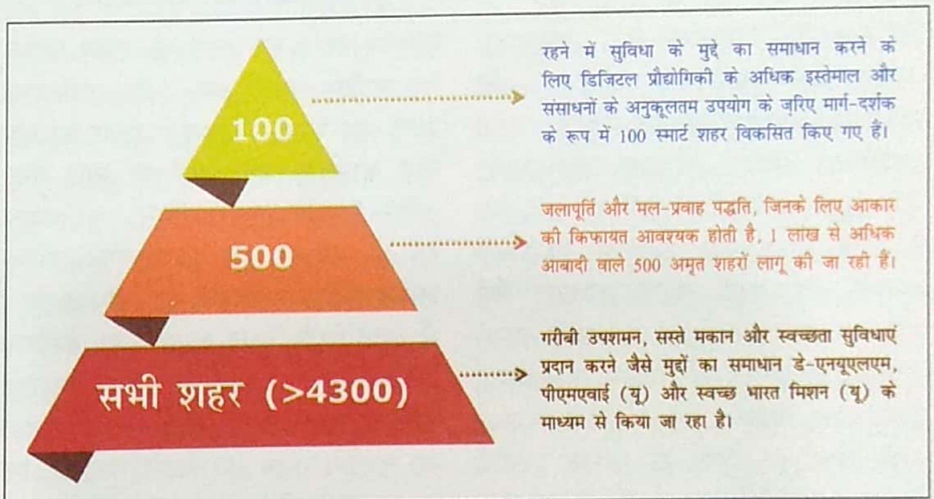

यह देखते हुए कि भारत ने 2024-25 तक पांच ट्रिलियन (50 खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है, शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रवाह में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी आवश्यक होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को शहरी बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने की आवश्यकता है। शहरी केंद्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के बावजूद, समग्र रूप में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और बुनियादी सेवाएं नहीं हैं। शहरी बुनियादी ढांचे की कमी की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी नई पहल की है।

> "भारत में, वर्तमान तेजी से, एक ऐसी गति के साथ और इतने बड़े पैमाने पर, बदल रहा है, जिसकी परिकल्पना अभी तक नहीं की गई थी। एक 'न्यू इंडिया' आकार ले रहा है...।" "भारत अगले दो दशकों में दुनिया में शहरीकरण की सबसे बड़ी लहर का अनुभव करेगा। यह एक चुनौती है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी और अवसर भी है ... बड़े पैमाने पर आवागमन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्थायी आवास और किफायती आवास हमारे लिए बहुत प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं।"
>
> – **श्री नरेन्द्र मोदी**, भारत के प्रधानमंत्री

शहरी रूपांतरण के लिए विभिन्न मिशन 2014-19

भारत सरकार ने योजनाबद्ध और व्यवस्थित शहरी विकास का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वह दुनियाभर में सर्वाधिक व्यापक कार्यक्रमों में से एक है।

4,500 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) को स्वच्छ भारत

लेखक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। ईमेल: secyurban@nic.in

Scanned with CamScanner

शहरी जीर्णोद्धार के लिए समग्र निवेश

रु. 1,57,703 करोड़

2004-2014
(10 वर्ष)

शहरी अवसंचरना
रु. 85,000 करोड़
आवास
रु. 38,203 करोड़
शहरी परिवहन
रु. 34,500 करोड़

रु. 10,45,576 करोड़

2014-2020
(05 वर्ष)

अमृत
रु. 1,00,000 करोड़
स्मार्ट सिटी मिशन
रु. 2,05,018 करोड़
हृदय
रु. 500 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
रु. 62,000 करोड़
शहरी परिवहन
रु. 1,81,375 करोड़
पीएमएवाई(यू)
रु. 4,96,683 करोड़

मिशन-शहरी (एसबीएम-यू), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया गया है ताकि सफाई और स्वच्छता, किफायती आवास और शहरी गरीबी उपशमन जैसे मुद्दों का समाधान किया जा सके। इसके अलावा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी) के तहत 500 शहरों (1 लाख से अधिक आबादी वाले) में सार्वभौमिक जलापूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज का प्रावधान किया गया है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (हृदय-अर्थात् धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना) 12 शहरों में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य इन शहरों के धरोहर स्वरूप को संरक्षित करना और उनका कायाकल्प करना था। शहरी परिवहन में सुधार का एक बड़ा कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (एमआरटीएस) को बढ़ावा देने के रूप में शुरू किया गया। अंतिम, लेकिन अत्यन्त महत्वपूर्ण, यह कि 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य मूलभूत ढांचे में सुधार करना और स्मार्ट समाधानों का उपयोग करते हुए शहरी नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण जीवन प्रदान करना था।

संवर्द्धित बजटीय सहायता और धन उपलब्धता

पिछले पांच वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट 2020-21 में आवास और शहरी मामले मंत्रालय के लिए 50,040 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 2019-20 के बजट आवंटन 42,267 करोड़ रुपये (संशोधित आंकड़ों के अनुसार) से काफी अधिक है। इसके अलावा, आवास के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के रूप में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

5 ट्रिलियन यानी 50 खरब अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में आर्थिक वृद्धि के इंजनों के रूप में शहरों की भूमिका

बजट ने निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया है, अर्थात् 130 करोड़ भारतीयों की पूरी आस्था, विश्वास, और आकांक्षा के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब अमरीकी डॉलर मूल्य तक पहुंचाना। अवसंरचनागत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2020-2025 की अवधि के लिए 31 दिसंबर, 2019 को नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) कार्यक्रम शुरू किया। एनआईपी से उम्मीद है कि वह जीवन को अधिक सुगम बनाएगा और बुनियादी ढांचे तक सभी को समान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका लक्ष्य जीडीपी में वृद्धि के लिए अवसंरचना विकास में आपूर्ति पक्षीय उपायों में मदद करना है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20)। वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कुल 103 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश का 16 प्रतिशत शहरी कायाकल्प के लिए निर्धारित किया गया है। इस निवेश के साथ, भारत अपनी शहरी चुनौतियों को कम कर सकता है और न केवल शहरी आबादी, बल्कि कम

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : प्रगति

35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी शहर ओडीएफ (खुले में शौच जाने से मुक्त) घोषित

SWACHH BHARAT MISSION ODF

65.9 लाख से अधिक पृथक परिवार शौचालयों और 6.1 लाख से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय बनाए गए

60 प्रतिशत नगरीय ठोस कचरे की वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण

Scanned with CamScanner

से कम 20 करोड़ ग्रामीण आबादी, जो 70 बड़े शहरों के निकट रहती है, के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

शहरी जीर्णोद्धार के लिए निवेश संवर्द्धन

वर्ष 2014-20 की अवधि में विभिन्न प्रमुख शहरी कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनके तहत अभी तक 1,62,165 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। इससे इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 10,45,076 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जिसमें राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों, लाभार्थियों और सरकारी-निजी प्रतिभागियों का योगदान शामिल है।

अत:, यह स्पष्ट है कि शहरी अवसंरचना सृजित करने में केंद्रीय सहायता के माध्यम से इसके निर्धारित योगदान से लगभग साढ़े छह गुना निवेश अधिक हो रहा है। इसके अलावा, 2020-25 की अवधि में कुल 17,74,167 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। शहरी क्षेत्रों के विकास में एनआईपी के तहत निवेश की बड़ी हिस्सेदारी होगा।

शहरी मूलभूत ढांचा : संचार और संपर्क पर ध्यान केंद्रित करना

2020-21 के बजट में, एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में संभवत: अधिक आवंटन है! इसके अलावा, 18,600 करोड़ रुपये की लागत से 148 कि.मी. लंबी बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना रेल मंत्रालय के लिए प्रस्तावित की गई है। इनके अलावा, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण और नदी किनारे जलमार्गों के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं।

भारतनेट प्रोग्राम के ज़रिए सभी स्थानीय शहरी निकायों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्री-पेड (पूर्व भुगतान किए गए) मीटर दिए जाएंगे और उन्हें दरों का चयन करने तथा सेवाप्रदाता/स्रोत (थर्मल या नवीकरणीय ऊर्जा) का चयन करने के विकल्प प्रदान किए जाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन : फोकस

गीले कचरे का 100 प्रतिशत निपटान

SWACHH BHARAT MISSION ODF+

मलीय कचरे का प्रबंधन

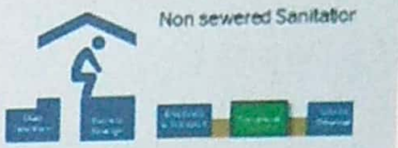

उपचारित मल-जल का पुन:उपयोग

स्वच्छतर और अधिक स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

बजट में जल और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि स्वच्छता पद्धतियों और मृत्यु दर तथा स्वास्थ्य परिणामों के बीच सीधा संबंध है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19)। प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, अब तक 66 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और 99 प्रतिशत से अधिक शहर खुले में शौच जाने से मुक्त (ओडीएफ) हो गए हैं। 1276 शहर ओडीएफ+ और 411 ओडीएफ++ प्रमाणित हैं। कई अन्य शहर ऐसे प्रमाणपत्र के लिए परीक्षाधीन हैं।

ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत भी सराहनीय प्रगति हुई है। सेप्टिक टैंकों और सीवरों की हस्त-रहित सफाई पर भी बजट भाषण में जोर दिया गया, जिसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

हर घर जल : अमृत (एएमआरयूटी)

जून, 2015 में देश भर में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज और सीवरेज और सेप्टेज कवरेज को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 62 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपीज) के लिए 77,640 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिनमें से आधी राशि पानी की आपूर्ति और 42 प्रतिशत सीवरेज और सेप्टेज के लिए निर्धारित किए गए हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 73,007 करोड़ की लागत वाली परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिनमें से 8,725 करोड़ रुपये की लागत से कई परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। कार्यक्रम के तहत अब तक 71 लाख पानी के नल और 43 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

शहरी जीर्णोद्धार और परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)

73000 करोड़ रुपये की लागत से 5,341 परियोजनाएं निर्माणाधीन/पूरी की जा चुकी हैं।

74 लाख से अधिक स्ट्रीटलाइटों को एलईडी रोशनी में बदला गया।

8 शहरों द्वारा 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बांड जारी किए गए।

1506 शहरी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली लागू की गई, जिनमें 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।

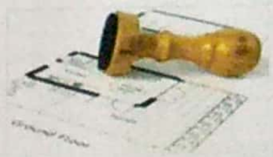

Scanned with CamScanner

स्मॉर्ट सिटी मिशनः प्रगति प्रस्तावित निवेश-रु. 2,05,018 करोड़	
संविदा जारी की गईं	4,508 परियोजनाएं रुपये 1,63,035 करोड़ (80 प्रतिशत)
अमल शुरू किया गया	3,665 परियोजनाएं रुपये 1,20,550 करोड़ (59 प्रतिशत)
पूरी की गईं	1,560 परियोजनाएं रुपये 25,726 करोड़ (13 प्रतिशत)

जल संरक्षण को प्रोत्साहनः जन आंदोलन

मंत्रालय ने जल संरक्षण को "जन आंदोलन" बनाने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर बल देते हुए जल संरक्षण अभियान शुरू किया है : क) वर्षा जल संचयन, ख) उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ग) जल निकायों का कायाकल्प और घ) वृक्षारोपण। 750 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की पहचान जल-संकट वाले निकायों के रूप में की गयी है, जिन्हें भवन-निर्माण कानूनों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा सके, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के उपाय किए जा सकें, कम से कम एक जल निकाय को पुनर्जीवित किया जा सके और वृक्षारोपण किया जा सके। अब तक 2.39 लाख वर्षा जल संरक्षण बिन्दु स्थापित किए जा चुके हैं, और अन्य 2.22 लाख निर्माणाधीन हैं। वित्त मंत्री ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को चालू वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। इसे पूरा करने के लिए अमृत के तहत कार्रवाई की जा रही है।

शहरी भारत को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन के पांच साल पूरे होने पर विचार करें तो हम पाते हैं कि 2,05,018 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 5,151 परियोजनाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें कुछ अभिनव और अग्रणी परियोजनाएं शामिल हैं, जो भारतीय शहरों द्वारा पहली बार शुरू की गई हैं, जैसे एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी), स्मार्ट गलियां/सड़कें, पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट सोलर एनर्जी, स्मार्ट पोल, स्मार्ट वाटर और एकीकृत स्मार्ट यातायात/पारगमन प्रबंधन। 2020-21 के बजट में स्मार्ट सिटीज़ मिशन और अमृत कार्यक्रम के लिए 13,750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि 2019-2020 में इनके लिए 9,842 करोड़ दिए गए थे। यह राशि पिछले साल निर्धारित राशि से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है।

सबके लिए मकान

माननीय प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने के लिए सरकार 2022 तक 'सबके लिए आवास' प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। 1 करोड़ से अधिक मकान पहले ही मंज़ूर किए जा चुके हैं, जिनमें से 62 लाख से अधिक निर्माणाधीन हैं और 32 लाख बन चुके हैं/आवंटित कर दिए गए हैं। साल-दर-साल बजटीय प्रावधानों से ऊपर और अधिक धन जुटाने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि आवास कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए 60,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाए जा सकें। सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनबीएच) के अंतर्गत 'सस्ते मकानों के लिए कोष' की स्थापना की है, जिसके लिए प्रारंभिक राशि 10,000 करोड़ रुपये रखी गई है, जिसका इस्तेमाल बैंकों/वित्तीय संस्थानों की वरीयता क्षेत्र उधारी में कमी पूरी करने के लिए किया जायेगा। 2020-21 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए कुल 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का प्रावधान किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने निजी प्रयासों के अंतर्गत सस्ते आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रियायतें प्रदान की हैं और पहले से विद्यमान कुछ प्रावधानों को आगे भी जारी रखा है। इससे शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी पूरी करने में और भी मदद मिलेगी।

गरीबी उन्मूलन, आजीविका और कौशल विकास

शहरों में गरीबों, विशेष रूप से नए प्रवासियों को व्यावसायिक, आवासीय, और सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान एक साथ व्यापक और एकीकृत तरीके से किया जाना है। इसी संदर्भ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) : प्रगति

1.03 करोड़ मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई

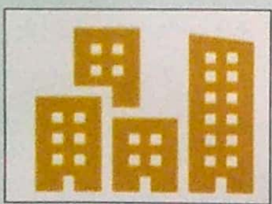

62 लाख से अधिक मकान निर्माणाधीन हैं

32 लाख मकान पूरे किए जा चुके हैं

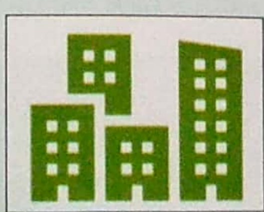

ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना के अंतर्गत 8.5 लाख से अधिक लाभार्थी

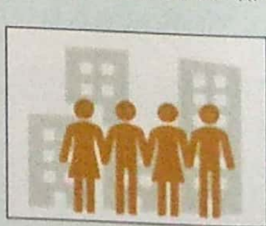

Scanned with CamScanner

में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के रूप में शहरी आजीविका के लिए एक मिशन-मोड कार्यक्रम शुरू किया गया था। डीएवाई-एनयूएलएम का प्राथमिक लक्ष्य शहरी गरीब हैं, जिसमें शहरी बेघर भी शामिल है। बजट 2020-21 में डीएवाई-एनयूएलएम के लिए 795 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। माननीय वित्त मंत्री ने युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों में नए इंजीनियरों को 1 साल की इंटर्नशिप प्रदान करने का प्रस्ताव किया है ताकि माननीय प्रधानमंत्री का सपना पूरा किया जा सके। इसके लिए राज्यों की सलाह से एक योजना पर काम किया जा रहा है।

जीवनयापन में सुगमता और व्यापार में सुगमता

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 111 शहरों को कवर करते हुए 2018 में पहली बार 'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' (जीवन-यापन सुगमता सूचकांक) जारी किया, और 'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स-2019' के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। विश्व बैंक की व्यापार-सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार, व्यापार-सुगमता में भारत का 63वां स्थान है, जबकि 2019 में भारत इस सूची में 77वें पायदान पर था। इसके अलावा, भारत निर्माण परमिट प्रदान करने में समय की दृष्टि से अधिक कुशल होता जा रहा है।

वर्तमान में, भारत निर्माण परमिट जारी करने के मामले में 27 वें स्थान पर है जबकि 2017 में वह 185वें पायदान पर था। ऑनलाइन भवन-निर्माण अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) 2,506 शहरों में लागू की गई है, जिसमें अब तक 444 अमृत शहर शामिल हैं। 2019 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये म्यूनिसिपल परफॉरमेंस इंडेक्स का उद्देश्य शासन, प्रौद्योगिकी, सेवाओं, योजना और वित्त के पांच स्तंभों पर भारत के नगर निकायों के प्रदर्शन का आकलन करना है।

जलवायु परिवर्तन और सतत शहरीकरण

शहरों में स्वच्छ हवा और जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधक कार्रवाई के लिए 4400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जलवायु स्मार्ट सिटीज मूल्यांकन फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन और उपशमन पद्धतियां अपनाने की दिशा में इसके 100 स्मार्ट शहरों की क्षमता निर्माण के लिए एक अग्रणी कदम है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न शहरों और समान विचार वाले संगठनों के बीच एक जलवायु स्मार्ट सिटीज एलायंस बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।

विश्व बैंक की डुइंग बिज़नेस रिपोर्ट (डीबीआर) में भारत की ग्लोबल रैंकिंग

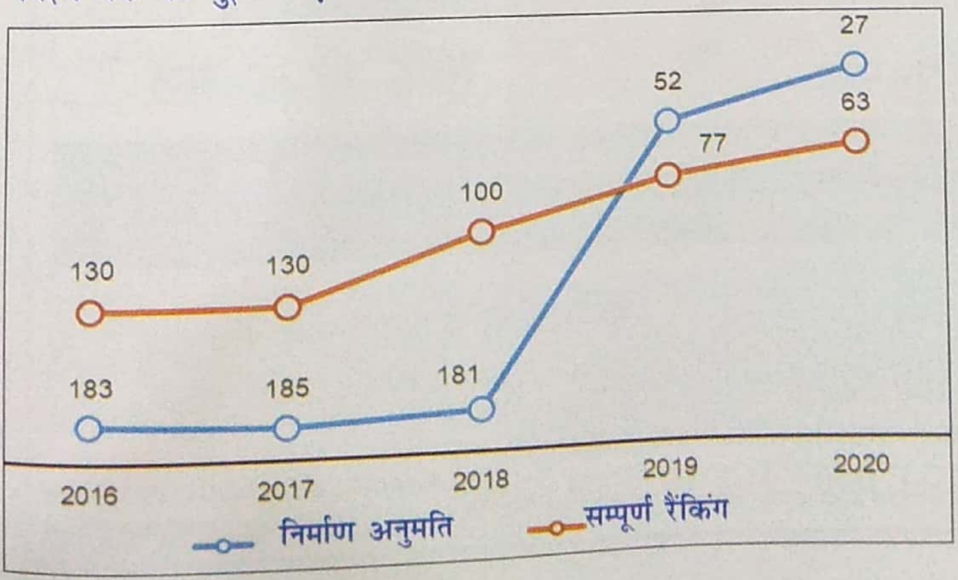

आगे का रास्ता

भारत सरकार एक ऐसे नए भारत के निर्माण के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है, जहां नगर और उपनगर आर्थिक विकास के आधार के रूप में कार्य करेंगे। जीवनयापन में आसानी, प्रगतिशील शासन, स्वच्छ और स्थायी वातावरण, तेजी से आर्थिक विकास और नागरिकों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना, आदि ऐसे लक्ष्य हैं, जिनकी पहचान एक जीवंत शहरी भारत के लिए की गई है। मंत्रालय एक व्यापक, समावेशी, भागीदारी पूर्ण और डेटा-संचालित दृष्टिकोण के साथ, भविष्य के शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य स्मार्ट शहरों और अन्य सभी मिशनों से मिले अनुभवों का इस्तेमाल शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए करना है ताकि उन्हें 5 ट्रिलियन (50 खरब) अमरीकी डालर मूल्य की अर्थव्यवस्था और नए भारत के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा के लिए तैयार किया जा सके। ❑

संदर्भ

1. मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीटयूट (2010)। इंडियाज अर्बन अवेक्निंग : बिल्डिंग इन्क्लुसिव सिटीज, सस्टेन इकोनोमिक ग्रोथ। मैकिन्से एंड कंपनी।
2. शहरी विकास मंत्रालय (2011) उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) की रिपोर्ट
3. केंद्रीय बजट 2019-20, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. केंद्रीय बजट 2020-21, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. संयुक्त राष्ट्र, डीएसए, जनसंख्या प्रभाग (2018)। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स : द 2018 रिविजन।
6. आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17, 2018-19, 2019-20)। भारत सरकार, नई दिल्ली।

Scanned with CamScanner

भारत में परिवहन की आधारभूत संरचना

जी रघुराम

पिछले कई वर्षों से रेल, सड़क, वायु और जल परिवहन जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और क्षमता में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी), उच्च गति रेल (एचएसआर), एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), हवाई अड्डों में सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) इत्यादि परियोजनाएं इसके परिणाम हैं। बजट में इस बारे में हमेशा की तरह समुचित घोषणाएं की गयी हैं मगर उनके अमल पर ध्यान देने की जरूरत है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आधारभूत संरचना वाले भाग की शुरुआत मुख्य तौर पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के जिक्र से की। पांच साल की एनआईपी पर 102.51 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। इस रकम में से परिवहन की आधारभूत संरचना में 19.64 लाख करोड़ रुपये सड़कों, 13.69 लाख करोड़ रुपये रेलवे, 1.43 लाख करोड़ रुपये हवाई अड्डों और 1.01 लाख करोड़ रुपये बंदरगाहों के लिये रखे गये हैं। इसके अलावा शहरी और आवासीय क्षेत्र में मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की सड़कों तथा कृषि क्षेत्र में भंडारण की आधारभूत संरचना और प्रशीतित माल ढुलाई पर होने वाले खर्च का भी परिवहन से सीधा संबंध है।

एनआईपी पर निवेश में सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का हिस्सा 36 प्रतिशत है। अन्य संबंधित निवेशों को जोड़ दें तो यह हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। इस तरह देखा जाये तो एनआईपी में सबसे महत्वपूर्ण निवेश परिवहन की आधारभूत संरचना पर ही किया जायेगा।

एनआईपी में निवेश का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा (19.5 लाख करोड़ रुपये) 2020-21 में ही खर्च किया जाना है। केन्द्रीय बजट में इसके वास्ते परिवहन मंत्रालयों के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शहरी परिवहन और ग्रामीण सड़कों में से हरेक के लिये 0.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। बाकी रकम अंदरूनी स्रोतों, ऋण तथा सरकारी और निजी निवेश से लायी जायेगी। इस तरह से वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण है कि नीति की दिशा संवहनीय और धन का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से हो।

सड़क क्षेत्र में नीतिगत जोर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मौजूदा 1.3 लाख किलोमीटर से बढ़ा कर 2.0 लाख किलोमीटर करने पर है। एक्सप्रेसवे बनाने तथा इलेक्ट्रॉनिक पथ कर वसूली और यातायात नियंत्रण के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण और राजमार्गों के 13000 किलोमीटर के हिस्से के उन्नयन पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र ने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी), हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) और टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) जैसे पीपीपी के विभिन्न स्वरूपों

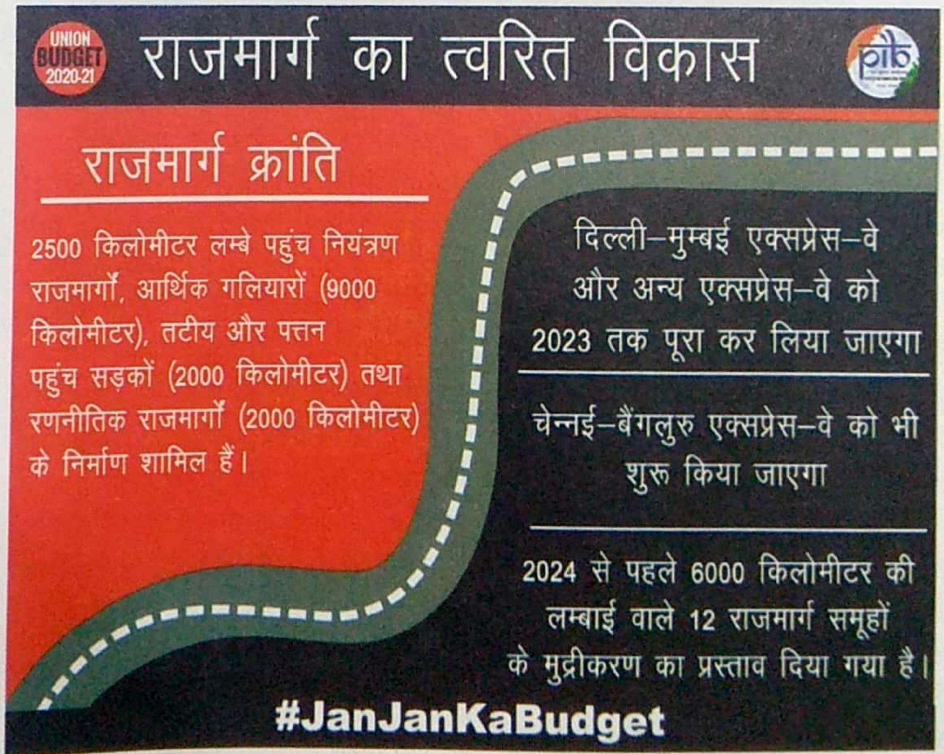

लेखक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बेंगलूरु के निदेशक हैं। वे आधारभूत संरचना और परिवहन प्रणाली तथा प्रचालन तंत्र और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। ईमेल: graghu@iimb.ac.in

Scanned with CamScanner

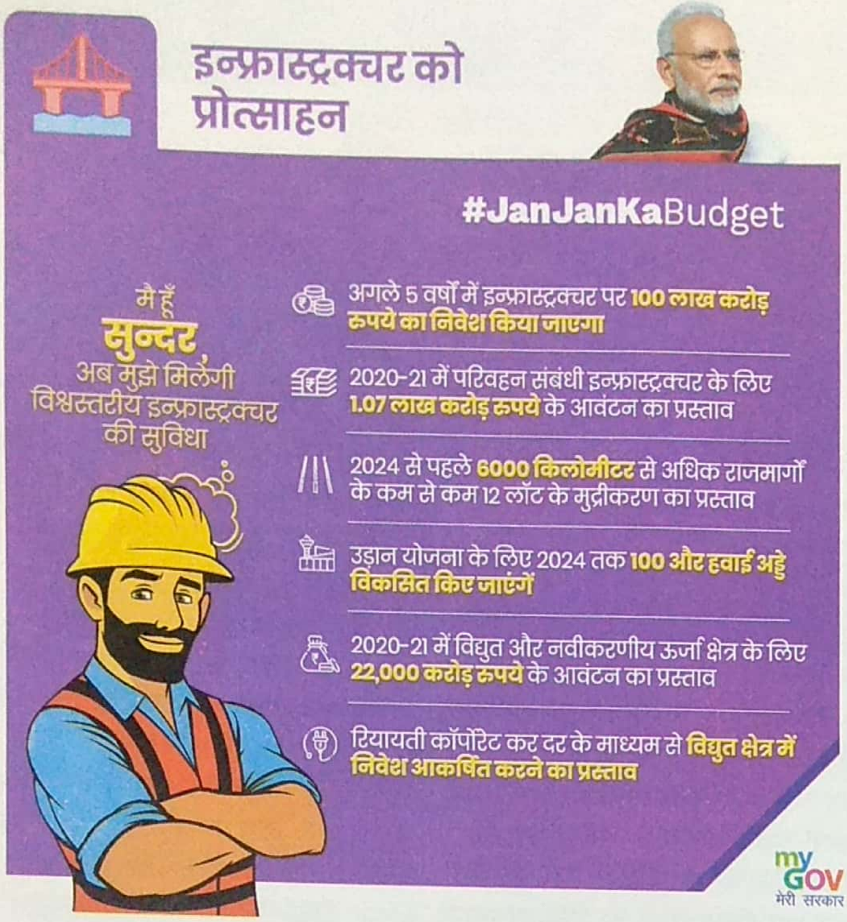

के साथ प्रयोग किया है जिससे ज्यादा संख्या में परियोजनाएं शुरू की जा सकी हैं। लेकिन सड़क क्षेत्र अब भी भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय अनुमतियों से संबंधित अड़चनों का सामना कर रहा है। इससे परियोजनाएं रुक जाती हैं और उनके पूरा होने में लगने वाला समय बढ़ जाता है। इस वजह से कई परियोजनाएं ऋणदाता संस्थानों के लिये गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गयी हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं के लिये सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर अब तक विस्तार से गौर नहीं किया गया है। पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में हमारी दिशा पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की लगती है। लेकिन इस दिशा में प्रयास में अब तक तेजी नहीं आयी है।

रेल क्षेत्र में पिछले कुछ अरसे में सुधारों की दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये हैं। यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी का विचार स्वागत योग्य है और इस सुधार को बहुत पहले ही कर लिया जाना चाहिये था। सड़क, वायु और जल परिवहन सेवाएं पारंपरिक तौर पर निजी क्षेत्र के हाथों में हैं मगर रेल सेवा में ऐसा होना अभी बाकी है। इस तरह के सेवा प्रदाताओं के आने से भौतिक आधारभूत संरचना क्षेत्र में उन्नयन की जरूरत और जवाबदेही बढ़ेगी जो अच्छी बात है। दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन इस दिशा में आधी-अधूरी शुरुआत है। इन ट्रेनों का संचालक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) दरअसल भारतीय रेलवे का सहायक उपक्रम है और उसे संचालन प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया से नहीं दिया गया। कुल 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने का लक्ष्य स्वागत योग्य है। लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि अधिकार के समझौते और बोली की प्रक्रियाएं कितनी अच्छी तरह संपन्न की जाती हैं। ग्राहक सेवा और संपत्ति के मूल्य में सुधार के जरिये रेलवे स्टेशनों से फायदा लेने की बात कई वर्षों से की जा रही है। कुछ स्टेशनों पर इस दिशा में शुरुआत की गयी है। अगर 750 स्टेशनों को इस ढंग से विकसित किया जाना है तो इन प्रयासों में तेजी लानी होगी।

कामगारों के विभिन्न संवर्गों के विलय का भी स्वागत किया जाना चाहिये। विभागों के बीच अवरोध खत्म करने के लिये इसकी बात चार दशकों से भी ज्यादा समय से की जाती रही है। इस दौरान कई समितियों ने भी संवर्गों के विलय की सिफारिश की है। लेकिन इसका अंदरूनी विरोध अब भी जारी है। बहस इस बात पर चल रही है कि क्या सभी संवर्गों का विलय कर दिया जाये या फिर कम-से-कम शुरुआत में इस संबंध में बीच की कोई स्थिति बेहतर होगी।

रेलवे में प्रौद्योगिकी और क्षमता में सुधार पर अरसे से जोर दिया जा रहा है। डीएफसी और एचएसआर से संबंधित परियोजनाएं इसका परिणाम हैं। अर्द्ध उच्च गति रेल गलियारों के लिये भी प्रस्ताव हैं। मगर मौजूदा गलियारों में उनकी वास्तविक प्रभावशीलता को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। पश्चिमी और पूर्वी डीएफसी का निर्माण चल रहा है और उनके कुछ हिस्से चालू भी हो चुके हैं। इन गलियारों के 2022 तक पूरी तरह चालू हो जाने की संभावना है। इससे ज्यादा मांग वाले मार्गों पर रेलवे के जरिये माल ढुलाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक समांतर मार्गों पर यात्री ट्रेनों की क्षमता में भी सुधार आयेगा। इस संबंध में एक मुद्दा यह भी है कि डीएफसी पर यातायात बढ़ाने के लिये कीमतों और पटरी के उपयोग के शुल्कों का किस तरह सर्वश्रेष्ठ समायोजन किया जाये। डीएफसी मानकों के उपयोग के लिये डिब्बों की उपलब्धता चिंता का एक अन्य विषय है। इस तरह के डिब्बे विशुद्ध डीएफसी में उपयोगी होंगे मगर पारंपरिक रेल पटरियों पर उन्हें चलाने में दिक्कत आयेगी। नये समर्पित गलियारे बनाये जाने की भी योजना है मगर इनका काम मौजूदा डीएफसी के अनुभवों के आधार पर शुरू किया जायेगा।

अहमदाबाद और मुंबई के बीच समर्पित गलियारे के तौर पर एचएसआर का निर्माण चल रहा है। इस मार्ग पर जापानी बुलेट ट्रेन की तरह की ट्रेनें अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इससे इन दोनों शहरों के बीच ट्रेन के जरिये यात्रा में लगने वाला न्यूनतम समय छह घंटों से घट कर दो घंटे रह जायेगा। अन्य एचएसआर गलियारों की योजना भी बनायी जा रही है लेकिन इस दिशा में काम पहले गलियारे के अनुभव पर निर्भर करेगा।

कुल मिला कर देखें तो भारतीय रेलवे में अनेक पहलकदमियां ली गयी हैं। लेकिन

Scanned with CamScanner

पीपीपी को कैसे बढ़ावा मिले और डिब्बों के स्वदेश में निर्माण के लिये अनुसंधान और विकास पर किस तरह ध्यान केन्द्रित किया जाये इस बारे में अब तक स्पष्टता नहीं है। ये दोनों पहलू भारतीय रेलवे के लगातार आधुनिकीकरण के लिये महत्वपूर्ण हैं। अगले पांच वर्षों में यातायात में रेलवे का हिस्सा कम-से-कम 40 प्रतिशत तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका होगी। पर्यावरण की संवेदनशीलता के लिहाज से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर यातायात में रेलवे की हिस्सेदारी को इस स्तर तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है।

विमान पत्तन क्षेत्र में दो पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। पहला, देश के चोटी के 30 हवाई अड्डों पर मुख्य तौर से पीपीपी के जरिये क्षमता और सेवा के स्तर को बढ़ाना। दूसरा, हवाई अड्डों की संख्या लगभग 100 तक बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि दूसरे और तीसरे दर्जे के सभी शहरों के अपने विमान पत्तन हों। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नियंत्रण वाले पांच हवाई अड्डों में बीओटी आधार पर पीपीपी लाने में शुरुआती कामयाबी मिली है। लेकिन अधिकार समझौतों की प्रक्रिया और व्याख्या को लेकर कई सवाल भी उठाये गये जिससे पीपीपी को आगे बढ़ाने में दस साल का व्यवधान आ गया। इसके बाद 2016 से राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को बीओटी आधार पर दिया जा रहा है। इस बीच एएआई के जिन हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया उन्हें अब ओएमटी आधार पर पीपीपी में दिया जा रहा है। छह हवाई अड्डों को इस आधार पर पीपीपी में लाया गया और अन्य के लिये यह प्रक्रिया जारी है। निचले दर्जे के शहरों के लिये हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने में व्यावहारिकता का सवाल आड़े आता है। ऐसे हवाई अड्डों के लिये पीपीपी जुटाना मुश्किल होगा हालांकि व्यावहारिकता अंतर मिटाने के लिये वित्तीय सहायता या सब्सिडी से इस अड़चन को दूर किया जा सकता है। आखिरी विकल्प के तौर पर एएआई तो है ही मगर उसने भी घाटे वाले कई हवाई अड्डों के प्रबंधन को लेकर चिंता जतायी है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इतने हवाई अड्डे जरूरी हैं। क्या कुछ स्थानों पर हवाई अड्डा बनाने के बजाय उन्हें पड़ोसी विमान पत्तनों से सड़क परिवहन संपर्क के जरिये जोड़ा नहीं जा सकता?

बंदरगाह क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना सागरमाला का काम निर्धारित रफ्तार से नहीं चल रहा। पर्यावरण से जुड़ी समस्या के अलावा वास्तविक मामला परियोजना की प्रकृति और जरूरत का हो सकता है। बंदरगाहों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये आधुनिकीकरण और बेहतर संयोजकता के वास्ते आधारभूत संरचना की जरूरत है। विशेष उद्देश्यों को छोड़ दें तो नये स्थानों पर बंदरगाह बना कर क्षमता विस्तार की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। केन्द्र सरकार के बड़े बंदरगाहों में पीपीपी काफी हद तक आ चुकी है। राज्य सरकारों के बंदरगाहों का निजीकरण और अधिक हुआ है। वास्तव में कंटेनर के क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा क्षमता की स्थिति भी आ सकती है। बिजली क्षेत्र कोयले को त्याग ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। इसलिये कम-से-कम कोयले के संबंध में यह स्थिति पैदा हो ही सकती है। प्रतिबंधात्मक अधिकार समझौतों की वजह से पहले की कुछ पीपीपी परियोजनाएं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहीं। नियामक व्यवस्था के पुनर्गठन की बात एक अरसे से चल रही है और इस काम में तेजी लायी जानी चाहिये। खास तौर से रेल के जरिये जमीन पर संयोजकता में डीएफसी और भारतीय बंदरगाह रेल निगम लिमिटेड (आईपीआरसीएल) के गठन से सुधार आने की संभावना है। रेलवे और बंदरगाहों के बीच तालमेल में सुधार के लिये आईपीआरसीएल का गठन 2015 में किया गया था।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की सफलता के बाद 12 अन्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन की आधारभूत संरचना के रूप में मेट्रो रेल शुरू की जा रही है। कुछ शहरों में मेट्रो रेल के सिर्फ एक या दो मार्ग हैं। ऐसे में यह देखने की बात है कि क्या इन सभी शहरों में मेट्रो रेल का उल्लेखनीय प्रभाव होगा। शहर के अंदर अच्छी संयोजकता के लिये आम तौर पर मेट्रो मार्गों का एक नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिये। बड़े महानगरों में चूंकि इस तरह के नेटवर्क बनाये जा रहे हैं इसलिये वे मेट्रो से लाभान्वित होंगे। मेट्रो रेल में हैदराबाद को छोड़ कहीं भी पीपीपी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी है। इसे समझा जा सकता है क्योंकि मेट्रो के निर्माण और संचालन में सरकारी जटिलता निजी पक्षों के लिये बहुत कठिन है। शहरी

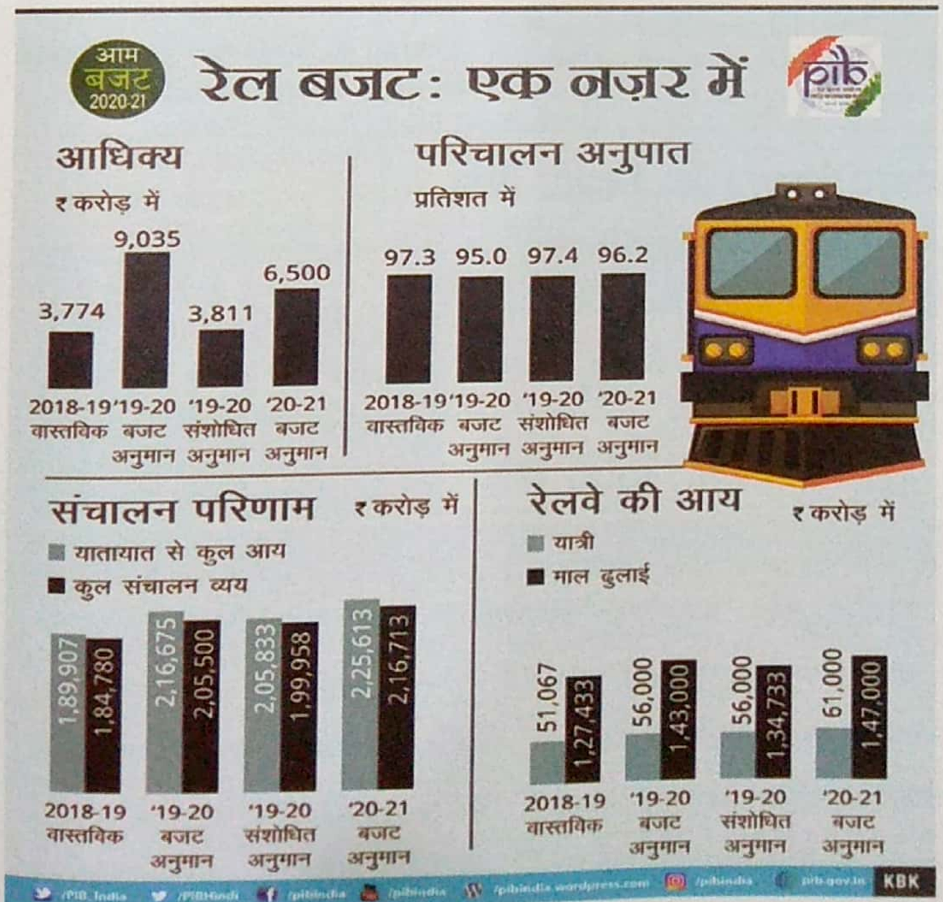

Scanned with CamScanner

परिवहन के लिये मेट्रो के साथ अन्य साधनों की पूरी संयोजकता अब तक स्थापित नहीं की जा सकी है। दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में सार्वजनिक परिवहन की योजना बनाते समय पर्यावरण पर प्रभाव को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। बस गलियारों और बसों के आकार के बारे में योजना समुचित ढंग से बनायी जानी चाहिये। यात्रा के तौर-तरीकों के बारे में विश्लेषणात्मक आंकड़ों से इस काम में काफी मदद मिलेगी।

ग्रामीण सड़क की आधारभूत संरचना में पिछले दो दशकों में काफी सुधार आया है। बजट में इसके लिये आवंटन जारी रखने की नीति अच्छी है। ग्रामीण सड़कें बेशक विकसित हो रही हैं मगर कृषि आपूर्ति श्रृंखला में अवसरों का पूरा इस्तेमाल किया जाना अभी बाकी है। प्रशीतित श्रृंखला पर ध्यान दिया जाना और किसान रेल की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। बहुविध संयोजकता के साथ रेल आधारित माल ढुलाई से स्वदेश में बिक्री और निर्यात के लिये कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ सकती है।

बेशक बजट में हमेशा की तरह समुचित घोषणाएं की गयी हैं मगर अमल पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं किया गया तो हमें भविष्य में भी इसी तरह की घोषणाएं जारी रखनी होंगी। परियोजनाओं में देरी के बारे में निम्नलिखित आंकड़े खराब अमल का सबूत पेश करते हैं। (सारणी-1)

सारणी-1

क्षेत्र	निगरानी के लिये ली गयी परियोजनाएं	देर से पूरी होने वाली परियोजनाएं
सड़क परिवहन और राजमार्ग	866	221
रेलवे	312	150
नागरिक उड्डयन	13	5
जहाजरानी और बंदरगाह	1	1
कुल	**1192**	**377**

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजना निगरानी विभाग की 150 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा की केन्द्रीय परियोजनाओं पर 408वीं फ्लैश रिपोर्ट, नवंबर 2019

उपरोक्त फ्लैश रिपोर्ट में परियोजनाओं में देरी के कारणों को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार ''परियोजनाओं को लागू करने वाली विभिन्न एजेंसियों ने इनमें देरी के जो कारण गिनाये हैं उनमें भूमि अधिग्रहण में देरी, वन/पर्यावरण मंजूरी मिलने में विलंब, आधारभूत संरचना लिंकेज का अभाव, वित्त प्रबंध में देरी, विस्तृत इंजीनियरी को अंतिम रूप देने में विलंब, दायरे में बदलाव, निविदा, उपकरणों के लिये आदेश देने और उनकी आपूर्ति में देरी, कानून और व्यवस्था की समस्याएं, भूवैज्ञानिक आकस्मिक परिघटनाएं, शुरुआती रुकावटें और अनुबंध से संबंधित मसले शामिल हैं।''

लिंक: http://www.cspm.gov.in/english/flr/Fr_nov_Report_2019.pdf, पृष्ठ 11

इन कारणों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन असली चुनौती इनका पूर्वानुमान लगा कर समाधान मुहैया कराने की है। मौजूदा बजट में एक परियोजना निर्माण सुविधा का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों को सक्रियता से शामिल किया जायेगा। इस तरह की भागीदारी की बात करना आसान और इसे अमल में लाना मुश्किल है। हमें इस पहलकदमी के लिये जागरूकता पैदा करने के तौर-तरीके की तलाश करनी होगी। सागरमाला और आईपीआरसीएल जैसे संरचनात्मक समाधानों का इस्तेमाल सही संदर्भों में किया जा सकता है। अधिकार समझौतों और अनुबंधों को ज्यादा स्पष्ट और लचीला बनाने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अंत में, हल्के विनियमन और परिपक्वता की जरूरत को देखते हुए नियामकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ❑

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	पीआईबी, अखंडानंद हॉल, तल-2, मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079-26588669

Scanned with CamScanner

उद्योग परिदृश्य

डॉ रंजीत मेहता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक सशक्त अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है; इसलिए केंद्रीय बजट 2020-21 में इन उद्यमों के लिए ऋण सुलभता और तैयार नकदी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने के बारे में आश्वासन के जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए भी बजट में ठोस संदेश है। इनमें कंपनी अधिनियम का भेदभाव समाप्त करने, अन्य कानूनों की समीक्षा, अनुबंध अधिनियम को दुरुस्त करना, अनावश्यक परेशानी रोकने के लिए कर दाता चार्टर तैयार करने जैसे आश्वासन शामिल हैं।

बजट में ऐसे अनेक विकल्प और उपाय दिए गए हैं, जिन्हें अमल में लाए जाने पर भारत की आर्थिक नीति में आमूल-चूल परिवर्तन आ सकता है। वित्त मंत्री ने पहली फरवरी 2020 को मौजूदा सरकार के इस कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। भारत सरकार ने 2020-21 में 30,42,230 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव रखा है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7 प्रतिशत अधिक है। विनिवेश से अधिक अनुमानित राजस्व के कारण प्राप्तियों (निवल उधारी के अलावा) के 16.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 22,45,893 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। सरकार ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत (वास्तविक वृद्धि +मुद्रास्फीति) वृद्धि दर का अनुमान रखा है। 2019-20 के लिए सामान्य वृद्धि दर अनुमान 12 प्रतिशत था।

राजस्व घाटा जीडीपी के 2.7 प्रतिशत रखे जाने का लक्ष्य है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमान 2.4 प्रतिशत से अधिक है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखा गया है, यह 2019-20 के 3.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से नीचे है। सरकार को 2019-20 में राजकोषीय घाटे (3.3 प्रतिशत) के बजटीय लक्ष्य और 2020-21 में 3 प्रतिशत के मध्यम अवधि राजकोषीय लक्ष्य को पार कर जाने का अनुमान है। इसमें बजट से बाहर की उधारियां (2020-21 में जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) शामिल नहीं है। हालांकि 0.5 प्रतिशत का विचलन, 2019-20 के संशोधित अनुमान और 2020-21 के बजटीय अनुमान दोनों के लिए, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुरूप है। (एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(2) अर्थव्यवस्था में गैर-अनुमानित राजकोषीय प्रभाव के साथ संरचनात्मक सुधार के कारण अनुमानित राजकोषीय घाटे से विचलन के लिए उत्प्रेरक तंत्र का प्रावधान करता है)।

वित्त मंत्री ने कृषि, आरोग्य और शिक्षा पर काफी बल दिया है। ये तीनों क्षेत्र आबादी के एक बड़े हिस्से के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कृषि क्षेत्र में बदलाव का संकल्प इस क्षेत्र के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये के संवर्द्धित आवंटन में नजर आता है। नील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल जल/मत्स्यपालन क्षेत्र को संगठित करने और पूरी मूल्य श्रृंखला की दिशा में एक रणनीतिक उपाय है। यह

लेखक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक हैं। ईमेल : ranjeetmehta@gmail.com

Scanned with CamScanner

पिछले बजट से एक कदम आगे बढ़ना है, जिसमें इस क्षेत्र के नियमन के लिए मत्स्य पालन विकास बोर्ड सृजित किया था। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्रीय एजेंडा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी अस्पतालों के अंतर को पाटने के लिए कोष व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में संभावित बदलाव के साथ नई शिक्षा नीति बजट के प्रमुख अवयव हैं, जिनसे रोज़गार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कंपनी अधिनियम का भेदभाव समाप्त करने, अन्य कानूनों की समीक्षा, अनुबंध अधिनियम को दुरुस्त करना, अनावश्यक परेशानी रोकने के लिए कर दाता चार्टर तैयार करने जैसे आश्वासनों से बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के बारे में लोगों का विश्वास और भरोसा बहाल करने का भी मजबूत संकेत बजट में है।

सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए स्टार्टअप उद्यमों के योगदान को भी महत्व दिया है। इसके लिए कर्मचारियों और कामगारों को महत्व देते हुए ईएसओपी में 5 वर्ष के लिए कर छूट, 100 करोड़ टर्नओवर वाले स्टार्टअप उद्यमों के लिए कर को तर्कसंगत बनाने और स्टार्टअप आईपीआर के लिए डिजिटल प्लेटफार्म जैसे प्रोत्साहन दिए गए हैं। कारोबार करना आसान बनाने के लिए एनआईआरवीआईके (निर्यात ऋण विकास योजना), लाभांश वितरण कर हटाए जाने और जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने जैसे उपायों से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सशक्त अर्थव्यवस्था की जीवनी शक्ति हैं। इसलिए बजट में इन व्यवसायों के लिए ऋण तक पहुंच और तैयार नकदी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को लघु और मध्यम उद्यम के लिए इन्वायस आधारित वित्त व्यवस्था में सक्षम बनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र में भरोसा बढ़ेगा। एकीकृत खरीद चैनल के रूप में सरकारी ई-मार्केट के विस्तार से अधिक विक्रेता (मौजूदा 3.2 लाख से अधिक) इस प्लेटफार्म से जुड़ेंगे।

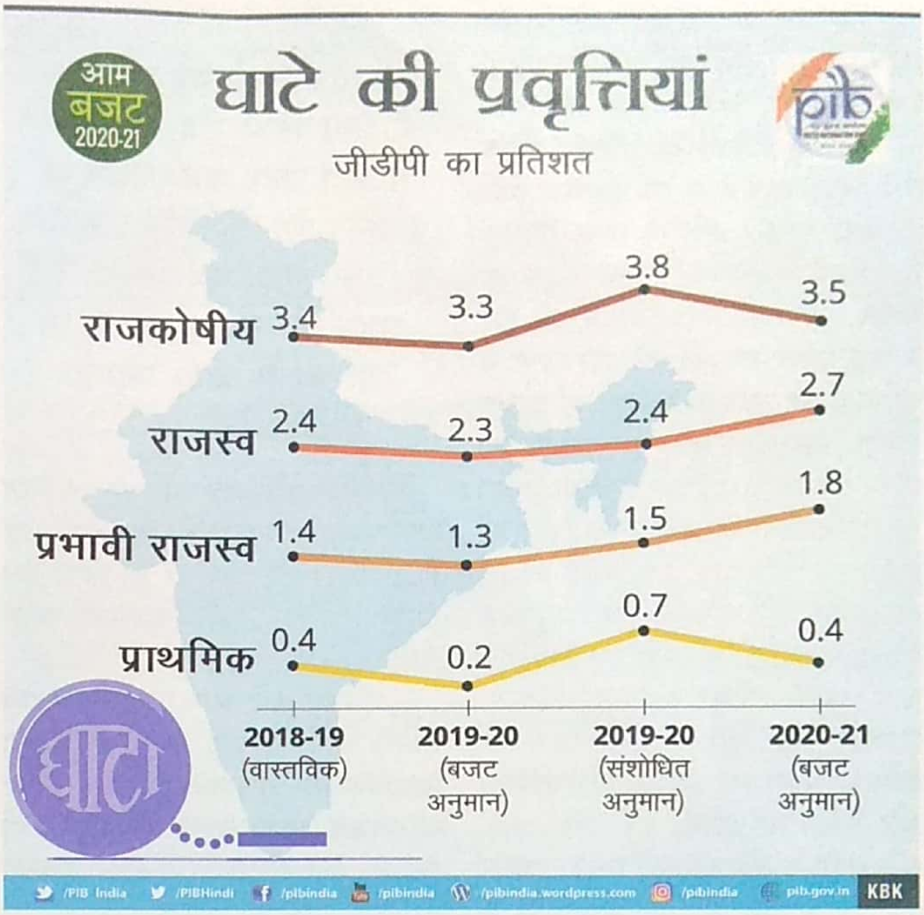

ऋणदाताओं के लिए ऋण वसूली के संदर्भ में, छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण वसूली ट्राइब्यूनल (डीआरसी) तक पहुंचने की अनुमति से फंसे ऋण की समस्या कम होगी और आस्तियों की गुणवत्ता बढ़ेगी।

शहरी केंद्रों को विकास का संवाहक मानते हुए और निजी क्षेत्र की भूमिका को महत्व देते हुए बजट में 5 स्मार्ट सिटी विकसित करने, इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण बढ़ाने तथा सौर बुनियादी ढांचा, अधिक रेलगाड़ियां, हवाई अड्डे और डेटा सेंटर पार्क को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विकसित करने का प्रस्ताव है। बजट में कर प्रस्तावों का उद्देश्य भरोसा बढ़ाना, निश्चितता सुनिश्चित करना, निवेश आकर्षित करना और कानूनी मामलों की संख्या में कमी लाना है।

कर प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं जिनका खासतौर पर उल्लेख किया जाना है, उनमें शामिल हैं - निचली आय वर्ग के व्यक्तिगत कर दाताओं के लिए कर दरों में कमी, लाभांश वितरण कर समाप्त किया जाना, लाभांश पर कर छूट, सोवरन वेल्थ फंड द्वारा ब्याज और पूंजी लाभ निवेश, बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए कर छूट व्यवस्था का विस्तार, एमएसएमई के लिए अनुपालन संबंधी रियायती और कर विवाद मामलों के समाधान की योजना। अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में ऑनलाइन रिफंड प्राप्त करने की प्रणाली के विकास से निर्यातकों को राहत मिलेगी।

2020-21 का बजट आकांक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक देखभाल के प्रमुख विषयों के साथ सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है। इन तीन व्यापक विषयों को निम्नांकित उपायों से एकजुट किया जा सकता है।

- भ्रष्टाचार मुक्त, नीति आधारित कुशल प्रशासन
- भ्रष्टाचार मुक्त सबल वित्तीय क्षेत्र
- सुगम जीवन

क) आकांक्षी भारत

इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार तक पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। विकास के लिए आकांक्षी भारत के तीन प्रमुख अवयव हैं - कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, आरोग्य, जल और स्वच्छता तथा शिक्षा और कौशल विकास।

इन तीन अवयवों के विकास के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना के साथ 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 16 सूत्रीय कार्य योजना में शामिल हैं-

Scanned with CamScanner

नील अर्थव्यवस्था, किसान रेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर कृषि उड़ान, बागवानी क्षेत्र में बेहतर विपणन और निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिला, जैविक खेती पोर्टल, शून्य बजट की प्राकृतिक खेती, 20 लाख किसानों के लिए अलग सौर पंप के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार, अन्य 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े उनके पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए सहायता, किसानों को भंडारण सुविधा और लागत कम करने के उद्देश्य से स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित ग्रामीण भंडार योजना, और दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके जरिए 0.5 करोड़ परिवारों को गरीबी दूर करने के लिए 58 लाख स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।

ख) सबके लिए आर्थिक विकास: ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' इस भाग में उद्योग, वाणिज्य और निवेश शामिल हैं।

आरंभ से अंत तक सुविधा और सहयोग प्रदान करने और पोर्टल के जरिए कार्य के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव है।

> **नई प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए निजी क्षेत्र को देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाने की अनुमति देने की नीति प्रस्तावित है। एक लाख ग्राम पंचायतों को भारत-नेट फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा।**

टेक्निकल टेक्सटाइल में भारत को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए 2020-21 से 2023-24 तक चार वर्ष की क्रियान्वयन अवधि के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन।

अधिक निर्यात ऋण वितरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई योजना निर्यात ऋण विकास (एनआईआरवीआईके) शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से अधिक बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कटौती, दावों के निपटान के लिए सरल प्रक्रिया, सरकारी ई-मार्केटप्लेस का टर्नओवर तीन लाख करोड़ तक ले जाने का प्रस्ताव है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में संशोधन की योजना शुरू की जाएगी। सभी मंत्रालयों को 'जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट' निर्माण का गुणवत्ता मानक निर्देश जारी करना होगा।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र - अगले 5 वर्ष में एक सौ लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाने हैं।

- राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और जलमार्ग, हवाई अड्डों, विद्युत और ऊर्जा तथा नई अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना है। वर्ष 2020-21 के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये परिवहन बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा संबंधी कार्य- 1.3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं, 31 दिसंबर, 2019 को शुरू की गईं। विभिन्न क्षेत्रों में 6500 से अधिक परियोजनाओं का उनके आकार और विकास चरण के अनुसार वर्गीकरण किया जाना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और प्रमुख नियामकों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्दी ही जारी की जाएगी। सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट शुरू किया जाएगा। रोज़गार सृजन, कौशल विकास और एमएसएमई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए निजी क्षेत्र को देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाने की अनुमति देने की नीति प्रस्तावित है। एक लाख ग्राम पंचायतों को भारत-नेट फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

स्टार्ट अप उद्यमों के लिए निर्बाध अनुप्रयोग और बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्राप्ति के लिए डिजिटल प्लेटफार्म गठित करने का प्रस्ताव है। नए और उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जानकारी और अनुभव साझा करने और व्यावहारिक रूप देने के लिए समुदाय समूह गठित किए जाएंगे। अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप रेखा प्रदान करने के लिए और प्रौद्योगिकी समुदाय समूहों को और उन्नत बनाने के लिए निर्माण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। व्यापक डेटा बेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की दो नई विज्ञान योजनाएं शुरू की जाएंगी। बिल्कुल शुरुआती चरण के स्टार्ट अप उद्यमों के विकास के लिए आरंभिक निधि सहयोग प्रस्तावित है।

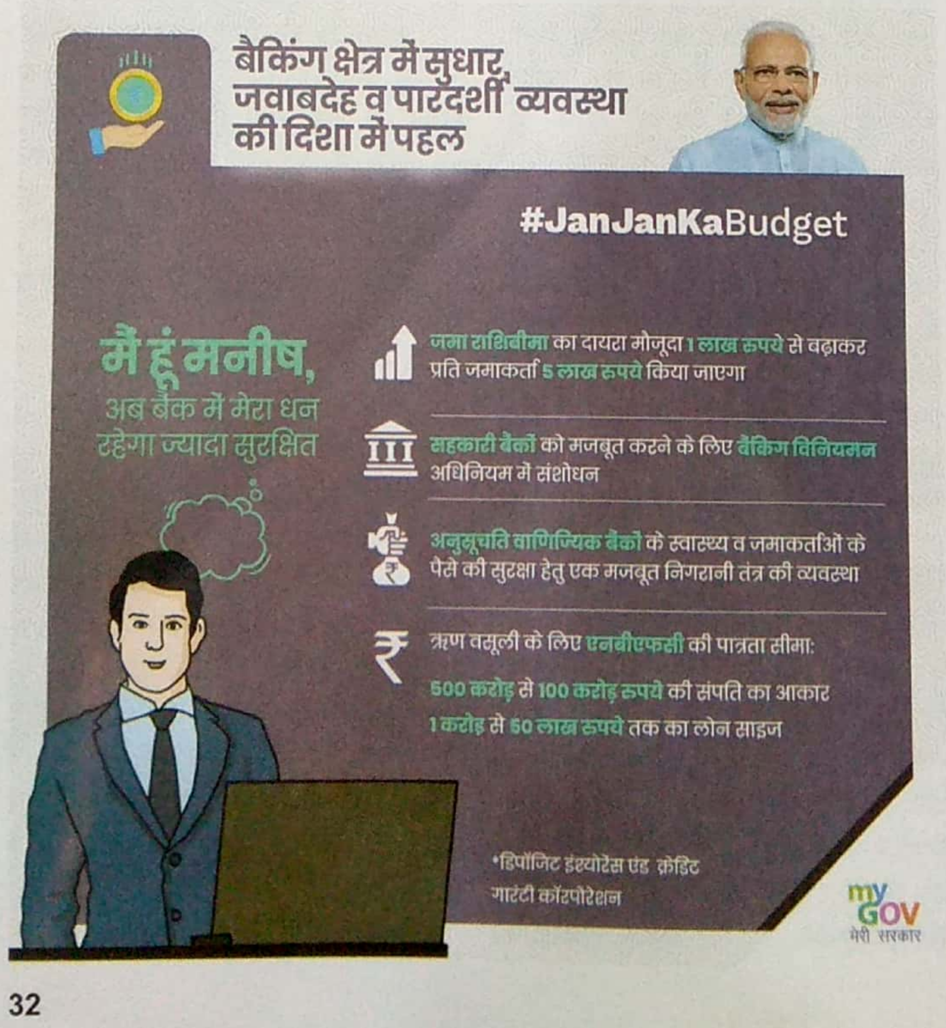

Scanned with CamScanner

ग) सामाजिक देखभाल (जिम्मेदार समाज)

सामाजिक देखभाल में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों, सामाजिक कल्याण, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा।

संस्कृति और पर्यटन

- पर्यटन संवर्धन के लिए 2020-21 में 2500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान का प्रावधान।
- स्थल संग्रहालय सहित 5 पुरातत्व स्थलों का प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकास।
- राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात), अदिचन्नलूर (तमिलनाडु)।
- जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता का रीक्यूरेशन
- न्यूमिस्मैटिक्स एंड ट्रेड म्युजियम का कोलकाता के ऐतिहासिक ओल्ड मिंट बिल्डिंग में स्थानांतरण
- देश के चार अन्य संग्रहालयों का जीर्णोद्धार और रीक्यूरेशन।
- रांची (झारखंड) में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए सहयोग।
- जहाजरानी मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद के निकट हड़प्पाकालीन समुद्री स्थल लोथल में समुद्री संग्रहालय की स्थापना।
- राज्य सरकारें कुछ चुने गए गंतव्य स्थलों के लिए कार्य योजना और वित्तीय योजना तैयार करेंगी, जिसके अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्यों को विशिष्ट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

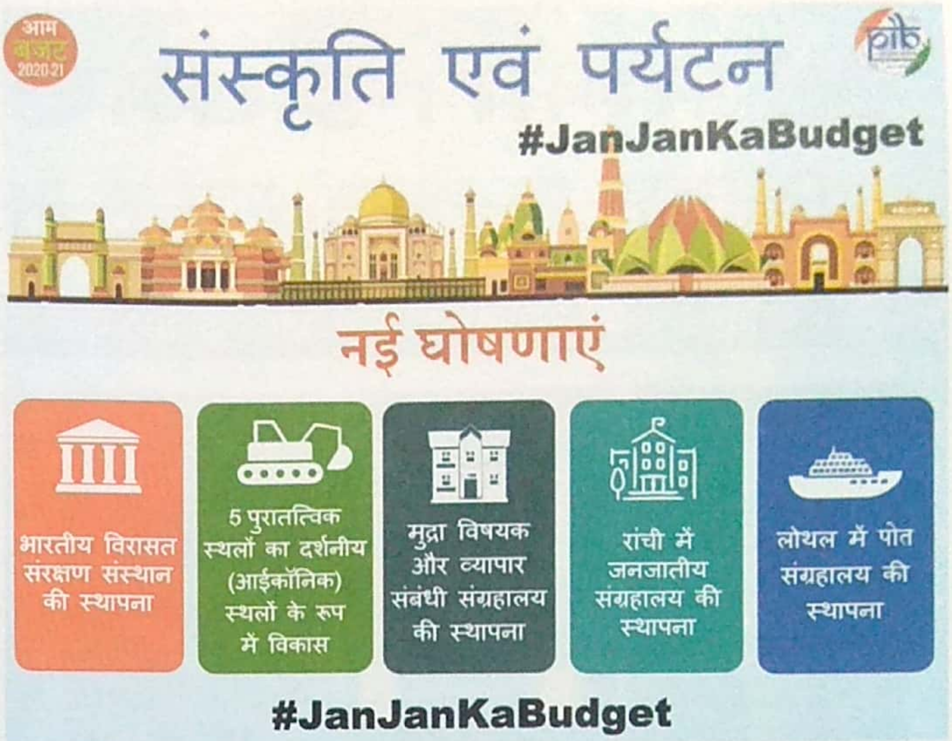

निष्कर्ष के तौर पर बजट नए भारत की आकांक्षाएं पूरी करने की दिशा में सशक्त प्रयास है। लेकिन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सों में एक होगा, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा देने के लिए घोषित उपायों को लागू करना। मौजूदा स्थितियों में वांछित वृद्धि दर हासिल करने का राजकोषीय मार्ग बड़े पैमाने पर लक्षित 20 खरब की विनिवेश कार्यवाहियों पर निर्भर है। राजस्व अनुमानों में कोई भी फिसलन वास्तविक घाटे पर और 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर असर डालेगी। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार सृजन के बेहतर मानकों पर ध्यान केंद्रित किया है और साथ ही जीवन सुगमता, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा ऑटोमेशन, मशीन, लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रगति पर भी ध्यान दिया है। भारत ने अर्थव्यवस्था की मजबूती में सभी क्षेत्रों के योगदान की नीति अपनाई है और डिजिटल क्रांति का खुले मन से स्वागत किया है। कॉर्पोरेट कर घटा कर 22 प्रतिशत किए जाने से अब कंपनियां अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगी और निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ गठित किए जाने से उन्हें फंडिंग में सहयोग मिलेगा। इस बजट में नए स्टार्ट अप उद्यमों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान दिया गया है और इन उद्यमों को निवेशकों से धन प्राप्त करने का मार्ग सरल बनाया गया है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ स्टार्ट अप उद्यमों के लिए 10 वर्ष में से 3 वर्ष तक शत-प्रतिशत लाभ कटौती की अनुमति देकर उन्हें सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और प्रमुख नियामकों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्दी ही जारी की जाएगी। सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट शुरू किया जाएगा। रोज़गार सृजन, कौशल विकास और एमएसएमई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए निजी क्षेत्र को देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाने की अनुमति देने की नीति प्रस्तावित है।

दावों के शीघ्रता से समाधान के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने से निर्यातकों और बीमाकर्ताओं दोनों को लाभ होगा। इससे अधिक बीमा कवर उपलब्ध कराने, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कटौती और दावों के निपटान के लिए सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे निर्यात ऋण को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात बढ़ेगा। एमएसएमई के लिए सहायक ऋण की घोषणा एक सकारात्मक कदम है और इससे इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ होगा। लेखा परीक्षण के लिए वार्षिक टर्नओवर सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ किए जाने से छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। अनुमान है कि बजट रोज़गार को बढ़ावा देगा, उपभोग बढ़ाएगा और भारत में वैश्विक निवेश आकृष्ट करेगा। ❑

Scanned with CamScanner

आयकरदाताओं के लिए विकल्प की पहल

हरवीर सिंह
सुनील कुमार सिंह

वित्त वर्ष 2020-21 का बजट कई मायने में अनूठा है। इसमें प्रत्यक्ष करों से जुड़े कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो देश में पहली बार लागू होंगे। पहली बार आयकर के सात स्लैब बनाए गए हैं। पहली बार टैक्स की दो अलग-अलग व्यवस्थाएं होंगी और करदाता के पास उनमें से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। कर प्रावधानों से नए करदाताओं, पेंशनभोगियों और उद्यमियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आयकर की नई व्यवस्था में कुछ श्रेणी के करदाताओं पर टैक्स का बोझ भी कम होने की संभावना है। इससे उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा रकम होगी। लाभांश वितरण कर (डीडीटी) की व्यवस्था खत्म की गई है, जिससे कंपनियों का मुनाफा बढ़ने और उनके द्वारा नया निवेश करने की उम्मीद की जा सकती है। इन उपायों से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने की संभावना है, जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में पैसे रखने वालों को सुरक्षा देने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाई गई है। फिक्स्ड डिपॉजिट भले ज्यादा रकम की हो, अब तक एक लाख रुपये वापस मिलने की गारंटी थी। इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। बजट के नए प्रस्ताव वित्त वर्ष 2020-21 से लागू होंगे।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आयकर कानून की धारा 115बीएसी के तहत नई टैक्स व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसमें टैक्स स्लैब में काफी बदलाव किए गए हैं। (देखें टेबल)

लोगों के सामने नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। जो लोग पहले की तरह आयकर कानून की धारा 80सी और अन्य धाराओं के तहत छूट और डिडक्शन चाहते हैं, वे पुरानी व्यवस्था में बने रह सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था में छूट और डिडक्शन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। दरअसल, अभी आयकर कानून की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये डिडक्शन का प्रावधान है। इसके अलावा होम लोन पर ब्याज, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि के मद में भी छूट मिलती हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 फीसदी करदाता सभी छूटों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर ये लोग नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो उनकी करदेयता कुछ कम हो सकती है। जिनकी करयोग्य आय पांच लाख रुपये तक है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे चाहें नई व्यवस्था में रहें या पुरानी में, किसी में भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सामान्य करदाता अपना फायदा देखते हुए हर साल नई या पुरानी व्यवस्था में से किसी एक को चुन सकेंगे। हालांकि जिनकी

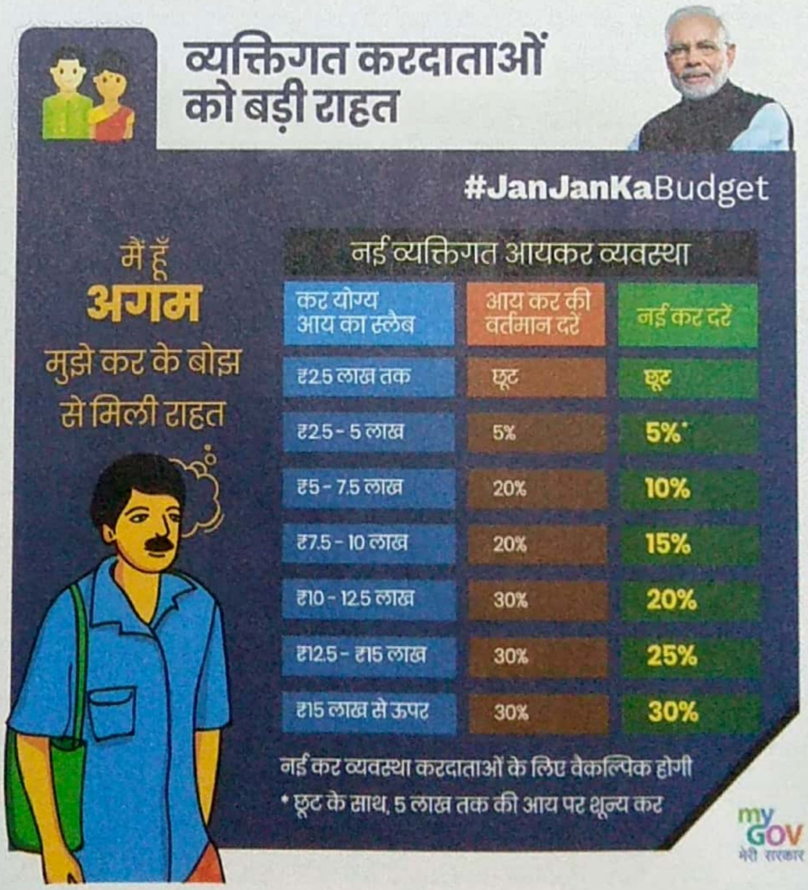

नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था

कर योग्य आय का स्लैब	आय कर की वर्तमान दरें	नई कर दरें
₹2.5 लाख तक	छूट	छूट
₹2.5 - 5 लाख	5%	5%*
₹5 - 7.5 लाख	20%	10%
₹7.5 - 10 लाख	20%	15%
₹10 - 12.5 लाख	30%	20%
₹12.5 - ₹15 लाख	30%	25%
₹15 लाख से ऊपर	30%	30%

नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी
* छूट के साथ, 5 लाख तक की आय पर शून्य कर

हरवीर सिंह आउटलुक (हिंदी) पत्रिका के एडिटर और सुनील कुमार सिंह डिप्टी एडिटर हैं। ईमेल: harvirpanwar@gmail.com

Scanned with CamScanner

आयकर विभाग
ई-फाइलिंग कहीं भी कभी भी
आयकर विभाग, भारत सरकार

आमदनी बिजनेस से होती है, वे सिर्फ एक बार पुरानी से नई व्यवस्था में जा सकेंगे। उन्हें यह विकल्प एक ही बार मिलेगा। युवाओं के लिए यह इस लिहाज से अच्छा है कि उनके कई झंझट कम हो जाएंगे। एक तो उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा, उन्हें टैक्स बचाने के लिए बीमा पॉलिसी या दूसरे विकल्पों में जबरन निवेश करने की जरूरत नहीं होगी। वे अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने हिसाब से निवेश के विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि इसका एक नुकसान यह है कि अर्थव्यवस्था में बचत का अनुपात घट सकता है। हाल के वर्षों में इसमें पहले ही गिरावट देखने को मिल रही है। अभी यह जीडीपी के 30 फीसदी के आसपास है।

ज्यादा वेतन पाने वालों के लिए बजट में एक अहम बदलाव यह है कि कर्मचारी के प्रोविडेंट और पेंशन फंड में नियोक्ता अगर साल में 7.5 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा करता है तो वह रकम कर्मचारी की करयोग्य आय में गिनी जाएगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी के प्रोविडेंड फंड खाते में अगर नियोक्ता वेतन के 12 फीसदी से ज्यादा राशि जमा कराता है तो उस पर टैक्स लगता है। इसी तरह, नियोक्ता कर्मचारी के सुपरएनुएशन फंड में 1.50 लाख रुपये से ज्यादा जमा कराता है तो उसे कर्मचारी का अतिरिक्त लाभ माना जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में नियोक्ता के तौर पर केंद्र सरकार 14 फीसदी और निजी कंपनियां 10 फीसदी तक अंशदान कर सकती हैं। लेकिन अभी तक नियोक्ता की तरफ से इन स्कीमों में योगदान की कोई संयुक्त सीमा नहीं थी। इन माध्यमों में निवेश, आय और भुगतान तीनों स्तरों पर कर में रियायत (ट्रिपल ई) मिलती है। इसलिए ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी अपना वेतन पैकेज इस तरह तय करते हैं कि वेतन का बड़ा हिस्सा इन तीनों फंडों में जमा हो जाए। इससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। इसे रोकने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है कि इन तीनों फंडों में नियोक्ता द्वारा 7.5 लाख रुपये से ज्यादा के अंशदान को कर्मचारी का वेतन मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा।

भारतीय नागरिकों के रेज़िडेंशियल स्टेटस के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार विदेश में रहने वाला कोई भारतीय नागरिक अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान 182 या इससे अधिक दिनों तक भारत में रहता है, तो उसे रेज़िडेंट (निवासी) माना जाएगा। बजट में इसके लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 120 दिन और बीते चार वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहता है तो उसे रेज़िडेंट माना जाएगा और उस पर आयकर के नियम लागू होंगे। बजट के बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि ऐसे लोगों को पूरी ग्लोबल इनकम पर टैक्स

कितनी आय पर कितना देना होगा टैक्स

आय	डिडक्शन	कर योग्य आय (पुरानी)	कर देयता (पुरानी)	कर देयता (नई)	बचत
3,50,000	1,50,000	2,00,000	-	-	-
4,00,000	1,50,000	2,50,000	-	-	-
4,50,000	1,50,000	3,00,000	-	-	-
5,00,000	1,50,000	3,50,000	-	-	-
5,50,000	1,50,000	4,00,000	-	18,200	-18,200
6,00,000	1,50,000	4,50,000	-	23,400	-23,400
6,50,000	1,50,000	5,00,000	-	28,600	-28,600
7,00,000	1,50,000	5,50,000	23,400	33,800	-10,400
7,50,000	1,50,000	6,00,000	33,800	39,000	-5,200
8,00,000	1,50,000	6,50,000	44,200	46,800	-2,600
8,50,000	1,50,000	7,00,000	54,600	54,600	-
9,00,000	1,50,000	7,50,000	65,000	62,400	2,600
9,50,000	1,50,000	8,00,000	75,400	70,200	5,200
10,00,000	1,50,000	8,50,000	85,800	78,000	7,800
10,50,000	1,50,000	9,00,000	96,200	88,400	7,800
11,00,000	1,50,000	9,50,000	1,06,600	98,800	7,800
11,50,000	1,50,000	10,00,000	1,17,000	1,09,200	7,800
12,00,000	1,50,000	10,50,000	1,32,600	1,19,600	13,000
12,50,000	1,50,000	11,00,000	148,200	1,30,000	18,200
13,00,000	1,50,000	11,50,000	1,63,800	1,43,000	20,800
13,50,000	1,50,000	12,00,000	1,79,400	1,56,000	23,400
14,00,000	1,50,000	12,50,000	1,95,000	169,000	26,000
14,50,000	1,50,000	13,00,000	2,10,600	1,82,000	28,600
15,00,000	1,50,000	13,50,000	2,26,200	1,95,000	31,200
15,50,000	1,50,000	14,00,000	2,41,800	2,10,600	31,200
16,00,000	1,50,000	14,50,000	2,57,400	2,26,200	31,200

(सभी आंकड़े रुपये में)

Scanned with CamScanner

देना पड़ सकता है। लेकिन बाद में आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण दिया कि सिर्फ भारत में होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। इस नए प्रावधान से उन लोगों पर अंकुश लगने की उम्मीद है जो सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद से भारत से बाहर रहते हैं।

डिविडेंड पर टैक्स के नियमों में बदलाव

मौजूदा नियमों के अनुसार अगर कोई भारतीय कंपनी किसी को डिविडेंड देती है तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) काटना पड़ता है। बजट में डीडीटी को खत्म कर दिया गया है। अब डिविडेंड पाने वाले व्यक्ति पर उसकी आय के अनुसार टैक्स लगेगा। कंपनियां डीडीटी को खत्म करने की मांग कर रही थीं। म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को जो डिविडेंड देते हैं, उस पर भी यही नियम लागू होगा। इस नियम से कम टैक्स स्लैब वालों को तो बचत होगी, लेकिन ऊंचे टैक्स स्लैब वालों पर करदेयता बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें करीब 43 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार कंपनियों को 15 फीसदी डीडीटी देना पड़ता था। सरचार्ज और सेस मिलाकर यह लगभग 20.5 फीसदी बनता था। इसलिए जिन लोगों की डिविडेंड आय ज्यादा होगी उन्हें अब ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। किसी वित्त वर्ष में डिविडेंड की रकम 5,000 रुपये से अधिक होती है तो म्यूचुअल फंड या कंपनी को उस पर 10 फीसदी टीडीएस काटना होगा।

अफोर्डेबल हाउसिंग के लोन पर अतिरिक्त लाभ

होम लोन पर ब्याज में दो लाख रुपये डिडक्शन का प्रावधान है। फाइनेंस बिल 2019 में प्रावधान किया गया था कि अगर किसी घर की स्टांप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो उस पर होम लोन लेने वाला ब्याज में 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ ले सकता है। इसके लिए शर्त यह थी कि लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के दरम्यान लिया गया हो। बजट में धारा 80ईईए के तहत इस समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यानी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अफोर्डेबल घर खरीदने वाले लोन पर ब्याज के भुगतान में 3.5 लाख रुपये तक डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

टैक्स अधिकारी करदाताओं को परेशान न करें, इसके लिए एक टैक्सपेयर चार्टर बनाया जाएगा। इसे जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स चार्टर की घोषणा पहले ही की थी, बजट में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिनके पास आधार है, लेकिन पैन नहीं, उन्हें आधार की जानकारी के अनुसार ऑनलाइन पैन एलॉट किया जाएगा। उस व्यक्ति को पैन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।

स्टार्टअप्स को राहत के लिए कदम

कंपनियां अपने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन देती हैं तो वह एलॉटमेंट के समय ही करयोग्य होता है। स्टार्टअप्स को इसमें राहत दी गई है। स्टॉक ऑप्शन एलॉटमेंट वाले साल के बाद पांच साल, या कर्मचारी द्वारा इन स्टॉक्स की बिक्री या कर्मचारी द्वारा कंपनी छोड़ने- इन तीनों मद से जो पहले होगा उस समय वह स्टॉक ऑप्शन टैक्सेबल होगा। सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप अभी तक अपनी स्थापना के बाद सात साल में से तीन साल तक मुनाफे पर 100 फीसदी टैक्स छूट का लाभ ले सकते थे। अब समय सीमा बढ़ाकर 10 साल और टर्नओवर सीमा 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। शुरुआती सालों में स्टार्टअप घाटे में ही चलते हैं। उनके मुनाफे में आने में वक्त लगता है। इसलिए बजट में किए गए संशोधनों से उन्हें सहूलियत होगी।

स्टार्टअप्स के अलावा छोटी कंपनियों को राहत देने के भी उपाय किए गए हैं। अभी जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, उनके लिए टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है। अब टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। हालांकि इसके साथ शर्त यह है कि कंपनी का पांच फीसदी से ज्यादा लेन-देन नकद में नहीं होना चाहिए।

ई-कॉमर्स ऑपरेटर कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले को जब भुगतान करती है तो उस पर एक फीसदी टीडीएस काटने का नियम है। संशोधित नियम के मुताबिक साल में पांच लाख रुपये से ज्यादा भुगतान होने पर ही टीडीएस काटना होगा। इसके लिए धारा 194-ओ में संशोधन किया गया है। हालांकि भुगतान पाने वाले के पास पैन नहीं हुआ तो पांच फीसदी टीडीएस कटेगा। धारा 194जे के तहत तकनीकी सेवाओं के लिए टीडीएस की दर 10 फीसदी से घटाकर दो फीसदी की गई है।

टैक्स से जुड़े मुकदमों की संख्या कम करने के लिए 'डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास' स्कीम का प्रस्ताव है। इसके लिए अलग से बिल लाया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2020 तक अगर करदाता सिर्फ टैक्स डिमांड की रकम चुका दे तो उसे ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। अगर वह 31 मार्च के बाद 30 जून 2020 तक इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो टैक्स डिमांड के अलावा 10 फीसदी रकम देनी पड़ेगी। आयकर विभाग का नौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स डिमांड ट्रिब्यूनल और अदालती मामलों में फंसा है। अगर लोग या कंपनियां इस स्कीम के तहत विवादों का निपटारा करती हैं, तो सरकार को कर राजस्व के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है।

आम करदाताओं के लिए टैक्स अधिकारियों का सामना करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेना जरूरी हो जाता है। टैक्स अधिकारी करदाताओं को परेशान न करें, इसके लिए एक टैक्सपेयर चार्टर बनाया जाएगा। इसे जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स चार्टर की घोषणा पहले ही की थी, बजट में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिनके पास आधार है, लेकिन पैन नहीं, उन्हें आधार की जानकारी के अनुसार ऑनलाइन पैन एलॉट किया जाएगा। उस व्यक्ति को पैन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखें तो इस बजट में करदाताओं के लिए कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। अब देखना यह है कि बजट के प्रावधानों से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में कितनी मदद मिलती है। ❑

Scanned with CamScanner

राजकोषीय निरंतरता की व्यवस्था

डॉ अमिय कुमार महापात्र

बजट की सफलता उसके परिणाम और समूची अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव से आंकी जाती है, केवल उसमें निर्धारित खर्च से नहीं। राजकोषीय व्यवस्था का टिकाऊ मॉडल ऐसी स्थिति पाने का प्रयास करता है, जिसमें अधिक राजकोषीय घाटे के प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न पूंजीगत संपत्तियों तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर अधिक खर्च के जरिये कम कर दिए जाएं। व्यय को प्रभावी तरीके से चलाना, राजस्व आधार में वृद्धि करना और कर में अच्छी उछाल राजकोषीय मजबूती की कुंजी हैं

राजकोषीय नीति किसी भी देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है और उसमें आने वाली आर्थिक अनिश्चितताओं को रोकने में मदद करती है। किसी देश की आर्थिक स्थिरता को बहाल करने की पहली शर्त है राजकोषीय दूरदर्शिता के जरिये खज़ाने में मजबूती लाना। लेकिन बढ़ते राजकोषीय घाटे और कई वर्षों से चलते आ रहे उसके असर ने भारत सरकार को बजट की प्राप्तियों एवं व्यय का समन्वय, नियंत्रण एवं निगरानी करने के लिए विशेष कानून बनाने पर मजबूर किया है। खज़ाने को सुदृढ़ करने के लिए राजकोष का दूरदर्शिता भरा प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार ने एफआरबीएमए (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003) लागू किया है। इसकी शर्तें पूरी करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति व्यवस्था के जरिये व्यय में कुशलता हासिल कर रही है, जिसके लिए राजस्व को तर्कसंगत बनाया जा रहा है, उसकी प्राथमिकता नए सिरे से तय की जा रही है और उसे बढ़ाया भी जा रहा है ताकि राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा कई वर्षों तक वांछित स्तर पर ही बने रहें।

बजट के 'स्वच्छता और निरंतरता' के पहलुओं को घाटे के विभिन्न सूचकों के जरिये और वृहद आर्थिक परिणामों के आधार पर अर्थव्यवस्था पर उनके संभावित प्रभावों के जरिये मापा जा सकता है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा प्रमुख राजकोषीय घटक हैं। इन घाटों का प्रयोग बजट के वृहद आर्थिक परिणामों को मापने में अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि वृद्धि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा भविष्य में उठाए जाने वाले कदम निर्धारित करने में किया जाता है। बजट की सफलता

लेखक फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस (एफआईआईबी) में असोसिएट प्रोफेसर तथा इंटरनल क्वालिटी एशोरेंस सेल - आईक्यैक के चेयर पर्सन हैं। उन्होंने पांच पुस्तकों का सह लेखन किया है और उनके द्वारा संपादित 24 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ईमेल: amiyacademics@gmail.com

Scanned with CamScanner

तालिका 1: राजकोषीय घाटा: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित एवं वास्तविक

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अनुमानित राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)	4.4	4.3	3.8	3.3	2.5	6.8	5.5	4.6	5.1	4.8	4.1	3.9	3.5	3.2	3.3	3.3	3.5
वास्तविक राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)	4.0	4.1	3.5	2.7	6.0	6.4	4.9	5.7	4.8	4.4	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	-	-

स्रोत: भारत के बजट दस्तावेज से लेखक द्वारा संकलन

तालिका 2: अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी के प्रतिशत में

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अनुमानित राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)	2.5	2.7	2.1	1.5	1.0	4.8	4.0	3.4	3.4	3.3	2.9	2.8	2.3	1.9	2.2	2.3	2.7

स्रोत: भारत के बजट दस्तावेज से लेखक द्वारा संकलन

इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्र की मौजूदा जरूरतों और वृद्धि की दीर्घावधि संभावनाओं को देखते हुए राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को वांछित स्तर पर कैसे बांधा जाता है।

राजकोषीय घाटा: अनुमानित बनाम वास्तविक

'सरकार का कुल व्यय उधारी के अतिरिक्त उसे मिलने वाली प्राप्तियों से जितना अधिक होता है, उसे ही राजकोषीय घाटा' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि किसी वित्त वर्ष में अपने घाटे की भरपाई के लिए सरकार को कुल कितना उधार लेना पड़ा। इसका प्रयोग राजकोषीय अनुशासन का पता लगाने में किया जाता है और देश की दीर्घकालिक आर्थिक नीति इसी के अनुसार चलती है। एफआरबीएम अधिनियम आने के बाद (2004-05 से 2020-21) अनुमानित राजकोषीय घाटे का इस्तेमाल प्रभाव आंकने के लिए किया जाता है और यह हमारे देश की मौजूदा जरूरतों एवं भावी स्थिति की समीक्षा करने में मदद करता है। कई प्रबल आवश्यकताओं के बाद भी भारत की वित्त मंत्री ने वर्तमान बजट (2020-21) में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत पर ही समेटने का लक्ष्य रखा है और एफआरबीएम समीक्षा समिति की सिफारिशों पर टिके रहने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने लगातार विकास के जरिये सकारात्मक परिणाम का स्पष्ट संकेत देते हुए ऊंचे पूंजीगत व्यय के प्रावधान भी किए हैं। किंतु सरकार ने तय राजकोषीय घाटे में 0.5 प्रतिशत की छूट लेने के लिए 'एस्केप

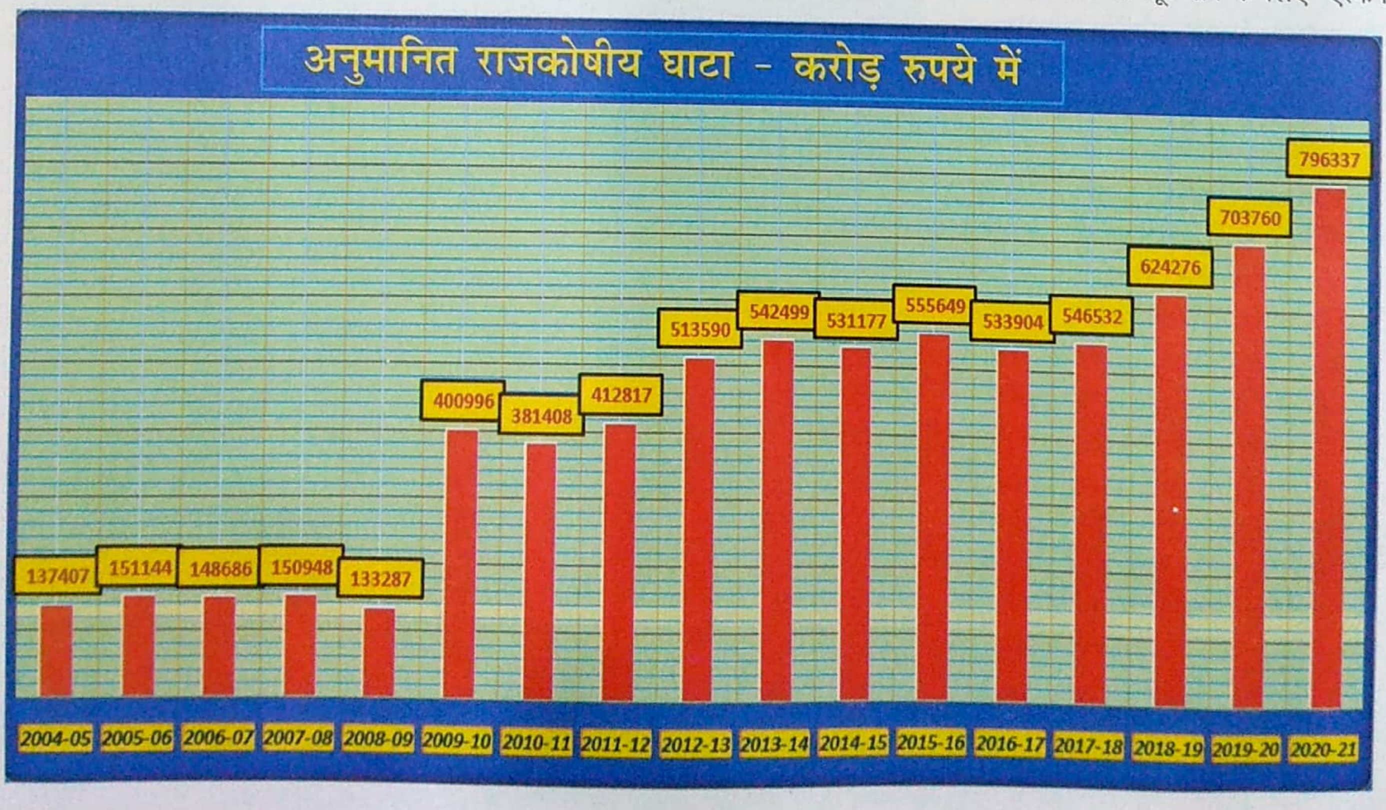

चित्र- 1

Scanned with CamScanner

क्लॉज' लागू कर दिया है ताकि अनिश्चित वृहद आर्थिक माहौल में ढांचागत जटिलताओं एवं अनिश्चित राजकोषीय बदलावों के लिए गुंजाइश बनी रहे।

प्रणाली एवं नीतिगत हस्तक्षेप के तौर पर एफआरबीएम अधिनियम लागू होने के कारण 2008-09 तक तो अनुमानित राजकोषीय घाटे में कमी आई मगर उसके बाद राजकोषीय अनुशासन की राह पर नहीं चला जा सका। राजकोषीय अनुशासन हासिल करने की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या योजना बनाई गई है और अनुमानित एवं वास्तविक घाटे के बीच कितना अंतर रहा है। जिसकी योजना बनाई गई है और जो मिला है, उसके बेहतर विश्लेषण के लिए यह जानने का प्रयास किया गया है कि 2004-05 से 2020-21 के बीच वास्तविक एवं अनुमानित राजकोषीय घाटे में कितना अंतर रहा।

सरकार के राजकोषीय अनुशासन में अंतर दिखाने वाला 'विचलन' पिछले पांच वर्ष से 0.0 प्रतिशत से 0.7 प्रशित रहते हुए नियंत्रण में था। पिछले दो वर्ष में विचलन सबसे कम रहा है और यह दिखाता है कि भारत में दूरदर्शिता भरे राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति कितनी गंभीरता है।

इसके अलावा 2008-09 से 2020-21 के बीच सरकार की कुल उधारी भी कई गुना बढ़ गई है। अनुमानित संपूर्ण राजकोषीय घाटा 2010-11 में 3,81,408 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में 7,96,37 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है यानी 10 वर्ष में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है (चित्र-1)। सरकार ने वर्तमान और पिछले बजटों में राजकोषीय घाटे को प्रतिशत में घटाने की ही नहीं बल्कि कुल उधारी में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने की भी गंभीर मंशा दिखाई है।

राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के बीच संबंध

राजकोषीय घाटे के प्रमुख घटक राजस्व घाटा और पूंजीगत व्यय होते हैं। 'सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जितना अधिक राजस्व व्यय करती है, वही राजस्व घाटा' कहलाता है। राजस्व घाटा बताता है कि सरकार अपने चालू/राजस्व व्यय की भरपाई चालू/राजस्व प्राप्तियों से करने में असमर्थ है। इसलिए सरकार राजस्व की कमी पूरी करने या पूंजीगत व्यय करने के लिए उधारी (राजकोषीय घाटे) का सहारा लेती है।

इसलिए राजकोषीय दूरर्शिता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार अपने राजस्व घाटे को किस तरह संभालती है। राजस्व में वृद्धि के जरिये खज़ाने को विकास पर खर्च घटाए बगैर ही मजबूत किया जा सकता है। राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को दांव पर लगाते हुए खर्च घटाकर राजकोषीय घाटे को काबू में रखना स्वागत योग्य कदम कभी नहीं हो सकता। यही कारण है कि राजस्व घाटे को कम करना ही राजकोषीय घाटा कम करने का इकलौता और आखिरी रास्ता है। राजस्व घाटे को राजस्व में वृद्धि के जरिये तथा कर एवं गैर-कर स्रोतों से राजस्व बढ़ाकर और इकट्ठा कर ही कम किया जा सकता है।

बजट की सफलता उसके परिणाम और समूची अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव से आंकी जाती है केवल उसमें निर्धारित खर्च से नहीं। राजकोषीय व्यवस्था का टिकाऊ मॉडल ऐसी स्थिति पाने का प्रयास करता है, जिसमें अधिक राजकोषीय घाटे के प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न पूंजीगत संपत्तियों तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर अधिक खर्च के जरिये कम कर दिए जाएं। माननीय वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने की योजना के साथ राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे संपत्ति सृजन और निवेश में वृद्धि के नए रास्ते तैयार होंगे, जो अंत में रोज़गार तथा उत्पादन में योगदान देंगे।

राजकोषीय फिसलन और उपाय

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के आधार पर पहले राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत पर सीमित रखने की सिफारिश की गई। लेकिन गंभीरता नहीं होने के कारण या विभिन्न वृहद आर्थिक बाधाओं एवं अस्थिरताओं के कारण यह लक्ष्य आज तक हासिल नहीं किया जा सका। राजकोषीय घाटे में कमी का पहला चरण 2008-09 तक चला मगर उसके बाद वैश्विक मंदी के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए एक के बाद एक वित्तीय राहत पैकेज दिए जाने के कारण 2009-10 में यह जीडीपी के 6.8 प्रतिशत तक चढ़ गया और अगले चार वर्ष तक 4.6 प्रतिशत के ऊपर ही रहा।

केलकर समिति (2012) ने सुझाव दिया कि 2016-17 तक यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राजकोषीय घाटा (2012-13 में 5.1 प्रतिशत) जीडीपी के 3 प्रतिशत पर रोक दिया जाना चाहिए। लेकिन नोटबंदी और वैश्विक अनिश्चितताओं जैसी राजकोषीय और ढांचागत चुनौतियों से निपटने के फेर में इसे अगले दो वर्ष के लिए टाल दिया गया। उसके बाद से राजकोषीय घाटा लक्ष्य ही बनकर रह गया।

2017-18 के बजट के बाद वित्त मंत्री ने 13 वर्ष बाद एफआरबीएम अधिनियम के मूल्यांकन के लिए पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव एन. के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी ताकि विभिन्न वृहद आर्थिक चुनौतियों एवं वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए वर्तमान राजकोषीय व्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता को समझा जा सके। समिति ने 'राजकोषीय घाटे' के बजाय 'ऋण-जीडीपी अनुपात' को बजट विश्लेषण के केंद्र में रखने का सुझाव दिया और इस अनुपात को 2023 तक 60 प्रतिशत पर सीमित करने एवं राजकोषीय घाटे को अगले तीन वर्ष में 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही सरकार ने राजकोषीय घाटे का मूल्य 'तय मूल्य' के बजाय 'दायरे' में रखने का सुझाव भी दिया है ताकि सरकार को वैश्विक झटकों एवं आर्थिक अनिश्चितताओं का प्रभाव झेलने लायक राजकोषीय गुंजाइश मिल सके।

राजकोषीय अनुशासन से फिसलने को उचित ठहराने के लिए सरकार 'एस्केप क्लॉज'

Scanned with CamScanner

लाई है, जिसके तहत ढांचागत जटिलताओं और अनिश्चित राजकोषीय बदलावों को समाहित करने के लिए राजकोषीय घाटे के तय लक्ष्य से 0.5 प्रतिशत इधर-उधर हुआ जा सकता है। इसके बाद भी देखा गया कि एफआरबीएम अधिनियम के 17 वर्ष (2004-2020) बाद भी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

राजकोषीय निरंतरता और राजकोषीय केंद्र

बजट की सफलता उसके परिणाम और समूची अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव से आंकी जाती है केवल उसमें निर्धारित खर्च से नहीं। राजकोषीय व्यवस्था का टिकाऊ मॉडल ऐसी स्थिति पाने का प्रयास करता है, जिसमें अधिक राजकोषीय घाटे के प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न पूंजीगत संपत्तियों तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर अधिक खर्च के जरिये कम कर दिए जाएं। माननीय वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने की योजना के साथ राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे संपत्ति सृजन और निवेश में वृद्धि के नए रास्ते तैयार होंगे, जो अंत में रोज़गार तथा उत्पादन में योगदान देंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के राजस्व व्यय को तर्कसंगत बनाने और उन्हें दीर्घकालिक राजकोषीय लक्ष्यों की कसौटी पर परखने तथा गुणवत्ता भरा खर्च ही करने पर जोर दिया गया है। यहीं पर गुणवत्ता और निरंतरता का संगम होता है।

डेविडसन ने कहा था कि राष्ट्र पर कर्ज बढ़ने का डर कर्ज नहीं होने से ज्यादा नुकसान कर सकता है। उन्होंने कहा, 'जब सरकार ही हमारे उद्योगों के उत्पादों के लिए बाजार मांग बढ़ाने लायक खर्च करने वाली और मुनाफे वाला उद्यमी तंत्र बरकरार रखने वाली इकलौती संस्था हो तो हमें भारी सरकारी घाटे से डरना नहीं चाहिए। सरकार अगर राष्ट्र के कर्ज को कम रखने के फेर में खर्च भी कम करती है तो बाजार में मांग कम रहेगी और इस तरह हमारे कारोबार तथा उनके कामगार दोनों ही गरीब हो जाएंगे।' (2009, पृष्ठ 63)

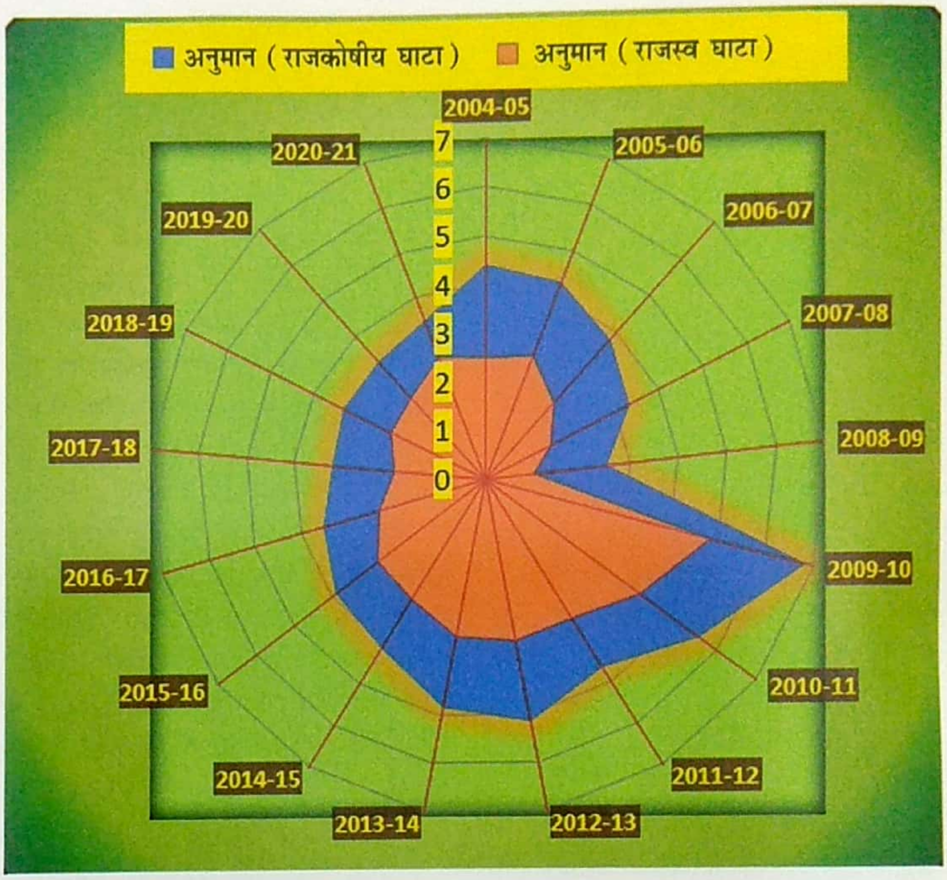

इसीलिए केवल आंकड़े (राजकोषीय घाटा) देखकर अच्छा या बुरा कहना तब तक ठीक नहीं है, जब तक व्यक्ति को व्यय की प्रकृति और उद्देश्य की तथा रोज़गार, निवेश एवं बुनियादी ढांचागत विकास पर उसके प्रभाव की समझ नहीं हो। इस बार के बजट में नीति निर्माताओं को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुनियादी ढांचा विकास में वृद्धि के लिए राजकोषीय गुंजाइश मिली है। पूंजीगत व्यय के लिए कोष की साझेदारी में वृद्धि इस बार के बजट का दृष्टिकोण समझाती है। साथ ही सरकार की शुद्ध बाजार उधारी 5.36 लाख करोड़ रुपये पर सीमित की गई है, जिससे कर्ज के बोझ पर लगाम कसने की सरकार की मंशा का पता चलता है। 2020-21 के लिए उधारी का बड़ा हिस्सा सरकार के पूंजीगत व्यय में जाएगा, जिसमें 21 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

यहां उल्लेख करना होगा कि केंद्र सरकार के जो कर्ज बाजार उधारी का हिस्सा नहीं होते, उनका इस्तेमाल व्यय में किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के ऋणों के ब्याज एवं भुगतान का जिम्मा भारत की समेकित निधि का होता है। इस प्रकार 2020-21 में 22.46 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान है और विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार के वायदों तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 30.42

राजकोषीय घाटे में वांछित स्तर तक कमी राजस्व घाटे में कमी से आ सकती है पूंजीगत व्यय में कमी से नहीं। यह राजस्व बढ़ाकर और व्यय को तर्कसंगत बनाकर किया जा सकता है। व्यय का कुशल प्रबंधक राजकोषीय मजबूती की कुंजी है। यही कारण है कि गैर योजनागत राजस्व व्यय की प्राथमिकता दोबारा तय करने एवं उसे तर्कसंगत बनाने के लिए व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है। आयोग के गठन का उद्देश्य विभिन्न मदों के लिए राशि आवंटन को तर्कसंगत बनाना और उसमें दक्षता लाना तथा राशि की बरबादी रोकना एवं प्रक्रिया में मौजूद खामियां खत्म करना है तथा यह सुनिश्चित करना भी है कि सब्सिडी एवं जारी राशि का लाभ समाज के वंचित तबके तक पहुंचे।

Scanned with CamScanner

लाख करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। यह राजकोषीय योजना सार्वजनिक निधियों में निवेश की जरूरत से समझौता किए बगैर खज़ाने को मजबूत बनाने का संकल्प करती है। इस बजट में 22,000 करोड़ रुपये कुछ विशेष बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों के लिए इक्विटी के रूप में आवंटित किए गए हैं, जो इसे कई गुना बढ़ाएंगी और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को जरूरी दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराएंगी। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति तेज होनी चाहिए।

एक अन्य वर्ग कहता है कि राजकोषीय घाटे को लगातार निर्धारित लक्ष्य से ऊपर रखे जाने से अर्थव्यवस्था की राजकोषीय मुश्किलें झलकती हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण (2003-04 से 2020-21) से देखें तो भारत में राजकोषीय घाटा आने वाले कुछ वर्षों तक चिंता का कारण बना रहेगा और ऐसा तब तक रहेगा, जब तक उसे पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी एवं तर्कसंगत राजस्व व्यय का सहारा नहीं मिलता। ऊंचे राजकोषीय घाटे के कारण निजी निवेश के बाहर हो जाने से अधिक पूंजीगत व्यय के फायदे खत्म नहीं होने चाहिए। कर्ज की देनदारी (मूलधन और ब्याज भुगतान) किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाती है, इसलिए दीर्घकालिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए राजकोषीय मजबूती ही मुख्य लक्ष्य होनी चाहिए।

निष्कर्ष

बजट की सफलता व्यय के बजाय परिणाम पर निर्भर करती है और उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किस तरह लागू करती है तथा इससे हाशिये पर पड़े एवं वंचित तबकों के विकास में कितना योगदान होता है। व्यय का प्रभावी परिचालन, राजस्व आधार में वृद्धि और कर में उछाल खज़ाने को मजबूत करने की कुंजी हैं। राजकोषीय घाटे में वांछित स्तर तक कमी राजस्व घाटे में कमी से आ सकती है पूंजीगत व्यय में कमी से नहीं। यह राजस्व बढ़ाकर और व्यय को तर्कसंगत बनाकर किया जा सकता है। व्यय का कुशल प्रबंधक राजकोषीय मजबूती की कुंजी है। यही कारण है कि गैर योजनागत राजस्व व्यय की प्राथमिकता दोबारा तय करने एवं उसे तर्कसंगत बनाने के लिए व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है। आयोग के गठन का उद्देश्य विभिन्न मदों के लिए राशि आवंटन को तर्कसंगत बनाना और उसमें दक्षता लाना तथा राशि की बरबादी रोकना एवं प्रक्रिया में मौजूद खामियां खत्म करना है तथा यह सुनिश्चित करना भी है कि सब्सिडी एवं जारी राशि का लाभ समाज के वंचित तबके तक पहुंचे। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि उनमें बेहतर तालमेल हो, प्रभावी क्रियान्वयन हो तथा अनावश्यक व्यय पर अंकुश लगाया जा सके। ❑

संदर्भ

1. 2003-04 से 2020-21 तक केंद्रीय बजट की रिपोर्ट एवं नवीनतम आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार
2. ए. के. महापात्र (2017), असेसिंग फिस्कल प्रूडेंस एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, पैसिफिक बिजनेस रिव्यू इंटरनेशनल, 9(9), पृष्ठ 118-121
3. पी. डेविडसन, द कीन्स सॉल्यूशन: द पाथ टु ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, न्यूयॉर्क: पालग्रेव मैकमिलन, 2009
4. ए. के. महापात्र (2016), असेसिंग फिस्कल प्रूडेंस थ्रू वैरियस डेफिसिट इंडीकेटर्स, योजना, पृष्ठ 66-69
5. ए. के. महापात्र (2015), डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर (डीबीटी) इन इंडिया: एन इनीशिएटिव फॉर इनक्लूसिवनेस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्निकल रिसर्च एंड एप्लिकेशन्स, विशेष संस्करण, पृष्ठ 5-8
6. ए. के. महापात्र (2015), सैनिटेशन (स्वच्छ भारत मिशन), गवर्नेंस एंड सोश्यो-इकनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, यूरोपियन साइंटिफिक जर्नल, विशेष संस्करण, पृष्ठ 170-177.

फार्म-4

योजना (हिन्दी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण:

1.	प्रकाशन का स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	ईरा जोशी
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
4.	प्रकाशक का नाम	ईरा जोशी
	नागरिकता	भारतीय
	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	संपादक का नाम	कुलश्रेष्ठ कमल
	नागरिकता	भारतीय
	पता	648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
6.	उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, ईरा जोशी, एतत् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(ईरा जोशी)
प्रकाशक

Scanned with CamScanner

जमा पर ज्यादा सुरक्षा, सहकारी बैंक होंगे मजबूत

शिशिर सिन्हा

पहली फरवरी को बजट पेश होने के चार दिनों के भीतर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारी बैंकों के नियमन को बेहतर बनाने के मकसद से बैंकिंग विनियमन अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दी गयी। इसके जरिए एक आम वाणिज्यिक बैंक की तरह ही अलग-अलग राज्यों में काम करने वाले सहकारी बैंक (मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) और यूसीबी को रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से लाया जाएगा। यहां एक स्पष्ट लकीर खींच दी गयी है। बैंकिंग से जुड़े तमाम मामले रिजर्व बैंक के तहत होंगे जबकि सहकारी समितियों से जुड़े तमाम प्रशासनिक मामलों के कायदे कानून के लिए पंजीयक को अधिकृत किया गया है

बजट में की गयी घोषणाओं के अमल को लेकर सबसे पहले सवाल यही आता है कि इसपर अमल कब होगा। कर से जुड़े प्रस्तावों में चूंकि अमल की तारीख दी गयी होती है तो वहां पर ये सवाल गौण हो जाता है, लेकिन बाकी प्रस्तावों के मामले में इस सवाल का महत्व बना होता है। अब इस तथ्य पर गौर करिए। बजट पेश होने के पांच दिनों के भीतर-भीतर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े तीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अमल का ऐलान कर दिया गया। ये तीन प्रस्ताव ना केवल बैंकिंग क्षेत्र, बल्कि पूरे बजट की अहम सुर्खियां रही।

जमा पर बीमा सुरक्षा

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, "...सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक ठोस तंत्र विद्यमान है और जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा, जो इस समय 1 लाख रुपये है, उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।"

जमा पर बीमा सुरक्षा का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से बैंक डूब जाए या बंद हो जाए तो उसके जमाकर्ताओं को उनका पैसा किस तरह से और कितना वापस मिलेगा। जमा पर बीमा सुरक्षा मुहैया कराने की बात पहली बार 1948 में सामने आयी जब बंगाल में बैंकिंग संकट पैदा हुआ। अगले वर्ष यानी 1949 में एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा हुई और तय हुआ कि जब तक रिजर्व बैंक, बैंकों की जांच-पड़ताल के लिए मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर लेता, तब तक जमा पर बीमा सुरक्षा के प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जाए।

अगले 11 वर्षों तक इस मामले में कुछ खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन 1960 में जब दो बैंक, पलाई सेंट्रल बैंक और लक्ष्मी बैंक डूब गए, तब केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने जमा पर बीमा सुरक्षा के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। 1961 में संसद ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से जुड़े बिल को मंजूरी दी और डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट पहली जनवरी 1962 से लागू किया गया। पहले इस कानून के दायरे में भारतीय स्टेट बैंक, उसकी सहयोगी इकाइयों, दूसरे वाणिज्यिक बैंक और भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों को शामिल किया गया।

1968 में इस कानून के दायरे में सहकारी बैंकों को लाया गया।अब इसके दायरे में

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और फिलहाल हिंदू बिजनेस लाइन में सीनियर डिप्टी एडिटर हैं। ईमेल: hblshishir@gmail.com

Scanned with CamScanner

सभी तरह के वाणिज्यिक बैंक (सरकारी व निजी), विदेशी बैंक, लोकल एरिया बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के साथ सभी तरह के सहकारी बैंक शामिल है। जमा पर बीमा सुरक्षा मुहैया करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के पास है।

31 मार्च 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, डीआईसीजीसी द्वारा 92 फीसदी जमा खाता और 28 फीसदी जमा राशि को बीमा सुरक्षा मुहैया करायी गयी है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय की ओर से दिए जवाब के मुताबिक, यह सीमा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस के दिशानिर्देशों से अधिक है जो 80 फीसदी खातों और 20-30 फीसदी जमाराशि को बीमा सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश करता है।

शुरू में जमा पर बीमा सुरक्षा 1500 रुपये प्रति जमाकर्ता थी जिसे 1968 में बढ़ाकर 5000 रुपये, 1970 में 10,000 रुपये, 1976 में 20 हजार रुपये, 1980 मे 30 हजार रुपये और 1993 में बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। 4 फरवरी 2020 से ये रकम 5 लाख रुपये होगी।

जमा पर बीमा सुरक्षा के लिए प्रीमियम जमाकर्ता को नहीं, बल्कि बैंकों को चुकाना होता है। अप्रैल 2005 से लेकर अभी तक सालाना प्रीमियम की दर 100 रुपये की जमा के लिए 10 पैसे है। सुरक्षा का दायरा बढ़ने के बाद पहली अप्रैल से प्रीमियम की दर 12 पैसे होगी। इस बढ़ोतरी की वजह से कुछ जानकारों का कहना है कि इससे बैंकों पर खर्च में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार का मानना है कि दो पैसे प्रति 100 रुपये की दर से अतिरिक्त भुगतान से बैंकों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी कमाई भी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जमाकर्ताओं को बैंकिंग व्यवस्था में ज्यादा भरोसा बनेगा।

सहकारी बैंकों के लिए मजबूत नियमन व्यवस्था

जमा पर बीमा सुरक्षा का मुद्दा सहकारी बैंकों को बिगड़ती हालत की वजह से गरमाया। सहकारी बैंकों की हालत बिगड़ने की एक बड़ी वजह नियमन की जटिल व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के तहत सहकारी समितियों को को राज्य सूची में रखा गया है, हालांकि यही समितियां जब बैंक का काम भी करती हैं तो उन्हें रिजर्व बैंक के कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। कई संस्थाओं का नियमन जटिलताएं पैदा करता है और बाद में गड़बड़ी की सूरत में जवाबदेही तय करने की परेशानी आती है।

चूंकि सहकारी बैंकों की वित्तीय व्यवस्था में अहम हिस्सेदारी है, इसीलिए सहकारी बैंकों की बिगड़ती हालत को लेकर जब कभी भी चर्चा हुई तो उसमें एक बात पर सहमति बनी की बात जब मामला बैंकिंग का हो तो वहां पर नियमन की जिम्मेदारी पूरी तरह से रिजर्व बैंक को सौंपी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, "...सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम मे संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि वृत्तिदक्षता में वृद्धि की जा सके, पूंजी तक पहुंच हो सके और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सुदृढ़ बैंकिंग के लिए अभिशासन और निगरानी में सुधार लाया जा सके।"

बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में 97,792 सहकारी बैंकों का ब्यौरा दर्ज है जिसमें से मार्च 2019 के अंत तक देश भर में 1,544 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) थे जबकि मार्च 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण सहकारी बैंकों की संख्या 96,248 थी। सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों का 35.3 फीसदी यूसीबी के पास था जबकि बाकी ग्रामीण सहकारी बैंकों के पास। सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं की संख्या साढ़े आठ करोड़ से भी ज्यादा है और इन्होंने करीब 50 खरब रुपये जमा कर रखे हैं।

शहरी और ग्रामीण सहकारी बैकों में राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को संबंधित राज्य की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकरण कराना होता है। 1 मार्च 1966 से सहकारी संस्थाओं पर बैंकिंग कानून लागू किया गया। इस तरह, आज की तारीख में यूसीबी, डीसीसीबी और एसटीसीबी पर राज्य स्तरीय सहकारी समिति पंजीयक (आरसीएस) या फिर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) और भारतीय रिजर्व बैंक का दोहरा नियंत्रण है।

जहां आरसीएस/सीआरसीएस के कार्य क्षेत्र में, निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, वसूली, लेखा परीक्षा, निदेशक मंडल को बर्खास्त करने और समिति के परिसमापन यानी लिक्विडेशन मुख्य रूप से शामिल है, वहीं रिजर्व बैंक को नियमन का काम सौंपा गया है। केंद्रीय बैंक को यूसीबी के पर्यवेक्षण, पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों

Scanned with CamScanner

के विवरणों के निर्धारण, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण व प्रावधान, चलनिधि आवश्यकताओं और किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए कर्ज की सीमा जैसे मुद्दों पर कायदे-कानून बनाने और उन पर अमल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।

अब इस पूरी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। पहली फरवरी को बजट पेश होने के चार दिनों के भीतर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारी बैंकों के नियमन को बेहतर बनाने के मकसद से बैंकिंग विनियमन अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दी गयी। इसके जरिए एक आम वाणिज्यिक बैंक की तरह ही अलग-अलग राज्यों में काम करने वाले सहकारी बैंक (मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) और यूसीबी को रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से लाया जाएगा। यहां एक स्पष्ट लकीर खींच दी गयी है। बैंकिंग से जुड़े तमाम मामले रिजर्व बैंक के तहत होंगे जबकि सहकारी समितियों से जुड़े तमाम प्रशासनिक मामलों के कायदे कानून के लिए पंजीयक को अधिकृत किया गया है।

सरकार कह रही है कि कानून में बदलाव के बाद सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक बोर्ड में शामिल होने वालों की योग्यता तय करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास होगा। अभी ये काम सहकारी समितियां करती हैं। इसी तरह अगर सहकारी बैंक के हालात बिगड़ते हैं तो वहां पर निदेशक मंडल को बर्खास्त करने और प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास होगा। बाजार से पैसा जुटाने और बेहतर प्रबंधन तकनीक लाने में भी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश इन सहकारी बैंकों की मदद करेंगे। ध्यान रहे कि ग्रामीण सहकारी बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक की भूमिका पहले की तरह सीमित रहेगी।

सूक्ष्म, लघु व मझौले उद्योग (एमएसएमई)

अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु व मझौले उद्योगों की भूमिका इसी बात से मापी जा सकती है कि ये क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 28 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है कि जबकि निर्यात के मामले में हिस्सा करीब 40 फीसदी है। करीब 11 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है। किसी भी कारोबार की तरह एमएसएमई के लिए वित्तीय मदद काफी अहम है और यहां पर बैंकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में एमएसएमई को विशेष स्थान दिया गया।

बजट भाषण में बैंकिंग व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को मदद के लिए किए गए ऐलान में सबसे महत्वपूर्ण कर्ज चुकाने में सहूलियत की व्यवस्था का विस्तार किया जाना था। इस बारे में वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत ऋण संरचना से पांच लाख से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। पुनर्संरचना विंडो 31 मार्च 2020 को समाप्त होनी थी। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस विंडो का 31 मार्च 2021 तक विस्तार करने पर विचार किए जाने का अनुरोध किया है।"

बजट के ऐलान के पांच दिनों के भीतर यानी 6 मार्च को रिजर्व बैंक ने एक बार के लिए दी जाने वाली कर्ज की पुनर्संरचना व्यवस्था की समय सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया। पहले इस व्यवस्था के तहत कहा गया था कि पहली जनवरी 2019 तक जिस किसी एमएसएमई इकाई ने कर्ज चुकाने में विलंब किया, लेकिन जिसका खाता 'स्टैंडर्ड' (एक ऐसा कर्ज खाता जिसमें दो मासिक किश्त से ज्यादा का बकाया नहीं हो और जिसमें व्यावसायिक जोखिम के अलावा सामान्य तौर पर कोई और परेशानी नहीं दिखे) कायम हो। यहां एक बार के लिए कर्ज चुकाने की व्यवस्था में बदलाव की सहूलियत से जुड़ी योजना अपनाने के लिए 31 मार्च 2020 तक की समय सीमा दी गयी।

रिजर्व बैंक का कहना है कि एमएसएमई के औपचारिकीरण का वित्तीय स्थायित्व पर सकरात्मक असर देखने को मिला है और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है, इसी को ध्यान में रखते हुए कर्ज की व्यवस्था की एक बार की पुनर्संरचना का विस्तार किया जा रहा है। बढ़ी हुई समय सीमा का फायदा वो सभी उठा सकते हैं जिनका कर्ज खाता 1 जनवरी 2020 को 'स्टैंडर्ड' बना हुआ हो, भले ही कर्ज की किस्त चुकाने में कुछ देरी हुई है। इस योजना में शामिल होने वाले के लिए पुनर्संरचना पर अमल 31 दिसंबर 2020 तक करना होगा। जिन्होंने पहले इस योजना का फायदा नहीं उठाया, वो भी अब शामिल हो सकते हैं। ध्यान रहे कि कर्ज चुकाने के नियमों मे फेरबदल का फायदा सिर्फ एक बार ही मिलेगा।

एमएसएमई के लिए एक बड़ी जरूरत कार्यशील पूंजी की होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में एक विशेष योजना शुरू की गयी है जिसके तहत कार्यशील पूंजी के लिए विशेष तरह का कर्ज मिलेगा। इस कर्ज की गणना क्वासी-इक्विटी के तौर पर होगी। इस कर्ज को क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल आंत्रप्रेन्यूर (सीजीटीएमएसई) के जरिए गारंटी मुहैया करायी जाएगी। इन सब के अलावा भुगतान में देरी से निबटने के लिए विशेष ऐप के जरिए इनव्यॉस के आधार पर कर्ज और निर्यात बाजार में पैठ बनाने के लिए विशेष योजना का भी प्रावधान है।

कुल मिलाकर आम बजट 2020-21 में सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए इतनी राशि का भुगतान जैसी सुर्खियां भले ही नहीं हो, लेकिन जमीनी स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को सुलझाने की ना केवल बात की गयी, बल्कि उन पर अमल करने का काम भी शुरू हो गया है। इससे बैंकिंग व्यवस्था की साख और भी मजबूत होगी।

आम बजट 2020-21: बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी खास बातें

- जमा पर बीमा सुरक्षा अब प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपये
- सहकारी बैंकों के नियमन के लिए रिजर्व बैंक के अधिकार में बढ़ोतरी
- एमएसएमई के लिए ऋण पुनर्संरचना की समय सीमा बढ़ी
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए होगा नए उपायों का ऐलान
- आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचेगी
- (सिक्यूरिटाईज़ेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेस्ट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंस्टरेस्ट - सारफेसाई) कानून 2002 के तहत कर्ज वसूली के लिए अब 100 करोड़ रु तक की आस्ति वाले एनबीएफसी होंगे पात्र। 50 लाख रु तक के कर्ज के मामले के लिए एनबीएफसी सारफेसाई कानून की मदद ले सकेंगे। ❑

Scanned with CamScanner

आर्थिक सर्वेक्षण – एक नज़र

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2020 को संसद में आर्थिक समीक्षा, 2019-20 पेश की। आर्थिक समीक्षा 2019-20 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं–

धन सृजन : अदृश्य सहयोग को मिला भरोसे का सहारा

- आर्थिक इतिहास की तीन-चौथाई अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का वर्चस्व इसे अभिव्यक्त करता है।
- कौटिल्यके 'अर्थशास्त्र' में किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमतों की भूमिका के बारे में बताया गया है (स्पेंगलर, 1971)।

उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक मॉडल के उन दोनों ही स्तंभों को आवश्यक सहयोग दे रही है जिसकी वकालत हमारी पारंपरिक सोच में की गई है।

- आर्थिक समीक्षा में बाजार के अदृश्य सहयोग से प्राप्त हो रहे व्यापक लाभों के बारे में बताया गया है।
- उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ धन सृजन भी हो रहा है।
- आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि बंद पड़े सेक्टरों की तुलना में उदार या खोले जा चुके सेक्टरों की वृद्धि दर ज्यादा रही है।
- आर्थिक समीक्षा में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने संबंधी भारत की आकांक्षा का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित पर काफी निर्भर है:
- बिजनेस अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देकर अदृश्य सहयोग को मजबूत करना
- इसे भरोसे का सहारा देना

रोज़गार सृजन के लिए व्यापार को सुनिश्चित करना

- आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो डेटा एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए पारदर्शिता और कारगर अमल को सशक्त बनाए।

जमीनी स्तरर पर उद्यमिता और धन सृजन

- उत्पादकता को तेजी से बढ़ाने और धन सृजन के लिए एक रणनीति के रूप में उद्यमिता।
- विश्व बैंक के अनुसार, गठित नई कंपनियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे पायदान पर।
- वर्ष 2014 के बाद से ही भारत में नई कंपनियों के गठन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018 में लगभग 1.24 लाख नई कंपनियों का गठन हुआ जो वर्ष 2014 में गठित लगभग 70,000 नई कंपनियों की तुलना में तकरीबन 80 प्रतिशत अधिक है।
- आर्थिक समीक्षा में भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर यानी 500 से अधिक जिलों में उद्यमिता से जुड़े घटकों और वाहकों पर गौर किया गया है।
- भारत में नई कंपनियों का गठन विषम है और ये विभिन्न जिलों एवं सेक्टरों में फैली हुई हैं।
- आर्थिक समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि कारोबार में सुगमता बढ़ाने और लचीले श्रम कानूनों को लागू करने

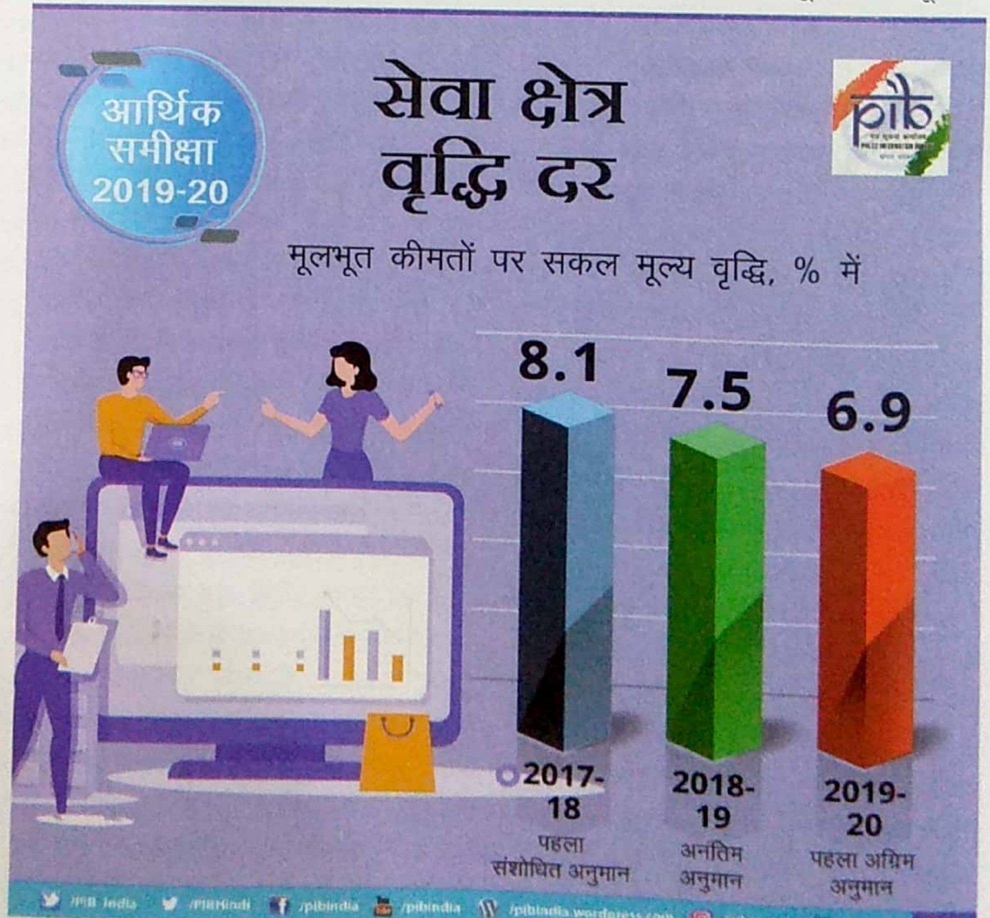

Scanned with CamScanner

से जिलों और इस तरह से राज्यों में अधिकतम रोज़गारों का सृजन हो सकता है।

नेटवर्क उत्पादों में विशेषज्ञता के जरिए विकास और रोज़गार सृजन

- समीक्षा में कहा गया है कि भारत के पास श्रम आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन के समान अभूतपूर्व अवसर हैं।
- दुनिया के लिए भारत में एसेम्बल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना को एक साथ मिलाने से निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2025 तक 3.5 प्रतिशत तथा 2030 तक 6 प्रतिशत हो जाएगी।
- 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां होंगी और 2030 तक इनकी संख्या 8 करोड़ हो जाएगी।
- 2025 तक भारत को 5 हजार अरब वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी मूल्य संवर्धन में नेटवर्क उत्पादों का निर्यात एक तिहाई की वृद्धि करेगा।
- समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि निम्नलिखित अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत को चीन जैसी रणनीति का पालन करना चाहिए।
- श्रम आधारित क्षेत्रों विशेषकर नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता हासिल करना।

भारत में कारोबारी सुगमता लक्ष्य

- विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत 2014 में जहां 142वें स्थान पर था वहीं 2019 में वह 63वें स्थान पर पहुंच गया।
- हालांकि इसके बावजूद भारत कारोबार शुरू करने की सुगमता संपत्ति के रजिस्ट्रेशन, करों का भुगतान और अनुबंधों को लागू करने के पैमाने पर अभी भी काफी पीछे हैं।

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन

- भारत ने यूएनसीसीडी के तहत सीओपी-14 की मेज़बानी की, जिसमें दिल्ली घोषणा: भूमि में निवेश और अवसरों को खोलना अपनाया गया।
- मैड्रिड में यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत सीओपी-25
  - भारत ने पेरिस समझौते को लागू करने का अपना संकल्प दोहराया
  - सीओपी-25 के निर्णयों में जलवायु परिवर्तन समाप्ति, विकासशील देशों के पक्षों द्वारा विकसित देशों के क्रियान्वयन उपायों को अपनाना तथा लागू करना शामिल है।

- वन और वृक्ष कवर:
  - वृद्धि के साथ यह 80.73 मिलियन हेक्टेयर हुआ
  - देश के 24.56 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में।
- कृषि अवशेषों को जलाने से प्रदूषण स्तर में वृद्धि तथा वायु गुणवत्ता में गिरावट अभी भी चिंता का विषय है। यदि विभिन्न प्रयासों के कारण कृषि अवशेषों को जलाने की घटना में कमी आई है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)
  - सदस्य देशों से 30 फेलोशिप को संस्थागत बनाकर सहायक
  - एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से 2 बिलियन डॉलर का ऋण और एएफडी फ्रांस से 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण
  - सौर जोखिम समाप्ति जैसे कार्यक्रमों द्वारा 'इन्क्यूबेटर'
  - 116 मेगावाट सौर तथा 2.7 लाख सौर जल पम्पों की कुल मांग के लिए उपाय विकसित करके 'एक्सेलेटर'।

कृषि तथा खाद्य प्रबंधन

- भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोज़गार अवसरों के लिए कृषि पर निर्भर करता है
- देश के कुल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर-कृषि क्षेत्रों की अधिक वृद्धि के कारण कम हो रही है। यह विकास प्रक्रिया का स्वभाविक परिणाम है।
- कृषि वानिकी और मछलीपालन क्षेत्र से 2019-20 के बेसिक मूल्यों पर जीवीए में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
- कृषि में मशीनरीकरण का स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में बाधा। भारत में कृषि का मशीनरीकरण 40 प्रतिशत है, जो चीन के 59.5 प्रतिशत तथा ब्राजील के 75 प्रतिशत से काफी कम है।
- भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण

Scanned with CamScanner

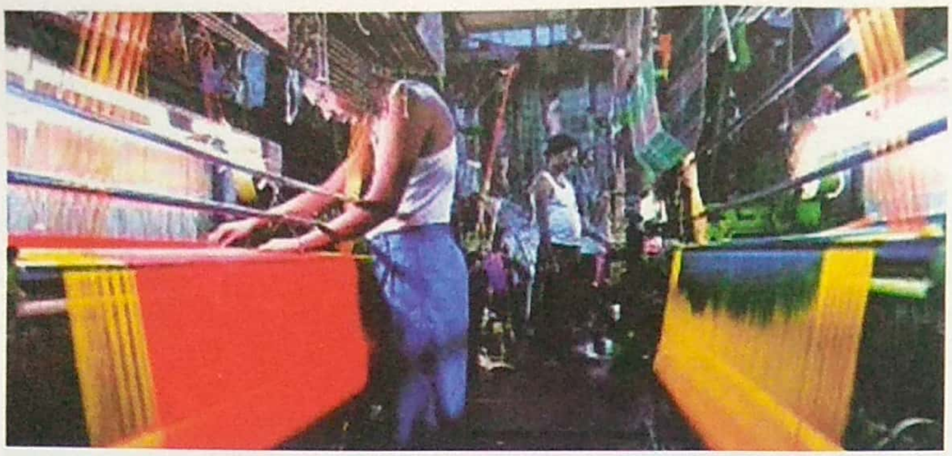

में असमानता।

- पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कम ऋण (कुल कृषि ऋण वितरण का 1 प्रतिशत से भी कम)

- लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय दूसरा महत्वपूर्ण आय का साधन
  - किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका
  - पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र सीएजीआर के 7.9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है
- 2017-18 में समाप्त पिछले छह वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में वृद्धि
  - औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) लगभग 5.06 प्रतिशत
  - 2011-12 के मूल्यों पर 2017-18 में जीवीए में विनिर्माण और कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 8.83 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत रही
- यदि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है फिर भी आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित उपायों से खाद्य सुरक्षा की स्थिति को स्थिर बनाने पर बल दिया गया है।
  - बढ़ती खाद्य सब्सिडी बिल की समस्या सुलझाना
  - एनएफएसए के अंतर्गत दरों तथा कवरेज में संशोधन

उद्योग तथा आधारभूत संरचना

- 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के 5.0 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के (-) 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान उर्वरक क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि।
- इस्पात क्षेत्र में 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान 5.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान यह 3.6 प्रतिशत थी।
- 30 सितम्बर, 2019 को भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन 119.43 करोड़ पहुंचा।
- बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़ कर 31 अक्टूबर, 2019 को 3,64,960 मेगावाट हो गई, जो 31 मार्च, 2019 को 3,56,100 मेगावाट थी।
- 31 दिसंबर, 2019 को जारी की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन के संबंध में कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान 102 लाख करोड़ रुपये के कुल अवसंरचनात्मक निवेश को प्रक्षेपित किया है।

सेवा क्षेत्र

- भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है :
  - सकल संवर्धन मूल्य और सकल संवर्धन मूल्य वृद्धि में इसका हिस्सा 55 प्रतिशत है।
  - भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दो-तिहाई।
  - कुल निर्यात का लगभग 38 प्रतिशत।
  - 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 15 राज्यों में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक।
- सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन की वृद्धि 2019-20 में कम हुई है।
- 2019-20 की शुरूआत में सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मजबूत बेहतरी देखी गई है।

सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास

- केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में व्यय 2014-15 में 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (बजटीय अनुमान) में 7.7 प्रतिशत हो गया है।
- मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 2017 की 130 की तुलना में 2018 में 129 हो गई।
  - वार्षिक मानव विकास सूचकांक में औसत 1.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ भारत तीव्रतम सुधार वाले देशों में शामिल है।
- माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार की जरूरत है।
- नियमित मजदूरीध वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी में 5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2011-12 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 23 प्रतिशत हो गई।
  - इस श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.21 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 1.39 करोड़ नए रोज़गारों सहित लगभग 2.62 करोड़ नए रोज़गार का सृजन होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि।
- अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोज़गार में 2011-12 के 8 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 9.98 प्रतिशत वृद्धि हुई।
- देशभर में आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।
- मिशन इन्द्रधनुष के तहत देशभर में 680 जिलों में 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ।
- गांवों में लगभग 76.7 प्रतिशत और शहरों में 96 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के घर हैं।
- स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की पहुंच बढ़ाने पर जोर देने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029) की शुरुआत की गई। ❑

Scanned with CamScanner

जल और स्वच्छता का अर्थशास्त्र

परमेश्वरन अय्यर

वित्त मंत्रालय ने पिछले पांच साल में भारत को खुले में शौच करने की बुरी आदत से मुक्त कराने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को ढाला है और उसके लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि आवंटित की है। वित्त मंत्रियों ने साल-दर-साल यह बात स्वीकार की है कि स्वच्छता में निवेश का क्या महत्व है और इसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं। स्वच्छता के लिए आवंटित धनराशि में से ज्यादातर करोड़ों गरीब और उपेक्षित परिवारों को घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने को दिये गये और इसका उपयोग समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने, स्वच्छता का जन आंदोलन छेड़ने और जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की क्षमताओं के सृजन में किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व में भारत में 2014 से साफ-सफाई का जो देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ उससे देश का कोई भी कोना नहीं छूटा। आज इस अभियान को दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम माना जाता है। देश की 1.3 करोड़ आबादी की सामूहिक शक्ति का फायदा उठाने वाले स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में जिस बात ने सबसे अनोखी भूमिका निभाई वह थी राजनीतिक नेतृत्व। जहां एक ओर प्रधानमंत्री शीर्ष से इस अभियान में मदद कर रहे थे, वहीं वित्त मंत्रालय ने भी भारत को खुले में शौच की बुराई से मुक्त बनाने के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने लिए अपने को तैयार कर लिया और पिछले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया।

जनवरी, 2020 में अफ्रीका में स्वच्छता बढ़ाने के बारे में अदिस अबाबा में जो मंत्रिस्तरीय गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया वह भी भारत के स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन से प्राप्त प्रमुख अनुभवों पर आधारित था। इथियोपिया, नाइजीरिया, केन्या और सेनेगल के स्वच्छता मंत्री तो सिर्फ पांच साल में भारत को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने में प्राप्त जबरदस्त सफलता से आश्चर्यचकित थे। लेकिन अपने देश में स्वच्छ भारत अभियान मॉडल को अपनाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा को लेकर वे एकमत थे। उनका एकस्वर में कहना था कि भारत ने 2014 में जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान में भारी निवेश किया वे उसके लिए अपने वित्त मंत्रालयों को आश्वस्त करने की

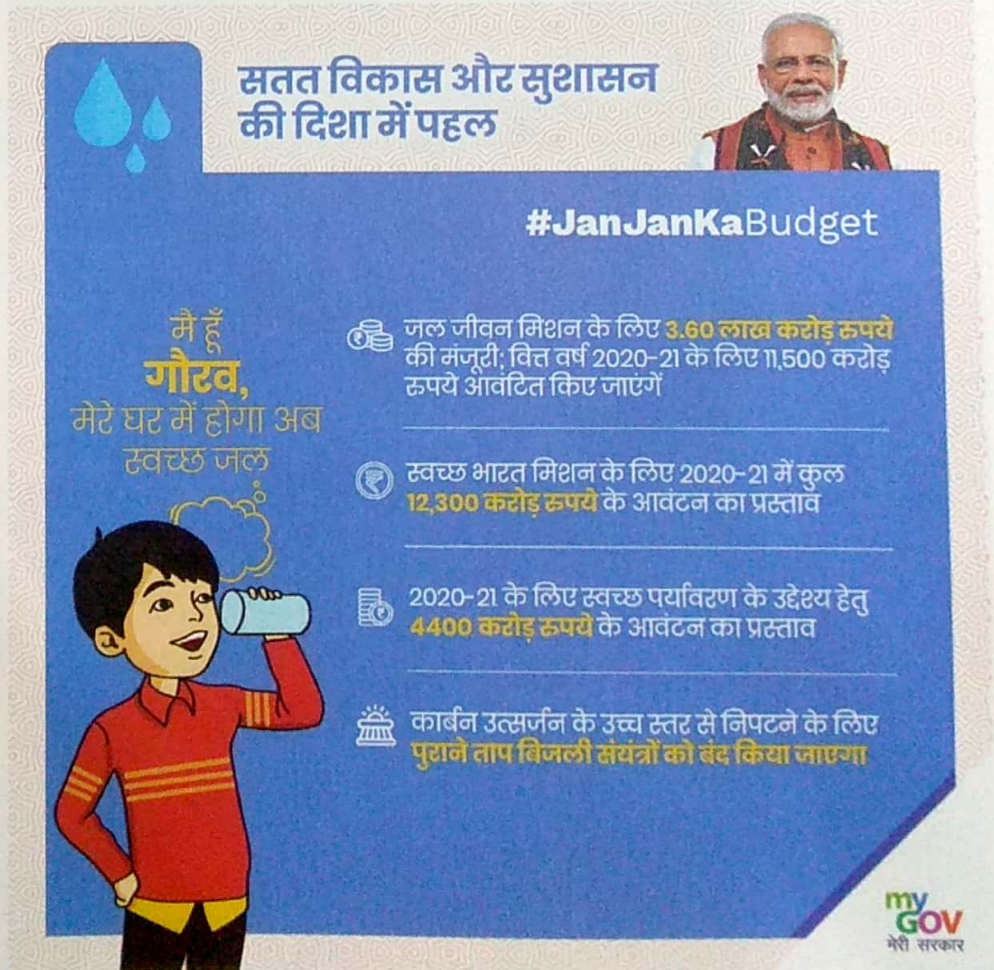

लेखक जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव हैं। ईमेल: param.iyer@gov.in

Scanned with CamScanner

सरकार खुले में शौच न करने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस अभियान के प्रति वचनबद्ध

खुले में शौच न करने की आदत को बनाए रखने और हरएक व्यक्ति को इसके दायरे में लाने के लिए सरकार ने ओडीएफ प्लस अभियान के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। संसद में 2020-21 का बजट पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, "2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुल लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।"

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं जिससे सभी घरों में पाइप लाइनों के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। इस योजना में स्थानीय जल स्रोतों को बढ़ाने और मौजूदा स्रोतों को फिर से पानी से लबालब करने पर जोर दिया गया है और इसके साथ ही वर्षा जल संचय और पानी का खारापन दूर करने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष में ही यह लक्ष्य प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 11,500 करोड़ रुपये के संसाधन उपलबध कराये जाएंगे।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

स्थिति में नहीं है।

दूसरी ओर भारत के वित्त मंत्रियों ने साल-दर-साल स्वच्छता पर निवेश करने और इसके दूरगामी परिणामों के महत्व को स्वीकार किया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए दी गयी धनराशि में से अधिकाश रकम करोड़ों गरीब और उपेक्षित परिवारों को अपने घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने, इस अभियान को जन आंदोलन बनाने, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमताएं बढ़ाने तथा जनसमुदाय में व्यवहार-परिवर्तन लाने में खर्च की गयी है। भारत के ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गये हैं और करीब 55 करोड़ लोगों खुले में शौच करना बंद कर दिया है। यह सब केवल पांच साल में हुआ है और इससे दुनिया भर में खुले में शौच जाने वालों की संख्या में आधे से भी कम रह गयी है।

स्वच्छता पर खर्च की गयी इस धनराशि के फायदे कई गुना अधिक हुए हैं और रोज़गार तथा बाजारों समेत समूची अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। यूनीसेफ ने हाल में अनुमान लगाया है कि भारत में स्वच्छता पर हाल में किये गये खर्च का 400 गुना फायदा मिला है। खुले में शौच जाने की कुप्रथा से मुक्त गांवों में प्रत्येक परिवार को बीमारियों के इलाज के खर्च में कमी, जान बचने और समय की बचत के रूप में 50,000 रुपये की किफायत हो रही है। इधर टॉयलेट बोर्ड कोअलिशन नाम के संगठन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अनुमान लगाया है कि भारत में स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवाओं का बाजार 2021 तक बढ़कर 60 अरब डालर का हो जाएगा जिससे देश के दूर-दराज इलाकों समेत समूचे देश में रोज़गार के कई नये अवसर उत्पन्न होंगे, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी लागत में कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप परिवारों को बचत का फायदा मिलेगा। शौचालयों से संबंधित सामान और उपकरणों के विनिर्माण में लगे कारोबारियों का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के दौरान उनकी बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई और उनका अनुमान है कि आगे भी लोग शौचालयों में सुधार और उन्हें बेहतर

Scanned with CamScanner

बनाने के लिए जो रिट्रोफिटिंग कराएंगे उससे भी उनका कारोबार और बढ़ेगा। यूनीसेफ द्वारा हाल में कराए गये एक अन्य अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन से पिछले पांच वर्षों में 75 लाख से अधिक पूर्णकालिक रोज़गारों के समतुल्य कामकाज के अवसर उत्पन्न हुए हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिला है।

यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि स्वच्छता के क्षेत्र में निवेश वास्तव में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक फायदे बढ़ाने में मददगार है। इसी तर्क के आधार पर हमने अदिस अबाबा में जमा हुए अफ्रीकी देशों के स्वच्छता मंत्रियों को अपने-अपने देशों के वित्त मंत्रालयों को इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राजी करने को कहा।

अगर भारत की बात करें तो हमारी सरकार जल और स्वच्छता क्षेत्रों को व्यापक ग्रामीण विकास के मुख्य स्तंभ के रूप में प्राथमिकता देना जारी रखे हुए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि इस सफलता के सिलसिले को बनाए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुले में शौच से मुक्त भारत की घोषणा का सभी राज्यों को स्मरण कराते हुए 2 अक्तूबर, 2019 को कहा था, ''आज हमने जो हासिल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव भर है। स्वच्छ भारत के लिए हमारा सफर निरंतर जारी है।'' हम सब को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग शौचालयों का उपयोग करना जारी रखें, और कोई भी इस अभियान के दायरे में आने से छूटने न पाये। वित्त मंत्री ने 2020-21 के अपने भाषण में ग्रामीण स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन करके खुले में शौच की बुराई को खत्म करने के प्रयास जारी रखने, और 2024 तक सभी गांवों में सड़ कर नष्ट हो जाने वाले कचरे के प्रबंधन, अवजल के प्रबंधन, जलमल के प्रबंधन और इन सबसे जरूरी प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में मदद देने की घोषणा की है।

अगली अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी सेवा और तमाम बुनियादी सेवाओं में से एक, जो यह सरकार जनता को उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है वह है लोगों को पाइप लाइनों के जरिए पानी उपलब्ध कराना। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की जिसके अंतर्गत 2024 तक देश में सभी परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराना है और केन्द्र और राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये देने का वादा किया है। अपने वादे के अनुसार 2020-21 के बजट में सरकार ने केन्द्र के हिस्से के रूप में 11,500 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित कर दिये हैं। इसके अलावा 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट संसाधनों का भी प्रावधान किया गया है।

भारत के ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गये हैं और करीब 55 करोड़ लोगों खुले में शौच करना बंद कर दिया है। यह सब केवल पांच साल में हुआ है और इससे दुनिया भर में खुले में शौच जाने वालों की संख्या में आधे से भी कम रह गयी है।

लेकिन शायद ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र को सबसे बड़ा बढ़ावा पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटित 90,000 करोड़ रुपये के अनुदान में से 50 प्रतिशत राशि पेयजल और स्वच्छता के लिए दिया जाना है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय इस कार्य में भागीदार बनें और अपने पानी और स्वच्छता ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी खुद निभाएं ताकि जनता के लिए चिरस्थायी आधार इन सेवाओं की व्यवस्था हो सके। इस तरीके को अपनाने से यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि स्वच्छता की ही तरह पानी की आपूर्ति और इसका रखरखाव हर किसी की जिम्मेदारी बने। ❑

Scanned with CamScanner

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

डॉ इंदु भूषण

वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट स्वास्थ्य के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बारे में सरकार के पास समग्र दूरदर्शिता है जिससे नागरिकों की तंदुरुस्ती पर ध्यान दिया जा सकेगा। भारत के लिए स्वास्थ्य की यह नई परिकल्पना चार स्तंभों पर टिकी है - रोग निरोधी स्वास्थ्य, किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में सुधार और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से मिशन मोड में लागू करना

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज-यूएचसी) पर सितम्बर 2019, में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के लिए एक नई संकल्पना की चर्चा की और कहा कि, "विश्व कल्याण जनता के कल्याण के साथ शुरू होता है और स्वास्थ्य इसका महत्वपूर्ण निर्धारक है।'' उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि स्वास्थ्य की परिभाषा और अर्थ केवल बीमारी के नहीं होने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।

भारत के लिए स्वास्थ्य की यह नई परिकल्पना चार स्तंभों पर टिकी है - रोग निरोधी स्वास्थ्य, किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में सुधार और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से मिशन मोड में लागू करना।

रोग निरोधी स्वास्थ्य के पहले स्तंभ के तहत योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर विशेष जोर दिया गया है। प्राथमिकता टीकाकरण को दी गई है, जहां न केवल नए टीके लाने, बल्कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुंच में सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। धूम्रपान के, विशेष रूप से युवाओं पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों पर जोर डालने के लिए, सरकार ने ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और अस्थमा से लेकर मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर तक की बीमारियां फैलने से रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। चूंकि सफाई का स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है, स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत मिशन शौचालयों के उपयोग के प्रति व्यवहार संबंधी सकारात्मक परिवर्तन के जरिये लाखों लोगों को बचाने में मदद कर रहा है।

सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत शुरू की, जिसका उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तरों पर स्वास्थ्य (रोकथाम, संवर्धात्मक, आरोग्यकारी और चलता-फिरता औषधालय) की समस्या को सम्पूर्ण रूप से हल करने के लिए चिकित्सकीय व्यवस्था में सुधार करना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.8, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) को हासिल करने के अपने प्रयासों में आयुष्मान भारत योजना भारत की अग्रणी योजना है। स्वास्थ्य को अपने दो घटकों - स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के माध्यम से उसमें निवारक, संवर्धात्मक, आरोग्यकारी और चलता-फिरता औषधालय को शामिल कर उसे व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं बल्कि

लेखक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में सीईओ हैं जो आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। ईमेल: i.bhushan@gov.in

Scanned with CamScanner

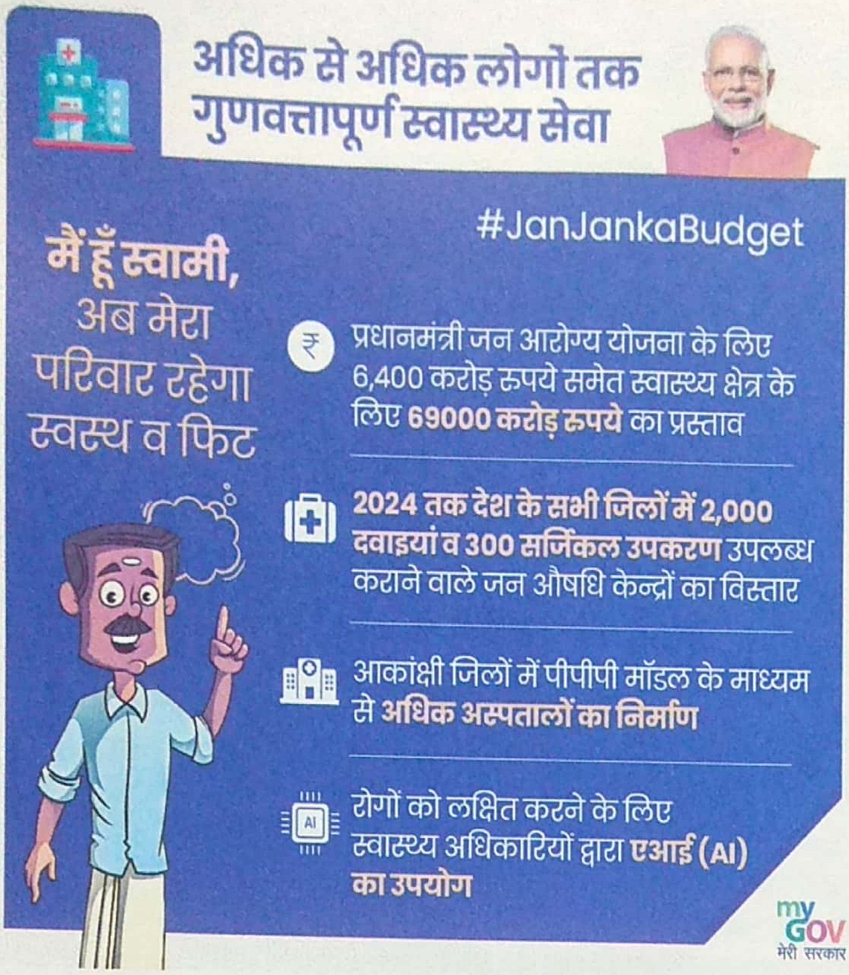

एक विस्तृत कार्य माना गया है। आयुष्मान भारत के पहले घटक के अतंर्गत 2022 तक देश भर में 1,50,000 एचडब्ल्यूसी स्थापित करने का लक्ष्य है। एचडब्ल्यूसी आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख घटक हैं जिनमें अन्य बीमारियों के साथ कैंसर, डायबिटीज और कार्डियो-वैस्कुलर जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की जांच और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस परिकल्पना का दूसरा स्तंभ किफायती स्वास्थ्य सेवा है जिसे आयुष्मान भारत योजना के दूसरे घटक- पीएम-जेएवाई द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। भारत में स्वास्थ्य पर आकस्मिक व्यय के कारण हर साल करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। पीएम-जेएई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है और 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर द्वितीय और तृतीय स्तर का 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इस योजना को वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना गरीबों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण अंतरंग रोगी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। यह एक संघीय प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से वितरित

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.8, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) को हासिल करने के अपने प्रयासों में आयुष्मान भारत योजना भारत की अग्रणी योजना है। स्वास्थ्य को अपने दो घटकों - स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के माध्यम से उसमें निवारक, संवर्धात्मक, आरोग्यकारी और चलता-फिरता औषधालय को शामिल कर उसे व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक विस्तृत कार्य माना गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण को उपयोग में लाता है जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच एक ठोस भागीदारी शामिल है।

इसके अलावा, सितंबर 2019 तक, 5,000 से अधिक विशेष फार्मेसियों की स्थापना की गई, जिसके तहत 800 महत्वपूर्ण दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई गई हैं। इस पहल के कारण, कार्डियक स्टेंट की कीमत 80 प्रतिशत कम हुई है और घुटने के प्रत्यारोपण में होने वाले खर्च में 50-70 प्रतिशत की कमी आई है। भारत में हर साल गुर्दे के रोगों से संबंधित बीमारी की अंतिम अवस्था (एंड स्टेज रीनल डिजीज) के 2.2 लाख मरीज जुड़ जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 3.4 करोड़ डायलिसिस की अतिरिक्त मांग होती है। डायलिसिस का खर्च जो जीवन भर की आवश्यकता है, अधिकांश परिवारों की वित्तीय तबाही का कारण बनता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम ने ईएसआरडी रोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अंतर्गत लाखों लोग जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस करा सकते हैं।

इस परिकल्पना के तीसरे स्तंभ के रूप में, आपूर्ति पक्ष विस्तार चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने पर केन्द्रित है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कानून 2019 है। यह चिकित्सा शिक्षा और प्रमाणीकरण के नए नियामक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करके, छात्रों पर अनेक परीक्षाओं का बोझ कम करके, चिकित्सा शिक्षा में ईमानदारी सुनिश्चित करके, चिकित्सा शिक्षा की लागत में कमी लाकर, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर, और सभी को गुणवत्ता-पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर देश में चिकित्सा सेवा में बदलाव लाएगा।

मिशन-मोड में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा चौथा स्तंभ उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मातृत्व, नवजात, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर केन्द्रित अनेक कार्यक्रम ऐसे हैं, जिन्हें लोगों के बीच ले जाने की आवश्यकता है। सरकार ने मां और बच्चे के लिए पर्याप्त पोषण के प्रावधान के माध्यम से एनीमिया और स्टंटिंग से निपटने के लिए पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन भी

Scanned with CamScanner

शुरू किया है। दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, अन्य मिशन मोड प्रयासों में 2025 तक टीबी को और 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक खत्म करना है। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण कम होगा बल्कि सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती में योगदान होगा।

बजट 2020-21: स्वास्थ्य के प्रति मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन

भारत जीडीपी के मामले में अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो 2009-14 के दौरान 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर था वह 2014-19 में बढ़कर 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। केन्द्र सरकार का कर्ज जो मार्च 2014 में 52.2 प्रतिशत था वह 2019-20 में घटकर जीडीपी के 48.7 प्रतिशत पर आ गया।

वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट स्वास्थ्य के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बारे में सरकार के पास समग्र दूरदर्शिता है जिससे नागरिकों की तंदुरूस्ती पर ध्यान दिया जा सकेगा। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी इस वादे की पुष्टि करती है। वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन 62,398 करोड़ रुपये था जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहां उपयोगी यानी 15 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या के इस हिस्से का यदि नई प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से विश्लेषण संबंधी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़कर सही उपयोग किया जाता है, तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को आगे ले जा सकते हैं।

यह बजट नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रमुख स्थान देता है। सार्वभौमिक टीकाकरण पर जोर देते हुए कई योजनाओं को मजबूत किया गया है; पांच नए टीकों सहित 12 संबंधित बीमारियों को शामिल करते हुए मिशन इन्द्रधनुष का विस्तार किया गया है। गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के महामारी संबंधी संक्रमण को देखते हुए, फिट इंडिया आंदोलन उन बीमारियों से लड़ने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो खराब जीवन शैली के कारण होती हैं। इनमें खाने की अस्वास्थ्यकर आदतें, धूम्रपान और शराब का अत्यधिक सेवन, शारीरिक व्यायाम की कमी, तनाव और चिंता शामिल है। एक केन्द्रित सुरक्षित जल कार्यक्रम- जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को स्वास्थ्य संबंधी इस दूरदर्शिता को सहयोग प्रदान करने और संचारी और गैर-संचारी रोगों के कारण गरीबों पर बीमारी के दोहरे बोझ को कम करने के लिए और मजबूत किया गया है।

सरकार द्वारा 2015 तक तपेदिक को समाप्त करने के वादे को दोहराते हुए, वित्त मंत्री ने "टीबी हारेगा देश जीतेगा" अभियान के तहत प्रयासों को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जन औषधि केन्द्र योजना का 2,000 दवाओं और शल्य चिकित्सा संबंधी 300 उपकरणों के साथ 2024 तक सभी जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव रखा।

आयुष्मान भारत के दोनों घटकों के लिए बजट आवंटन बरकरार रखा गया है जिसमें एचडब्ल्यूसी के लिए 1600 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जन आरोग्यक योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतीक है कि सरकार को इस योजना में भरोसा है।

वर्ष 2018 में शुरू होने के बाद से आयुष्मान भारत के दोनों घटकों ने अच्छी प्रगति दिखाई है। 30,000 से अधिक एचडब्ल्यूसी काम कर रहे हैं जो विस्तारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहे हैं और कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित छह गैर-संचारी रोगों के लिए कई करोड़ लोगों की जांच कर रहे हैं।

पीएम-जेएवाई को 32 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और इसमें 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर

Scanned with CamScanner

लोगों को शामिल किया गया है। केवल 18 महीनों में, इसके अंतर्गत 11,000 करोड़ रुपये खर्च करके 80 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है। लाभार्थियों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत प्राप्त हुई है। पीएम-जेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल देश भर के 21,000 से अधिक निजी अस्पताल (सार्वजनिक और निजी दोनों) लोगों का इलाज कर रहे हैं।

हालांकि, कई और अस्पतालों को आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में। इसे ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री ने छोटे शहरों में अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तक पोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग-वीजीएफ) की घोषणा की। पहले चरण में, उन आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पैनल में शामिल कोई भी अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं। निजी-सार्वजनिक भागीदारी दृष्टिकोण का उपयोग जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए किया जाएगा जहां राज्य भूमि प्रदान करने के लिए तैयार हैं। यह युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां सृजित करने और चिकित्सा कार्यबल का गठन करने को गति प्रदान करेगा और सेवा के प्रावधानों को मजबूत करेगा। बजट में चिकित्सा उपकरणों पर कर की घोषणा की गई है। यह कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देगा। इस कर से प्राप्त आय का उपयोग स्वास्थ्य की इस महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए किया जाएगा।

धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार नियंत्रण और रोगी के डेटा की सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी अस्वाभाविक तकनीकों का उपयोग करने जैसे उपायों का प्रस्ताव दिया है। इससे सेवा वितरण और गड़बड़ियों को रोकने में दक्षता सुनिश्चित हो सकेगी।

यूएचसी के मार्ग पर चुनौतियां और अवसर

पीएम-जेएवाई की प्रारंभिक गति ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के लिए संकल्पना का एक मजबूत सबूत दिया है और इसे हासिल करने के लिए एक व्यवहार्य रूपरेखा तैयार की गई है। यदि पहला वर्ष स्थापित करने का वर्ष था, तो दूसरा वर्ष व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दृढ़ीकरण का होगा, जो कि यूएचसी को हासिल करने की दिशा में एक ठोस आधार सुनिश्चित करने के लिए दक्षता में सुधार लाने के लिए है। हालांकि, कई चुनौतियां बनी हुई हैं:

वर्ष 2020-21 का बजट केवल इरादे की घोषणा नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को कार्य करने की नीति और कार्यान्वित होने योग्य लक्ष्य बनाता है। बजट में स्वास्थ्य के लिए जो उच्च प्राथमिकता दी गई है, वह सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। इस बजट में शामिल व्यापक और दूरगामी स्वास्थ्य योजनाओं में देश के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती परिदृश्य को बदलने की क्षमता है।

- लक्षित आबादी के बीच योजना की समझ के बारे में जागरूकता को बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत है। जरूरत के मुताबिक तैयार सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन सम्प्रेषण रणनीतियां जो आबादी के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने में सक्षम हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है।
- देश के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को पैनल में शामिल कर सशक्त बनाने के लिए आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि लाभार्थी इन सुविधाओं द्वारा प्रदान की गई अच्छी गुणवत्ता का लाभ उठा सकें। गृह मंत्रालय, रेलवे, स्टील, और कोयला जैसे विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के तहत लगभग 600 अस्पतालों को पहले ही पैनलबद्ध किया जा चुका है।
- कवरेज का अन्य कमजोर जनसंख्या समूहों जैसे निर्माण श्रमिकों, ट्रक चालकों/ट्रांसपोर्टरों, कपड़ा मजदूरों और कारीगरों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों, ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलईएस), एमएसएमई मालिकों/श्रमिकों, अन्य लोगों के लिए विस्तार किया जाना चाहिए। इन समूहों में से अनेक जैसे आशा और वीएलई को शामिल करके इस योजना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सार्वजनिक इंटरफ़ेस को और सुधारा जा सकेगा।
- देखरेख की गुणवत्ता में और सुधार की आवश्यकता है। सरकार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित मानक उपचार वर्कफ्लोज़ (एसटीडब्ल्यू) को लागू करने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही है।
- धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार नियंत्रण मशीनरी को सभी प्रकार के कदाचारों को कम करने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी अस्वाभाविक प्रोद्योगिकियों को लगाया गया है ताकि भ्रष्टाचार का पता लगाने, उसकी रोकथाम और धोखाधड़ी को रोकने और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य सरकार की राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धता का एक कार्य है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य भारत जैसे देश के लिए प्रशंसनीय और आकांक्षी है। सरकार ने इस लक्ष्य में अपना विश्वास रखा है और एक मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ इसका समर्थन किया है। यह विकासशील दुनिया के अनुसरण और अनुकरण के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करता है।

वर्ष 2020-21 का बजट केवल इरादे की घोषणा नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को कार्य करने की नीति और कार्यान्वित होने योग्य लक्ष्य बनाता है। बजट में स्वास्थ्य के लिए जो उच्च प्राथमिकता दी गई है, वह सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। इस बजट में शामिल व्यापक और दूरगामी स्वास्थ्य योजनाओं में देश के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती परिदृश्य को बदलने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की दृष्टि को साकार करने की क्षमता है, जिसका अर्थ है कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की सेवा करना। ❑

Scanned with CamScanner

शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार

शैलेंद्र शर्मा
शशिरंजन झा

केंद्रीय बजट 2020-21 का शिक्षा घटक, शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कई मोर्चों पर, बजट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाओं की पहचान करता है। यह देखते हुए कि भारत युवाओं की सबसे अधिक संख्या वाला देश है- बजट में शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। बजटीय परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप विद्यालय विस्तार, विद्यालय मानक मूल्यांकन और शिक्षकों के निरंतर पेशेवर विकास जैसे प्रणाली स्तरीय संकेतकों में सुधार की उम्मीद है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली ने हाल के वर्षों में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन देखे हैं। स्कूलों और कॉलेजों तक केवल पहुंच प्रदान करने से ध्यान हटाकर, सतत विकास लक्ष्य-4 के अनुरूप, शिक्षा में गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) के मसौदे में शिक्षा प्रणाली के अनुपालन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण दिया गया है। एक तरफ, समग्र शिक्षा अभियान जैसी राष्ट्रीय शिक्षा योजनाओं को मजबूत और समेकित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है तो दूसरी ओर, उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को मजबूत करने और उनका विस्तार करने पर जोर दिया गया है। ये उपाय शिक्षा में वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करना सुनिश्चित करते हैं। हाल के दिनों में आईआईटी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित विभिन्न विधायी संशोधन/विधेयक तैयार किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2020-21 का शिक्षा घटक, शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों को मजबूत करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कई मोर्चों पर बजट, स्कूलों के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संभावनाओं की पहचान करता है। बजट में शिक्षा के लिए कुल 99,311 करोड़ रुपये के आवंटन में स्कूली शिक्षा के लिए 59,845 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 39,466 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यह आवंटन पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि तर्क दिया जा सकता है कि इससे शिक्षा प्रणाली की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन यह आवंटन पहले से काफी अधिक है और यकीनन इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। यह आवंटन 2015 के बजट (चार्ट 1) आवंटन की तुलना में बहुत अधिक है। 2016 से अब तक बजट आवंटन में लगभग 44 प्रतिशत (चार्ट 2) संचयी वृद्धि की गई है।

कौशल विकास मंत्रालय और इसके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 3,002.21 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है जबकि

श्री शैलेंद्र शर्मा, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, आईपीई ग्लोबल, नई दिल्ली में निदेशक हैं। ईमेल: s.sharma@ipeglobal.com.
श्री शशिरंजन झा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, आईपीई ग्लोबल, नई दिल्ली में एसोसिएट निदेशक हैं। ईमेल: sjha@ipeglobal.com

Scanned with CamScanner

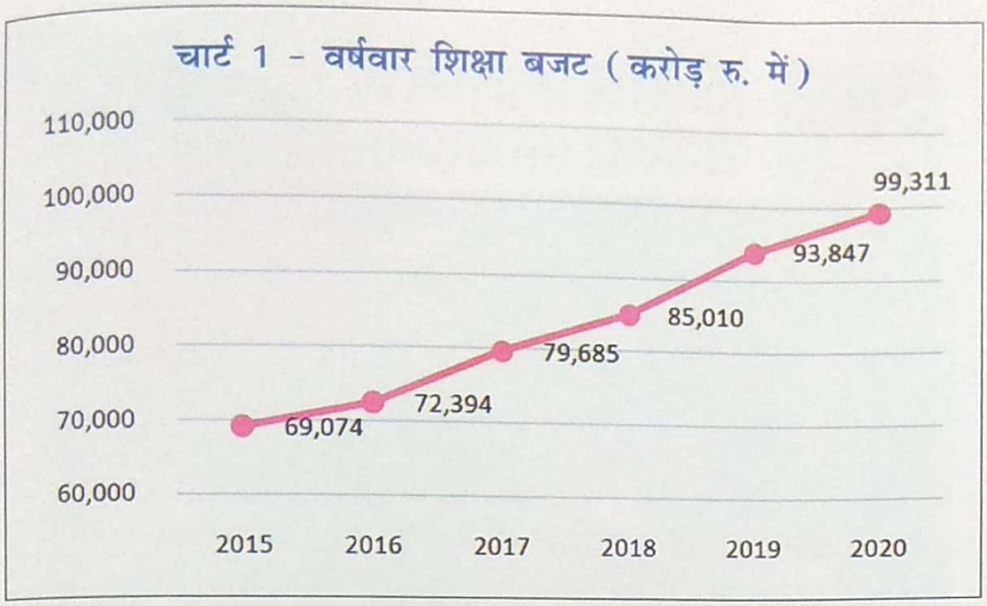

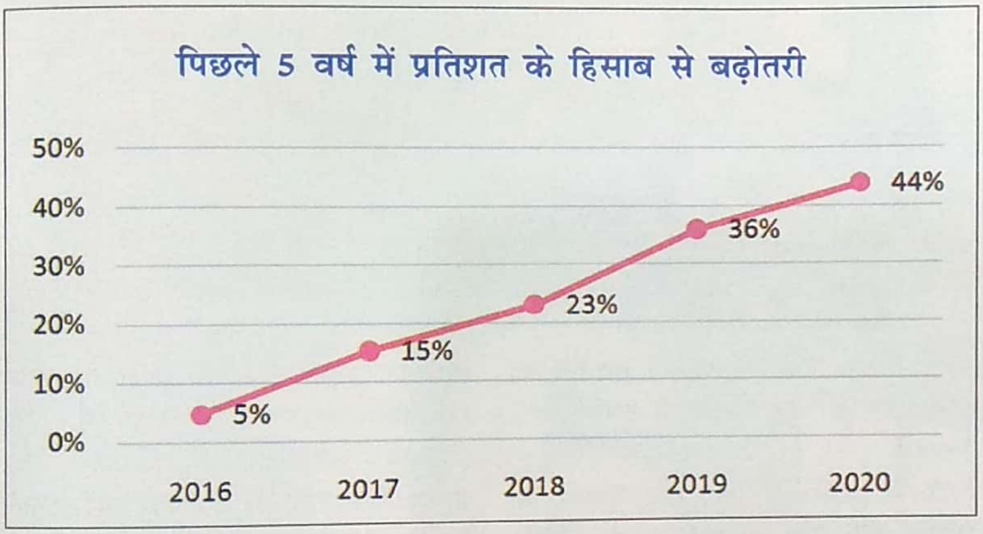

वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए यह 2,531.04 करोड़ रुपये था।

उच्च शिक्षा के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुल बजटीय परिव्यय को 2014-15 के 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 42 प्रतिशत किए जाने से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। वर्तमान बजट में 39,466.52 करोड़ रुपये के आवंटन से भी इस निरंतर प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में, विशेष रूप से शिक्षकों के वेतनमान में सुधार के लिए परिव्यय पिछले वित्त वर्ष के 1800 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष बढ़ा कर 1900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान बजट में विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी और आईआईएम के लिए परिव्यय बढ़ाया गया है।

केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत प्रस्तावित प्रमुख पहल

शिक्षक शिक्षा

सरकार पहले से ही देश के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चूंकि, एक बार का प्रशिक्षण और परीक्षा पास करना, बेहतर गुणवत्ता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए, इन-सर्विस शिक्षकों के पेशेवर विकास को निरंतर सुधारने की आवश्यकता है। सरकार शिक्षक प्रशिक्षण में आईसीटी का उपयोग करने के भी प्रयास कर रही है (जैसे दीक्षा पोर्टल)।

उच्च शिक्षा तक पहुंचने के अवसरों में समानता के प्रयास

कई दशकों तक, युवाओं और कामकाजी लोगों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम सें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अधिक प्रोत्साहित नहीं किया गया था। इस बजट में प्रस्तावित, डिग्री स्तर के पूर्णतः ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम से युवा निश्चित रूप से उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति में सुधार होगा। डिग्री स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहल इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा भी सुनिश्चित करेगी क्योंकि ये कार्यक्रम केवल राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थानों द्वारा संचालित किए जा सकते हैं।

वैश्विक उच्च शिक्षा

ऐतिहासिक रूप से, भारत उच्च शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी कर रहा है। हालांकि, विदेश जाने वाले और देश के छात्रों के बीच एक स्पष्ट असंतुलन हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप देश का राजस्व बाहर जाने के साथ-साथ प्रतिभा पलायन भी हो रहा है। विदेशों से छात्रों की आमद बढ़ाने के लिए, वर्तमान बजट में इंड-सैट की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया गया है जो 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में आयोजित किया जाना है। 'स्टडी इन इंडिया' के लिए इस बजट में 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में यह राशि 32 करोड़ रुपये थी।

बेहतर वित्त पोषण

कुल सरकारी खर्च के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में यद्यपि वृद्धि देखी गई है, लेकिन निश्चित रूप से संस्थानों में गुणवत्ता की कमी दूर करने के लिए परिव्यय को बढ़ाने की गुंजाइश है। इस बजट में बाहरी वाणिज्यिक उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्ति के उपाय करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जा सके। इस प्रस्ताव को, नवाचार और अनुसंधान तथा विकास में सहायता करने के लिए वित्त पोषण के रूप में देखा जा सकता है।

प्रशिक्षण

बजट में, विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दक्षता की कमी दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके

Scanned with CamScanner

अनुरूप, वर्तमान बजट में एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करके एक अनूठा तरीका अपनाया गया है। इसके अलावा, चिकित्सा पेशेवरों की कमी पर भी गौर किया गया है। इसके लिए पीपीपी यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जिला अस्पताल को एक मेडिकल कॉलेज से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। राज्यों को इस पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा बजट में व्यवहार्यता गैप फंडिंग का प्रस्ताव है। इसके अलावा स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालयों को व्यावसायिक निकायों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण पैकेजों के माध्यम से ब्रिज कोर्स तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

रोज़गारपरकता सुनिश्चित करना और इसे बढ़ावा देना

राष्ट्रीय कौशल नीति, 2015 से कौशल विकास को बहुत बढ़ावा मिला है। इस वर्ष के बजट को छात्रों के बीच बेरोज़गारी की पहचान करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। बजट में लगभग 150 उच्च शिक्षा संस्थानों के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुता को शामिल करने की बहुत स्वागत योग्य पहल के साथ इस समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सामान्य विषयों के छात्रों को कौशल और दक्षता से खुद को लैस करने का अवसर मिलने की उम्मीद है जिससे उन्हें अपने को नौकरी के लिए तैयार करने और आर्थिक उद्यम के सक्रिय कर्ता बनने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं इससे कंपनियों को रोज़गार की दृष्टि से अधिक योग्य युवा उपलब्ध हो सकेंगे।

अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावी परिणाम देने के बारे में एक और महत्वपूर्ण पहल यह है कि इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत एक वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इससे शहरी स्थानीय निकायों के काम करने के तरीके में बदलाव लाया जा सकता है और न्यूनतम सरकार लेकिन अधिकतम प्रशासन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों में इंजीनियरिंग में नए स्नातकों को प्रशिक्षु के रूप में शामिल करने से भी शहरी क्षेत्रों में

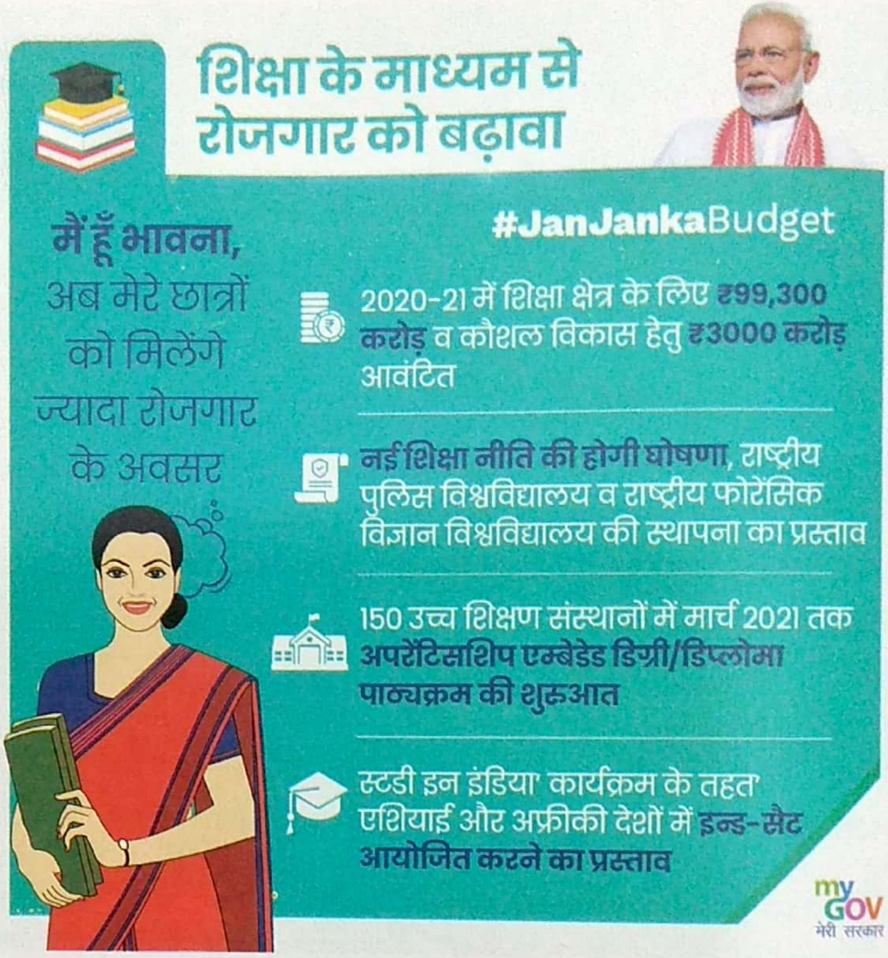

नवाचार और सेवा अंतरण की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

यह देखते हुए कि भारत युवाओं की सबसे बड़ी संख्या वाला देश है- केंद्रीय बजट में गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार के लिए अधिक प्रावधान किया गया है। बजटीय परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप विद्यालय विस्तार, विद्यालय मानक मूल्यांकन और शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास जैसे प्रणाली स्तरीय संकेतकों में सुधार की उम्मीद है।

बजटीय परिव्यय के अलावा, शिक्षा के परिणामों में सुधार पर जोर, सरकार के भविष्य के कार्यक्रमों के केंद्र में रहने की उम्मीद है। सरकार ने पिछले बजटों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्धता दर्शायी है और इस बजट से, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

सतत विकास लक्ष्यों की सफलता के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को उत्प्रेरक कौशल और दक्षता के साथ तैयार करने पर जोर देना होगा। पाठ्यक्रम सुधार, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशालय (डीईआरटी) जैसे प्रमुख हितधारकों के क्षमता निर्माण और शिक्षक शिक्षाविदों का पूल बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधानों के बिना, हम सतत और समग्र मानव विकास के पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शिक्षार्थी पीढ़ियों को सुअवसरों से वंचित कर देंगे।

पिछले बजट में उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम था। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता लाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा में बढ़ती असमानताओं का मुकाबला करने के लिए, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक गुणवत्ता उत्कृष्टता निधि शुरू करने की जरूरत है।

बजट से शिक्षा क्षेत्र की अपेक्षाएं केवल स्कूली शिक्षा के लिए बढ़ते परिव्यय, उच्च शिक्षा में असमानता को कम करना या मिड डे मील को अधिकतम सहायता देना नहीं है बल्कि इससे आगे बढ़कर समूची व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे भारत के युवाओं के सपनों को पंख मिल सकें। ❑

Scanned with CamScanner

कौशल विकास, रोज़गार और मानव संसाधन विकास

दिलीप चिनॉय

वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा और कौशल विकास को बहुत महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा था कि यह बजट मुख्यतः तीन बातों- आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और सबकी देखभाल करने वाले समाज के निर्माण पर केंद्रित है। आकांक्षी भारत के तहत शिक्षा और कौशल महत्वपूर्ण आधार हैं। यह बजट नीतिगत दिशा, नए कार्यक्रमों, पुराने कार्यक्रमों की निरंतरता और वृद्धि के साथ-साथ अन्य पहलों का मिश्रण है।

वित्त मंत्री ने कहा कि, 2030 तक, भारत में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों संख्या दुनिया में सबसे अधिक हो जाएगी। उन्हें न केवल साक्षरता बल्कि काम-धंधे और जीवन कौशल की भी आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा मंत्रालयों, संसद सदस्यों और शिक्षा नीति से संबंधित अन्य हितधारकों के साथ संवाद आयोजित किए गए हैं। 2 लाख से अधिक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

शिक्षा नीति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कौशल विकास को स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर शामिल करने का प्रावधान करे। विकासशील देशों में इस व्यवस्था को काफी समय से लागू किया जा रहा है, लेकिन इस बारे में भारत में गति और प्रसार दोनों की कमी है।

वित्त मंत्री ने प्रशिक्षुता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दो नई पहलों की घोषणा की। पहली यह कि 150 उच्च शिक्षा संस्थान, मार्च 2021 तक प्रशिक्षुता को शामिल करते हुए डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

दूसरा, देश में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए, एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया, जहां देश भर के शहरी स्थानीय निकाय नए इंजीनियरों को एक वर्ष तक की अवधि के इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेंगे।

तीसरा, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालयों से युवा इंजीनियरों, प्रबंधन स्नातकों और अर्थशास्त्रियों को परियोजना तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने की भी योजना है कि सरकारी अवसंरचना एजेंसियां नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मूल्य वर्धित सेवाएं शुरू करने में मदद के लिए स्टार्ट-अप में युवाओं को शामिल करें।

चौथा, मत्स्य क्षेत्र में सरकार 3,477 सागर मित्रों के माध्यम से मत्स्य विस्तार में युवाओं को शामिल करेगी।

विशिष्ट क्षेत्रों की कौशल जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। चिकित्सा क्षेत्र में पीपीपी यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एक मेडिकल कॉलेज को मौजूदा जिला अस्पताल से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, यह भी विचार किया गया है कि विशिष्ट क्षमता वाले बड़े अस्पताल, रेजिडेंट डॉक्टरों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत फैलो ऑफ नैशनल बोर्ड और डिप्लोमा ऑफ नेशनल

लेखक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) के महासचिव हैं। ईमेल: dilip.chenoy@ficci.com

Scanned with CamScanner

कौशल परिदृश्य में बदलाव

बोर्ड पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशों में शिक्षकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की भारी मांग है लेकिन कई बार उनका कौशल नियोक्ता के मानकों के अनुरूप नहीं होता और इसलिए उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि विशेष पूल पाठ्यक्रमों में समानता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक निकायों के साथ मिलकर विशेष पाठ्सक्रम तैयार किए जाएं। विभिन्न देशों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता है। इस तरह भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाया जा सकता है।

यह कार्य प्रगति पर है और इससे बहुत मदद मिलेगी, खासकर इसलिए क्योंकि इस पूरी योजना से विभिन्न देशों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं को विभिन्न प्रशिक्षण पैकेजों के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। एक और नई पहल बुनियादी ढांचा केंद्रित कौशल विकास के अवसरों पर विशेष जोर देने की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 6,500 परियोजनाओं को कवर करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन द्वारा समर्थित योजना से कुशल कार्यबल की जरूरत होगी। ये परियोजनाएं आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ तथा सस्ती ऊर्जा तक पहुंच, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों, आधुनिक रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस टर्मिनलों, मेट्रो और रेलवे परिवहन, संभार तंत्र, भंडारण, सिंचाई संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी हैं।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और रखरखाव में भारत के युवाओं के लिए रोज़गार के बहुत अधिक अवसर मौजूद है। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी बुनियादी ढांचा केंद्रित कौशल विकास के अवसरों पर विशेष बल देगी। 50 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ एक विशेष निर्माण कौशल विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है।

दो योजनाएं -500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अर्जन तथा ज्ञान जागरूकता (संकल्प) और 400 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना का उद्देश्य राज्य कौशल विकास मिशनों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेक्टर कौशल परिषदों, आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और अन्य के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करना है।

ये दोनों योजनाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण में उद्योग को जोड़ने को बढ़ावा देने के अलावा कौशल प्रशिक्षण के अभिसरण, संचालन और विनियमन के बारे में हैं। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कार्यक्रम को जारी रखने के लिए प्रारूप के अतिरिक्त है। मूल विचार देश भर में विभिन्न स्तरों पर प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए बेहतर उपाय करना है।

औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना का उद्देश्य राज्य कौशल विकास मिशनों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेक्टर कौशल परिषदों, आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और अन्य के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करना है।

ये दोनों योजनाएं देश भर में राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना के सर्वव्यापीकरण में सहायता करेंगी, जिससे कौशल अंतरण, सामग्री और उत्पादन के मानकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

बजट में शिक्षण और प्रशिक्षण मानकों की अत्यधिक आवश्यक वृद्धि के अलावा विदेशी संस्थानों और छात्रों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक विदेशी वित्त पोषण के उपायों का लाभ उठाने के लिए वित्तीय सहायता तंत्र में सुधारों की भी चर्चा की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह महसूस किया गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने, नवाचार करने और बेहतर प्रयोगशालाएं बनाने के लिए अधिक से अधिक वित्त की

Scanned with CamScanner

आवश्यकता है, इसलिए बाहरी वाणिज्यिक उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जा सके।

वित्त मंत्री ने हालांकि कहा कि सरकार ने 2020-21 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, लेकिन वास्तव में यह राशि इससे अधिक है, क्योंकि कौशल कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों में फैले हुए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 9,210 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आजीविका मिशन और कौशल विकास के लिए आवास एवं शहरी मामलों के तहत कार्यक्रमों को भी जारी रखा गया है, और इनके लिए अलग-अलग आवंटन किया गया है।

अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुए कपड़ा मंत्रालय के तहत इसके विकास के लिए एकीकृत योजना के वास्ते आवंटन को 100 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कार्यक्रम - उस्ताद सहित अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन जारी रखा गया है। पर्यटन के लिए 130 करोड़ रुपये सहित कुछ और आवंटन किए गए हैं। डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के लिए परिव्यय भी बढ़ाया गया है।

एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग को महत्व देने और 8,000 करोड़ रुपये के विशेष कोष

से नई अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिभाशाली मानव शक्ति का एक पूल बनाने की शुरूआत होगी।

वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा और कौशल विकास के सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक रूप से प्रावधान किया है। इसके लिए एकीकृत दृष्टिकोण की मदद से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सुधारों से शुरुआत की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा और कौशल विकास को क्षेत्रीय विकास कार्यनीतियों का अभिन्न अंग बनाया गया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 15 वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में कहा था - ''कल की दुनिया को ज्ञान, मशीन-बुद्धि और डिजिटल माध्यमों से संचालित किया जाएगा। इस परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करने और इसके असीमित अवसरों का लाभ उठाने के लिए, हमें अपनी उच्च शिक्षा को नए पाठ्यक्रमों और गहन शोध-अनुकूलन के साथ पुनर्व्यवस्थित करना होगा। पाठ्यक्रमों में विचार, नवाचार और इनक्यूबेशन को प्रधानता दी जानी चाहिए। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानव संसाधन पूल है। यदि हम वृहद शिक्षा-उद्योग संपर्क स्थापित करते हैं, तो हमारे पास दुनिया की अनुसंधान एवं विकास राजधानी बनने की क्षमता है।''

उच्च वृद्धि हासिल करने के उपायों का केंद्र बिंदु उभरती आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा और कौशल विकास के वृहद बुनियादी ढांचे का विकास है जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के उसके लक्ष्य की ओर तेजी से आगे ले जाएगा। 2020-21 के बजट ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ❑

Scanned with CamScanner

किसानों की समृद्धि के लिए कार्य योजना

डॉ जगदीप सक्सेना

केंद्रीय बजट 2020-21 कृषि, भंडारण, वित्त, प्रसंस्करण और विपणन के एकीकरण का प्रावधान करता है। वित्त मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण उपायों और गतिविधियों के साथ 16 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की थी। मिट्टी की गिरती गुणवत्ता की रोकथाम और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए सरकार पारंपरिक, जैविक और अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपायों का भी प्रावधान करती है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आकांक्षी भारत के व्यापक थीम के तहत अपने बजट भाषण में 'कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास' से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं को अत्यन्त समुचित ढंग से प्रस्तुत किया है। वास्तव में यह बजट उन करोड़ों भारतीय किसानों की आकांक्षाएं पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने 2016 में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आय बढ़ाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, फसल बीमा, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन तथा मत्स्यपालन सहित पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की कई नई योजनाएं शुरू की थीं। इस बजट में और आगे बढ़ते हुए कृषि, भंडारण, वित्त पोषण, प्रसस्करण और विपणन के एकीकरण का प्रावधान किया गया है और वित्त मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों और उपायों के साथ 16 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है।

सुधार और संसाधन

हाल में केंद्र सरकार ने विभिन्न माध्यमों से कृषि क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई सुधारात्मक कानून लागू किए हैं। उदाहरण के लिए मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 से भूमिहीन किसानों के लिए विशेष परिस्थितियों के तहत भूमि पट्टे की सुविधा दी गई है। मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 कृषि उत्पादों और पशुधन के व्यापार के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं की बाधाएं दूर करने का प्रयास करता है ताकि किसानों को अपने उत्पादों का सर्वोत्तम मूल्य मिल सके। मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन अनुबंध कृषि और सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018 किसानों को बेहतर मूल्य पाने के लिए थोक खरीदारों (निर्यातकों, कृषि उद्योगों इत्यादि) से जोड़ने के लिए लागू किया गया है। कुछेक कारणों से इन कानूनों को लागू करने में कुछ राज्यों की गति धीमी रही है। केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को पर्याप्त समर्थन और सहायता देकर प्रोत्साहित करने का प्रावधान करती है। सरकार संसाधनों के प्रबंधन के लिए जल संकट वाले 100 जिलों के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान कर रही है ताकि फसल की उत्पादकता बढ़ाने में कम पानी की समस्या आड़े न आए। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर कर रही है। कृषि में पानी के उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष (आरंभिक निधि पांच हजार करोड़ रुपये) राज्यों को वित्तीय सहयोग देकर कवरेज क्षेत्र बढ़ाने में मदद कर रहा है। आशा है कि 'हर खेत को पानी' जल्दी ही एक जमीनी वास्तविकता बन जाएगी।

मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास की रोकथाम और भूमि उर्वरता बनाए रखने के लिए सरकार पारंपरिक जैविक और अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। मौजूदा समय में मुख्य रूप से सब्सिडी के कारण किसान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा है। इसके अलावा सरकार उर्वरक निर्माताओं को सब्सिडी के रूप में काफी बढ़ी राशि का भुगतान कर रही है, जिसे कम किया जाना जरूरी है। वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार ने विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों और कम्पोस्ट के लिए 73,400 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी के रूप में दिए हैं। पिछले वर्ष के बजट में सरकार ने जिस जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की घोषणा की थी, उसका इस बजट में भी सकारात्मक उल्लेख किया गया है।

खेत, खेती और ऊर्जा

पिछले वर्ष सरकार ने अन्नदाता किसानों को ऊर्जा दाता भी बनाने के उद्देश्य से एक नवाचारी स्कीम प्रधानमंत्री कुसुम (किसान

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक हैं। ईमेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

Scanned with CamScanner

ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा-अभियान) की घोषणा की थी। इस योजना में डीज़ल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता कम की है और उनके पंपसेट को सौर ऊर्जा से जोड़ा है। भविष्य के लिए आशा जगाने वाले सकारात्मक परिणामों के साथ सरकार अब इस योजना का विस्तार 20 लाख किसानों को अपना अलग सौर पंप लगाने में मदद के लिए करना चाहती है। इस योजना से अन्य 15 लाख किसानों को भी ग्रिड से जुड़े अपने पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और उत्पादित बिजली ग्रिड को बेचने के उद्देश्य से एक संबंधित योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस), जिसमें फसल, पशुधन और सहयोगी उद्यमों का अधिक उत्पादक और प्रभावकारी ढंग से समावेश किया गया है, किसानों की आय बढ़ाने के एक सर्वाधिक कारगर उपाय के रूप में उभरी है, लेकिन अब तक विकसित आईएफएस मॉडल में से अधिकांश सिंचाई की परिस्थितियों से संबंधित हैं। इसलिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली के विस्तार की सरकार की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईएफएस में बहु-स्तरीय फसल योजना, मधुमक्खी पालन, सौर पंप और गैर-फसल मौसम में सौर ऊर्जा उत्पादन भी शामिल किया जाएगा।

भंडारण, परिवहन और व्यापार

कृषि उत्पादों के समुचित भंडारण की सुविधाएं जुटाना कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। लगातार प्रयासों के कारण अब देश के पास कृषि भंडार, कोल्ड स्टोरेज, रीफर वैन सुविधाओं सहित 16 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन भंडारण की अनुमानित क्षमता है। लेकिन इन सुविधाओं के अधिकतम और कुशल उपयोग के लिए अब नाबार्ड इनकी मैपिंग और जियो टैगिंग करेगा। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडार निगम और अन्य पक्षों को साथ लेकर भंडारण सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की है। हमारी सरकार ब्लॉक/तालुका स्तर पर ऐसे सक्षम भंडारगृहों के निर्माण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी से ऐसे भंडारगृहों का निर्माण किया जाएगा। फार्म स्तर पर ऐसे भंडारगृहों के लिए एक ग्रामीण भंडारण योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसका संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। इससे किसानों को काफी कम लागत पर अपने कृषि उत्पाद बेहतर लाभ के लिए संरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

कृषि उत्पाद विपणन में जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का शीघ्र, सुरक्षित और वातानुकूलित परिवहन हमेशा से एक चुनौती रहा है। वातानुकूलित वाहनों का नेटवर्क मजबूत करने और इन तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, लेकिन, इस उद्देश्य से रेल सुविधा का प्रबंध अब तक एक सपना रहा है। इस वर्ष सरकार ने जल्दी खराब होने वाले उत्पादों (दूध, मांस और मछली सहित) के लिए भारतीय रेलवे के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत व्यापक राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति शृंखला के निर्माण की घोषणा की है। किसान रेल की शुरुआत की जाएगी तथा एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बों की व्यवस्था की जाएगी। इस उपाय पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि देश को जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के कारण वैश्विक तुलना में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय विशेषकर पूर्वोत्तर और दूर-दराज के जनजातीय जिलों में ऐसे नुकसान को रोकने और कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना आरंभ करेगी।

सरकार समुचित विपणन और निर्यात सुविधा उपलब्ध कराकर बागवानी क्षेत्र (फल, सब्जियां, फूल, मसाले इत्यादि) की संपूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए भी तत्पर है। इस संबंध में सरकार ने हाल में व्यापक कृषि निर्यात नीति की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारतीय किसानों और उनके कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य शृंखला से जोड़ना है। इस बजट में सरकार ने सामुदायिक पहुंच पर आधारित 'एक उत्पाद एक जिला' की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करने वाले राज्यों को सहयोग देने का

Scanned with CamScanner

कोरोना वायरस 'कोविड-19'

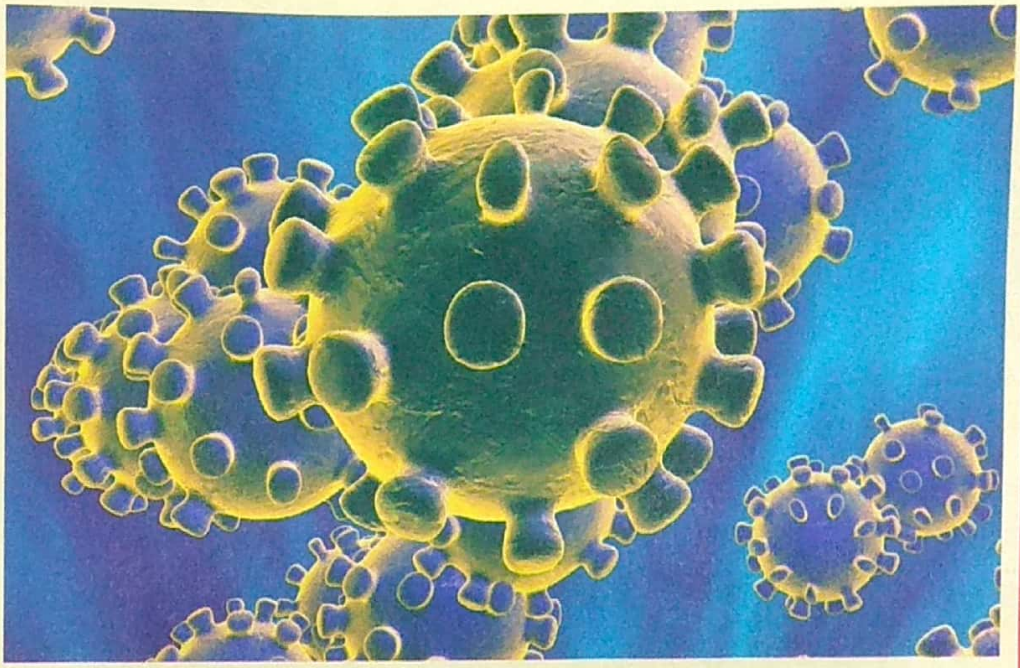

कोरोना वायरस मनुष्यों और जानवरों में बीमारी फैलाने वाले विषाणुओं का एक बड़ा समूह है। ऐसा कम ही देखा गया है जब जानवरों के कोरोना वायरस विकसित होकर मनुष्यों को संक्रमित करें और उसके बाद मनुष्यों से मनुष्यों में ही इस बीमारी का संक्रमण होने लगे, जैसा कि 2003 में सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी सिंड्रोम) और 2014 में मिडिल ईस्ट रेस्पीरेटरी सिंड्रोम (मर्स) के मामले में देखा गया था।

31 दिसंबर 2019 को चीन में नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने की जानकारी मिली। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर के समुद्री खाद्य पदार्थों के बाजार में पिछले साल दिसंबर के शुरू में इस बीमारी के फैलने का सबसे पहले पता चला और कुछ ही समय में इसने चीन के सभी प्रांतों को अपनी चपेट में ले लिया। वैज्ञानिकों ने इसे अस्थायी रूप से 2019-एनसीओवी (नया कोरोना वायरस) नाम दिया। वुहान से फैली न्यूमोनिया जैसे लक्षणों वाली इस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूप से कोविड-19 नाम दिया है। संगठन ने 30 जनवरी, 2020 को इसके प्रकोप को ''सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सरोकार वाली आपात स्थिति'' (पीएचईआईसी) करार दिया है।

इस बीमारी के सामान्य लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ, बुखार, खांसी और दम फूलना आदि शामिल हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में इसके प्रकोप से न्यूमोनिया, सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी सिंड्रोम-सार्स, गुर्दे नाकाम हो जाना और मौत तक हो सकती है।

नये कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की मानक सिफारिशों में नियमित रूप से हाथों को धोते रहना, खांसते और छींकते समय रूमाल से मुंह व नाक को ढक लेना, मांस और अंडों को अच्छी तरह पका कर खाना और खांसने व छींकने जैसी सांस संबसंधी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बचना शामिल हैं।

इस वायरस के महामारी संबंधी आयामों जैसे इसकी इनक्यूबेशन अवधि, संक्रमण के तरीके, लक्षणों से पहचाने करने और संक्रमित व्यक्ति से वायरस के फैलाव आदि पर अनुसंधान जारी है। कोई व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में आने के करीब दो सप्ताह बाद बीमारी से संक्रमित हो सकता है। नये कोराना वायरस रोग के मुख्य लक्षण हैं: बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। रेडियोलॉजी संबंधी जांच से रोगियों में न्यूमोनिया की भी पुष्टि हो सकती है। 10 से 20 प्रतिशत मामलों में रोगियों को वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम सांस देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस बीमारी में मृत्यु दर 2 प्रतिशत के आस-पास है। नये कोरोना वायरस का संक्रमण और फैलाव एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता देखा गया है और यह बीमार व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से उसके खांसते या छींकते समय निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों की वजह से होता है। संक्रमित व्यक्ति के मल के नमूनों में वायरस के पाये जाने संबंधी रिपोर्टों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके असर का अभी अध्ययन किया जा रहा है। नये कोरोना वायरस के सभी संभावित रोगियों का उपचार उन्हें अलग-थलग रखकर किया जाना चाहिए और बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए रोगियों की सेवा-सुश्रूषा और उपचार करने वाले चिकित्सा कर्मियों को सभी सर्वजनीन एहतियांत बरतनी चाहिए। नये कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर फैलाव को देखते हुए न सिर्फ स्वास्थ्य, बल्कि सरकार के सभी क्षेत्रों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने देश में इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं। इसके अलावा भी नये कोरोना वायरस के खतरे को टालने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं।

चीन के हुबेई प्रांत की पूरी तरह तालाबंदी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वुहान और उसके आसपास के शहरों में पढ़ाई कर रहे भारतीय विद्यार्थियों और पेशेवर लोगों को स्वदेश लाने का फैसला किया है। ❑

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन और पत्र सूचना कार्यालय

Scanned with CamScanner

पर्यावरण एवं वन

डॉ एस सी लाहिड़ी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में किया गया आवंटन प्रदूषण में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (सीसीएपी) के लिए व्यय में कोई बदलाव किए बिना वर्ष 2019-20 के बजट में किए गए आवंटन से लगभग 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। सीसीएपी के लिए 40 करोड़ रुपये का परिव्यय, जबकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए 460 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है; दोनों पिछले बजट के समान हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों को वित्तीय सहायता देने और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का वित्त पोषण करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की योजना की संकल्पना की गई है।

वायु प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्यूषण एचओ) के अनुसार, विश्व की 91 प्रतिशत आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है, जो कैंसर, स्ट्रोक्स और हृदय रोगों, बच्चों की लम्बाई और विकास को बाधित करने का कारण बनती है। आईक्यू एयर विज्युअल और ग्रीनपीस द्वारा कराए गए एक नये अध्ययन में सर्वाधिक वायू प्रदूषण वाले शहरों की पहचान की गई है। इस सूची में भारत का वर्चस्व है और दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में 7 और सबसे खराब 30 शहरों में 22 भारत में हैं। इस शोध में पीएम 2.5 के नाम से विख्यात सूक्ष्म अभिकरणीय पदार्थ (या फाइन पर्टिक्यूलेट मैटर) के स्तरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन अति सूक्ष्म कणों (या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स) की चौड़ाई मनुष्य के बाल से 20 गुणा कम होती है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। ये धातु, आर्गेनिक यौगिक या कोयले से संचालित होने वाले बिजली घरों, लकड़ी और चारकोल से जलने वाले स्टोव, वाहनों के इंजनों और फैक्टरियों में होने वाले दहन से उत्पन्न उप-उत्पाद हो सकते हैं। इस तरह से होने वाले वायु प्रदूषण की - मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों की दृष्टियों से भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत के लिए वायु प्रदूषण की लागत जीडीपी के 8.5 प्रतिशत के बराबर है, जो संसाधनों की भारी बर्बादी है। अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के अनुमान के साथ, बढ़ता औद्योगिकीकरण इस समस्या को और भी विकट बना सकता है।

प्रतिकूल वायु गुणवत्ता मानकों की प्रचंडता की पहचान करते हुए भारत सरकार ने 2019 में देश भर में वायू प्रदूषण की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध राष्ट्रीय स्तरीय कार्यनीति के तौर पर पांच वर्षीय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का आरंभ किया था; ताकि

लेखक 25 वर्षों से ज्यादा समय तक योजना आयोग से सम्बद्ध रहे हैं और उद्योग एवं खनिज, कृषि एवं पशुपालन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।
ईमेल : sclahiry@gmail.com

Scanned with CamScanner

वर्ष 2024 तक वायु में इन अभिकरणीय पदार्थों या पार्टिक्यूलेट मैटर्स की सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके तहत ऐसे 102 शहरों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है, जिनकी वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में लगातार खराब बनी हुई है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में किया गया आवंटन प्रदूषण में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (सीसीएपी) के लिए व्यय में कोई बदलाव किए बिना वर्ष 2019-20 के बजट में किए गए आवंटन से लगभग 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (सीसीएपी) के लिए 40 करोड़ रुपये का परिव्यय, जबकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए 460 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है; दोनों पिछले बजट के समान हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को वित्तीय सहायता देने और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का वित्त पोषण करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की योजना की संकल्पना की गई है। व्यय बजट में एनसीएपी के लिए निर्धारित बजट परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के लिए आवंटन पिछले वित्त वर्ष के 240 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 311 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वन्यजीव क्षेत्र में, सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं- प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट - में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें पहली परियोजना के आवंटन में 50 करोड़ रुपये की कमी की गई है और दूसरी परियोजना के आवंटन में 5 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आवंटन 350 करोड़ रुपये से घटाकर 300 करोड़ रुपये और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए यह आवंटन 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बाघों की गणना और संरक्षण हेतु मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के लिए 2019-20 के बजट में किए गए 10 करोड़ रुपये के आवंटन में 50 लाख रुपये की मामूली वृद्धि करते हुए 2020-21 के बजट में 10.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

राष्ट्रीय तटीय मिशन के लिए आवंटन में भी आंशिक वृद्धि की गई है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार की ओर से किए गए 95 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में इस बार 103 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय तटीय मिशन के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मछुआरों सहित तटवर्ती क्षेत्रों के समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति उत्तरदायी है, ताकि तटीय क्षेत्रों का संरक्षण, सुरक्षा की जा सके और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया जा सके। गत 1 फरवरी, 2020 को बजट भाषण देते हुए केंदीय वित्त मंत्री ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए अनेक घोषणाएं की थीं। 'स्वभच्छ वायु नीति' के लिए 4,400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में जुटी राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता करेगी। इसके तहत, दस लाख की आबादी वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और प्रोत्साहनों के मापदंड वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। यह घोषणा की गई कि निर्धारित मानकों का पूरा नहीं करने वाले कोयले से संचालित सभी बिजली घरों को बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार खाली होने वाली जमीन का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की दो अंतर्राष्ट्रीय पहलों यथा आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का भी उल्लेख किया, जो उनके अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंदाई फ्रेमवर्क में भारत द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने, अनुकूलन बढ़ाने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने की दिशा में मददगार होंगी। भारत ने 2015 में पेरिस समझौते के अंतर्गत देश में विकास की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 'उत्कृष्ट प्रयास' के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इसका कारगर कार्यान्वयन 1 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगा।

किसानों की आमदनी बढ़ाने और हरित विद्युत का उत्पादन करने के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना का विस्तार किया जाएगा। 25 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सौर पम्प लगाने में सहायता दी जाएगी। अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड कनेक्टेड पम्प सेटों को सोलराइज करने में सहायता दी जाएगी। किसानों को अपनी परती/बंजर भूमि पर सौर विद्युत उत्पादन की क्षमता स्थापित करने तथा उसे ग्रिड को बेचने में समर्थ बनाने की एक योजना का प्रस्ताव किया गया है।

विशेषज्ञों ने स्वच्छ वायु नीति के लिए आवंटन में वृद्धि किए जाने की सराहना की है और इस बात पर बल दिया है कि इस नीति का प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ, हम कम से कम सभी राज्यों में प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी में तो सुधार होने की उम्मीद कर ही सकते हैं। लेकिन स्वच्छ ईंधन का रुख करने में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। हालांकि इस घोषणा के

Scanned with CamScanner

लिए उत्सर्जन में कमी लाने के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से सटीकता के साथ स्पष्ट योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। हितधारकों, विनामक एजेंसियों, स्थानीय सरकारों आदि की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के चयन की विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता है। आखिरकार, प्रक्रिया के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थानीय एवं राज्य स्तर पर स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों का गठन किया जाएगा। अतीत में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों को सब्सिडी या स्मॉग टॉवर्स में निवेश जैसे समाधान सुझाए गए थे, जो विफल और फिजूलखर्ची साबित हुए।

कोयले से संचालित होने वाले लगभग 100 बिजली घरों की बिजली उत्पायदन की क्षमता 100 मेगावाट से कम है। इनमें से अनेक राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। उचित मानकों का पालन नहीं करने वाले बिजली घर इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले कोयले से संचालित सभी बिजली घरों को बंद किया जाना अनिवार्य है। बिजली घरों को बंद करने का कदम उठाने से पहले परामर्श करना और संबंधित राज्य सरकारों को साथ लेना वांछित होगा।

उल्लेखनीय है कि 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत, भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 2030 तक 33-35 प्रतिशत कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उसने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से भारत की 40 प्रतिशत बिजली क्षमता का उत्पादन करने और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष लगाकर 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बनडाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास (कार्बन सिंक) सृजित करने का भी संकल्प लिया है। सरकार के सौर ऊर्जा अभियान का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। सौर विद्युत के लिए शुल्कों में रिकॉर्ड कमी आ चुकी है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता लगभग 85 गीगावाट (2019 में) दर्ज की गई, जबकि पवन ऊर्जा 37 गीगावॉट और सौर ऊर्जा 32 गीगावाट के लिए उत्तरदायी है। भारत के कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए हरित ऊर्जा में अंश बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन आधारित संयंत्रों में नवीनतम तकनीकों को अंगीकार करने के अलावा अनेक उपाय किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'पीएम-कुसुम' योजना के अंतर्गत किसान स्टैंडअलोन सौर पम्प लगाने के अलावा अपनी परती/बंजर भूमि में सौर विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने और उसे ग्रिड को बेचने में समर्थ हो सकेंगे। ये अब बंजर भूमि पर सौर विद्युत संयंत्रों के रूप में संचालित होंगे। प्रस्तावित कदम से भविष्य में हरित विद्युत उत्पादन की क्षमता में व्यापक वृद्धि होगी।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) में इंफोसिस चेयर प्रोफेसर अशोक गुलाटी का सुझाव है कि उपजाऊ खेतों में 10-12 फुट की ऊंचाई वाले सौर वृक्ष लगाए जा सकते हैं, जो नीचे लगी फसलों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त सूरज की रोशनी दे सकते हैं। यदि ये सौर वृक्ष अतिरिक्त विद्युत ग्रिड को बेच सकें, तो सौर वृक्ष उनकी तीसरी फसल बन जाएंगे और किसानों की आमदनी में अपार वृद्धि कर सकेंगे। खेतों में सौर वृक्ष लगाने का दृष्टिकोण किसानों और ग्रिड विद्युत के गुणों के सरकारों को व्यापक बनाने की दिशा में लाभदायक होगा।

यह दावा किया गया है कि वैश्विक मसलों को सुलझाने में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उसने वैश्विक समुदाय से संबंधित मसलों पर दावोस के अतिरिक्त भी प्रयास किए हैं और वह पेरिस जलवायु समझौते के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए जलवायु परिवर्तन के मामले पर सभी स्तरों पर शामिल रहा है। उसने पेरिस में व्यक्त की गई अपनी प्रतिबद्धताओं के दायरे से भी बढ़कर उपाय किए हैं। उसने गंगा नदी के पुनरुद्धार एवं संरक्षण और स्वच्छता तथा स्वरच्छे भारत अभियान के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने, गैर-जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तथा पेट्रोल और डीजल में जैविक ईंधन के मिश्रण का अनुपात बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

आर्थिक समीक्षा, 2019-20 के अनुसार, हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2019 के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार वनों में मौजूद कार्बन स्टॉक में 2017 की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे पेरिस समझौते में व्यक्त की गई 2.5 से 3 बिलियन टन की प्रतिबद्धता से अभी तक काफी दूर है। कार्बन स्टॉक, वायुमंडल से निचोड़ी गई और वन पारिस्थितिकी तंत्र में भंडार की गई कार्बन की मात्रा को कहते हैं। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, दक्षिण एशिया के सलाहकार शैलेंद्र यशवंत इंगित करते हैं कि आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि भारत में वन आवरण में वृद्धि हो रही है, यह भारत को पेरिस समझौते में निर्धारित वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कर अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करेगा। हालांकि इस बात का कोई

वैश्विक मसलों को सुलझाने में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उसने वैश्विक समुदाय से संबंधित मसलों पर दावोस के अतिरिक्त भी प्रयास किए हैं और वह पेरिस जलवायु समझौते के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए जलवायु परिवर्तन के मामले पर सभी स्तरों पर शामिल रहा है। उसने पेरिस में व्यक्त की गई अपनी प्रतिबद्धताओं के दायरे से भी बढ़कर उपाय किए हैं। उसने गंगा नदी के पुनरुद्धार एवं संरक्षण और स्वच्छता तथा स्वरच्छे भारत अभियान के लिए उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने, गैर- जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तथा पेट्रोल और डीजल में जैविक ईंधन के मिश्रण का अनुपात बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

Scanned with CamScanner

उल्लेख नहीं किया गया है कि भारत के विविध भागों में जैव विविधता को बहाल करने, भूदृश्यों का संरक्षण करने और जैव विविधता के प्राकृतिक संतुलन का संरक्षण करने में किसी तरह के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।

हरित भारत मिशन (जीआईएम) का उद्देश्य भारत के वन आवरण को पांच मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ाना और अतिरिक्त पांच मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल पर पहले से मौजूद वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसका लक्ष्य कार्बन पृथक्करण कार्यों, जलविज्ञान संबंधी व्यवस्थाओं और जैवविविधता को बेहतर बनाना तथा ईंधन, चारा और लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पादों जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान कर पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाना भी है। इसका उद्देश्य लगभग तीन मिलियन परिवारों की वन-आधारित आजीविका से होने वाली आमदनी को बढ़ाना भी है। आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार, जीआईएम के अंतर्गत 13 राज्यों के 126,916.32 हैक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण गतिविधियों के लिए 343.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, वास्तव में, 2019-20 के दौरान 126,916.32 हैक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण का लक्ष्य हासिल करना था, जीआईएम के अंतर्गत वनरोपण गतिविधि में जुलाई 2019 की स्थिति से 45 प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी थी, जबकि मिशन के अंतर्गत किए गए वनरोपण का लक्ष्य मृदा और मौसम की परिस्थितियों पर गौर किए बिना केवल वृक्षों की संख्या बढ़ाना भर रहा। लोकसभा की प्राक्कलन समिति की 30वीं रिपोर्ट में (दिसम्बर, 2018 में जारी) संकेत किया गया है, "यूकिलिप्टस जैसे वृक्ष रोपे गए, जो पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि करते प्रतीत हो रहे हैं। अनुपयुक्त वृक्षों को लगाने से सूखा पड़ सकता है और क्षेत्र में जैवविविधता बाधित हो सकती है।" लोकसभा समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार जीआईएम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को यूकिलिप्टस उगाने से परहेज करना चाहिए।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर, दोनों स्थानों पर विनियामक कामकाज में संलग्न संस्थाओं में बड़े शहरों/शहरी केंद्रों में पर्यावरणीय विनियमन मानकों को बरकरार रखने की क्षमता का अभाव है। संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी और आमतौर पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली विभिन्न स्तरों के प्रदूषण में काफी हद तक कमी ला सकती है। इन एजेंसियों को मजबूत बनाने की तत्काल आवश्यकता है। अनुसंधान एवं विकास, इस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले पेशेवर लोगों की भर्ती करने और बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करना आवश्यक है।

बजट में की गई स्वच्छ वायु नीति की घोषणा सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह एक कारगर निगरानी तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन के स्तर को नियंत्रित रखने में समर्थ बनाएगा। निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले कोयले से संचालित बिजली घरों को बंद करने जैसा कदम उठाना होगा।

सफलता की राह

बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न चुनौती पर विचार करते हुए बजट में की गई स्वच्छ वायु नीति की घोषणा सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह एक कारगर निगरानी तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन के स्तर को नियंत्रित रखने में समर्थ बनाएगा। निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले कोयले से संचालित बिजली घरों को बंद करने जैसा कदम उठाना होगा। भारत ने पेरिस में संकल्प लिया था कि वह अपनी 40 प्रतिशत विद्युत क्षमता का उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करेगा और वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास (कार्बन सिंक) सृजित करेगा और वह इस दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहा है। अतिरिक्त वन और वृक्षाच्छादन बढ़ाने के जरिए 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास (कार्बन सिंक) सृजित करने के लिए जीआईएम को सभी राज्यों में गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री के साथ प्रबल और कारगर तरीके से लागू करना होगा।

पीएम-कुसुम के विस्तार से किसानों की आमदनी और देश में हरित विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी विनियामक एजेंसियों में कर्मचारियों और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। प्रदूषण के स्तरों को नियंत्रित रखने के लिए इन एजेंसियों को उपयुक्त रूप से सशक्त बनाना होगा। ❑

संदर्भ

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक बजट 2020-21 : बजट हाइलाइट्स
- वित्त मंत्रालय, आर्थिक समीक्षा, 2019-20
- लोकसभा की प्राक्कलन समिति की 30वीं रिपोर्ट, दिसम्बर, 2019
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, केंद्रीय बजट 2020-21 की प्रमुख विशेषताएं
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, 2019
- द गार्जियन, https%//www.theguardian.com/cities/2019/mar/05/india&home&to&22&of&worlds&30&most&polluted&cities&greenpeace&says
- विश्व स्वास्थ्य संगठन, https%//www.who.int/health&topics/air&pollution#tab¾tab_1
- बिज़नेस स्टेंडर्ड, https%//www.business&standard.com/article/pti&stories/budget&environment&ministry&gets&rs&3100&crore&in&2020&21&120020101340_1.html
- द इकोनॉमिक टाइम्स, https%//economictimes. indiatimes.com/news/economy/policy/budget&
- 2020- environment&ministry&gets&rs&3100&crore&in&2020&21/articleshow/73848344.cm
- अशोक गुलाटी, https%//indianexpress.com/article/opinion/columns/agriculture&farming&sector&income&budget&2020&6246681
- अमिताभ सिन्हा, सौम्या अशोक https%//indianexpress.com/article/india/union&budget&old&polluting&coal&power&stations&to&be&closed&says&fm&6246629/
- सृष्टि चौधरी, https%//www.livemint.com/budget/news/budget&2020&air&pollution&huge&concern&rs&4&400&crore&outlay&for&clean&air&11580552123884.html
- भूपेंद्र यादव, https%//economictimes.indiatimes.com/blogs/et&commentary/indias&moment&in&the&sun/
- इयान मार्लो, ब्लूमबर्ग, https%//www.bloomberg.com/news/features/2018&10&21/the&world&s&fastest&growing&economy&has&the&world&s&most&toxic&air

Scanned with CamScanner

महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर

डॉ शाहीन रज़ी
नौशीन रज़ी

समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं भी विकास प्रक्रियाओं में हिस्सेदार हों। केंद्रीय बजट 2020-21 में महिलाओं की आकांक्षाओं, कल्याण तथा सशक्तीकरण के लिए काम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है

केंद्रीय बजट 2020-21 को अर्थव्यवस्था और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देने के संकल्प वाला बजट कहा जा सकता है जो नए दशक के लिए बहुत अच्छा है। यह विशेष रूप से तीन अतिव्यापी विषयों -जीवन स्तर में सुधार, सभी के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा और मानवीय तथा उदार समाज के निर्माण पर केंद्रित है।

कहा जाता है कि महिला-पुरुष समानता, महिला सशक्तीकरण और कल्याण के बिना प्रगति नहीं की जा सकती। इस वास्तविकता के मद्देनजर, केंद्रीय बजट 2020-21 में महिलाओं की आकांक्षाओं और कल्याण के लिए काम करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता व्यक्त की गई है।

विकास के लिए महिला शक्ति का उपयोग

समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि सभी अधिकारविहीन और वंचित समूह विकास प्रक्रियाओं में हिस्सेदार हों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार कई समूहों को उनके लिंग, जातीयता, आयु, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या गरीबी के कारण विकास से बाहर रखा गया है। नतीजतन, इस तरह के बहिष्करण के कारण दुनिया भर में असमानता है। जब तक सभी समूह अवसरों के निर्माण में योगदान नहीं करेंगे, विकास के लाभ को साझा नहीं करेंगे और निर्णय लेने में शामिल नहीं होंगे तब तक विकास गरीबी को कम नहीं कर सकता। समावेशी विकास का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जो मतभेदों और मूल्य विविधता को समायोजित करने में सक्षम हो।

पिछले तीन दशकों से, शहरी और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए पिछड़ेपन, गरीबी और सामाजिक बहिष्करण की पीड़ा का उन्मूलन करते हुए, सतत विकास को हासिल करने की सरकार की पहल में महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण सबसे आगे रहा है। इस प्रक्रिया में, विकास के काम करने वाले विभिन्न संस्थानों और कार्यकर्ताओं ने महिला-पुरुष समानता और केवल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पसंदीदा कार्यनीति के रूप में सशक्तीकरण की अवधारणा को वैश्विक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिला सशक्तीकरण: एक परिदृश्य

यह स्वीकार करते हुए कि महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं भाग लेने, संवाद करने, प्रभावित करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए अपनी पसंद और स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं और यह सही दिशा में एक कदम है। हालांकि, यह सशक्तीकरण केवल तभी प्राप्त होगा जब महिलाएं अपने लिए प्रयास करने योग्य सशक्तीकरण को एक सार्थक लक्ष्य के रूप में समझेंगी। इसके लिए महिलाओं की शक्ति और उनकी क्षमता का उपयोग करने और उनके द्वारा परिभाषित लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियां बनाना, जिनमें ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आवाज और एजेंसी को महिला सशक्तीकरण नीतियों तथा कार्यक्रमों में केंद्रीय पूर्वापेक्षा के रूप में शामिल करने की मांग की संभावना हो (विश्व बैंक 2014)।

सशक्तीकरण एक बहुआयामी, बहुपक्षीय और बहुस्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों पर महिलाओं का अधिक नियंत्रण

UNION BUDGET 2020-21

नारी शक्ति
#JanJanKaBudget

- 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्मार्ट फोन
- मां बनने की उम्र को बढ़ाने और पोषण स्तर में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी
- महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ का प्रस्ताव
- पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव

डॉ शाहीन रज़ी अर्थशास्त्री, शिक्षक और यू.जी.सी. की अवकाशप्राप्त फैलो हैं। ईमेलः shahin.razi@gmail.com
सुश्री नौशीन रज़ी प्रबंधन परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईमेलः naushin.razi-1@gmail.com

Scanned with CamScanner

हो। इनमें शामिल हैं-मानव तथा बौद्धिक सामग्री जैसे विचारों तथा जानकारी का ज्ञान, वित्तीय संसाधन जैसे धन एवं धन तक पहुंच और परिवार, समुदाय, समाज तथा देश में निर्णय लेने पर नियंत्रण और अधिकार हासिल करना।

महिलाओं की अपने परिवार में कोई आवाज नहीं होने वाली गंभीर स्थिति में हाल के दिनों में बड़े परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक महिला अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। महिलाएं अब हर तरह से अपनी योग्यता का एहसास कर रही हैं और परिवार तथा कार्यस्थल दोनों जगह समानता और न्याय की मांग भी कर रही हैं। उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में कांच की बाधा को तोड़ दिया है, चाहे वह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या सशस्त्र बल हों। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगभग हर पांचवीं महिला उद्यमी है।

सुगम जीवन के लिए त्रिआयामी योजना

बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण पर किया जाने वाला सरकारी खर्च, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2020-21 में, वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से अपने सभी नागरिकों के सहज जीवन के लिए तीन बातों पर विशेष जोर दिया। ये हैं- आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला समाज।

मां और बच्चे की देखभाल के लिए देखभाल करने वाला भारत

सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए एक कार्य दल के गठन की घोषणा की। यह छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

वित्त मंत्री ने इस कार्य बल की आवश्यकता के बारे में बताते हुए, कहा कि 1978 में शारदा अधिनियम 1929 में संशोधन करके महिलाओं की शादी की उम्र पंद्रह साल से बढ़ाकर अट्ठारह साल कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, शिक्षा और करियर में महिलाओं के लिए नए-नए अवसर खुले हैं। मातृ मृत्यु दर को कम करने के साथ-साथ पोषण के स्तर में सुधार भी अनिवार्य हैं। मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़की की आयु के मुद्दे को इसी प्रकाश में देखा जाना चाहिए।

बजट के एक महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु- सबकी देखभाल करने वाले भारत के तहत महिलाओं और बच्चों को वर्गीकृत करते हुए, वित्तमंत्री ने पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मां और बच्चों के स्वास्थ्य का गहरा संबंध है।

वित्तमंत्री ने 2017-18 में शुरू किए गए पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्ट फोन से लैस हैं जिनका उपयोग 10 करोड़ से अधिक परिवारों की पोषण स्थिति को अपलोड करने के लिए किया जाता है।

वित्तमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के तहत जागरूकता निर्माण और आउटरीच के नतीजे मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों की तुलना में अधिक है। प्राथमिक स्तर पर, यह लड़कों में 89.29 प्रतिशत के मुकाबले लड़कियों में 94.32 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर पर, यह लड़कों के लिए 78 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों में 81.32 प्रतिशत है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह लड़कों के लिए 57.54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों में 59.70 प्रतिशत हो गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के आवंटन में 14 प्रतिशत की वृद्धि

बजट में महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 30,007 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह चालू वर्ष के आवंटन से 3,822 करोड़ रुपये अधिक है। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए आवंटित कुल राशि, जिसमें पोषण और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल हैं, 2020-21 में बढ़ाकर 4,036.49 करोड़ रुपये कर दी गई है जबकि 2019-20 के बजट में यह 3,891. 71 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 2020-21 में बजट में 3700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2019-20 में यह राशि 3400 करोड़ रुपये थी।

पोषण अभियान, जिसका उद्देश्य 2022 तक 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण के कारण अल्पविकास को 38.4 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत तक लाने पर मंत्रालय

महिला और बाल विकास के लिए आवंटन

योजना	आवंटन	वृद्धि
राष्ट्रीय पोषण अभियान	3700 करोड़ रुपये	300 करोड़ रुपये
'वन स्टॉप सेंटर' योजना	385 करोड़ रुपये	181 रुपये
मातृ वंदना योजना	2500 करोड़ रुपये	200 करोड़ रुपये
बाल सुरक्षा सेवा	2500 करोड़ रुपये	150 करोड़ रुपये
महिला शक्ति केंद्र	100 करोड़ रुपये	50 करोड़ रुपये

Scanned with CamScanner

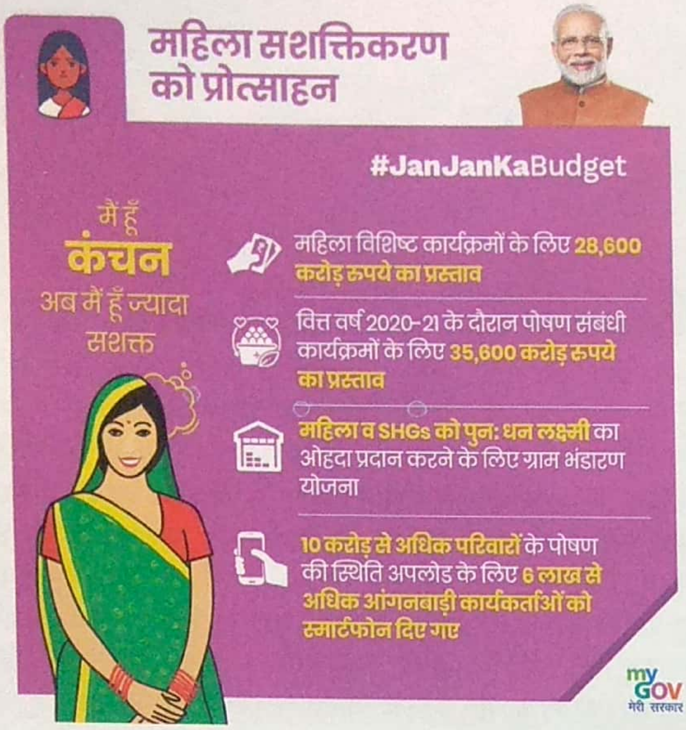

प्रमुखता से काम कर रहा है। वन स्टॉप सेंटर योजना के लिए आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। 2019-20 के बजट में इसके लिए किए गए 204 करोड़ रुपये के आवंटन को 2020-21 के बजट में बढ़ाकर 385 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता और यौन उत्पीड़न सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए मनः सामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एक एकीकृत श्रृंखला तक पहुंच को आसान बनाना है। केंद्र के मातृत्व लाभ और बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यक्रमों को भी बजट में बढ़ावा दिया गया है।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए आवंटन 2,300 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रम के लिए आवंटन 1,350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए अगले वित्त वर्ष के वास्ते 30,007.10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस तरह इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष इसके लिए 26,184.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, 20,532.38 करोड़ रुपये आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए स्वीकृत है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 220 करोड़ आवंटित किए गए हैं। महिला शक्ति केंद्रों के लिए आवंटन दोगुना कर 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबल 3,804 करोड़ रुपये की वृद्धि कर 29,720.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी तस्करी रोकने, बचाव और पुनर्वास की योजना उज्जवला के लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन के लिए आवंटन 961 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,163 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में 'नीली अर्थव्यवस्था' विशेषकर मत्स्य पालन से संबंधित घोषणाओं से भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी के कारण महिलाओं को लाभ होगा।

निष्कर्ष

विकास के मार्ग में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा को आवश्य शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष 2020-21 के बजट में महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। ❑

बजट में वरिष्ठ नागरिक

वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए 9,500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।। 2019-20 के केंद्रीय बजट में, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के, लेकिन 80 साल से कम) को 3 लाख रुपये की आय को कर से छूट दी गई। 300,001 से रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया। 500,001 रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया गया था। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के सुपर वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये की आय पर कर से छूट दी गई। 500,001 रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया गया था। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए 53,700 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।

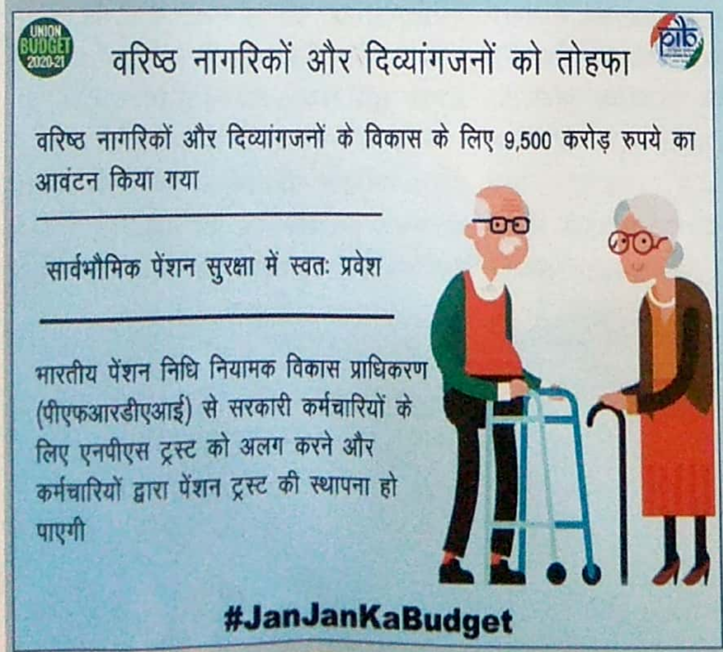

Scanned with CamScanner

भारत/इंडिया 2020

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में वार्षिक संदर्भ ग्रंथ- **भारत/इंडिया 2020** का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों सहित सभी लोगों के लिए सम्पूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। उन्होंने इसके प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संदर्भ ग्रंथ एक परम्परा बन गया है और प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है।

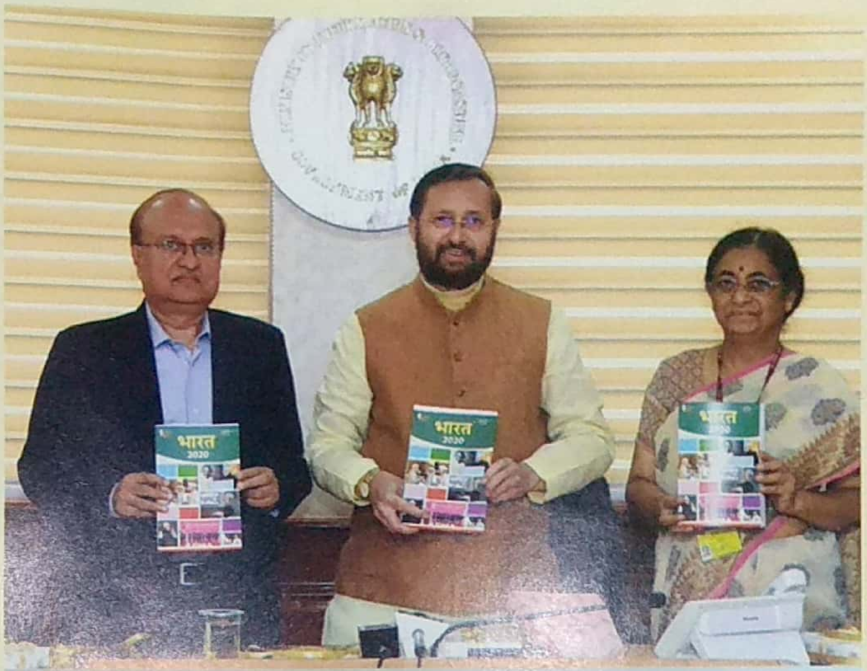

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर संदर्भ वार्षिक पुस्तक 'भारत-2020 और इंडिया-2020' का लोकार्पण करते हुए। साथ में हैं सूचना और प्रसारण सचिव श्री रवि मित्तल तथा प्रकाशन विभाग और आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक सुश्री ईरा जोशी

श्री जावड़ेकर ने भारत/इंडिया 2020 का ई-संस्करण भी जारी किया। ई-संस्करण टैबलेट, कम्प्यूटरों, ई-रीडर्स तथा स्मार्ट फोन पर एक्सेस किया जा सकता है।

इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है और ई-बुक संस्करण का मूल्य 225 रुपये रखा गया है। यह पुस्तक प्रकाशन विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। इसे एमेज़ॉन और गूगल प्ले स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। यह पुस्तक देश भर में प्रकाशन विभाग की विक्रय केंद्रों और विभिन्न पुस्तक की दुकानों से खरीदी जा सकती है।

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ - **'भारत - 2020'** और द रिफरेंस एनुअल - **'इंडिया - 2020'** में वर्ष के दौरान भारत और इसके विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की गतिविधियों प्रगति और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत और व्यापक जानकारी उपलब्ध है। यह संकलन का 64वां संस्करण है।

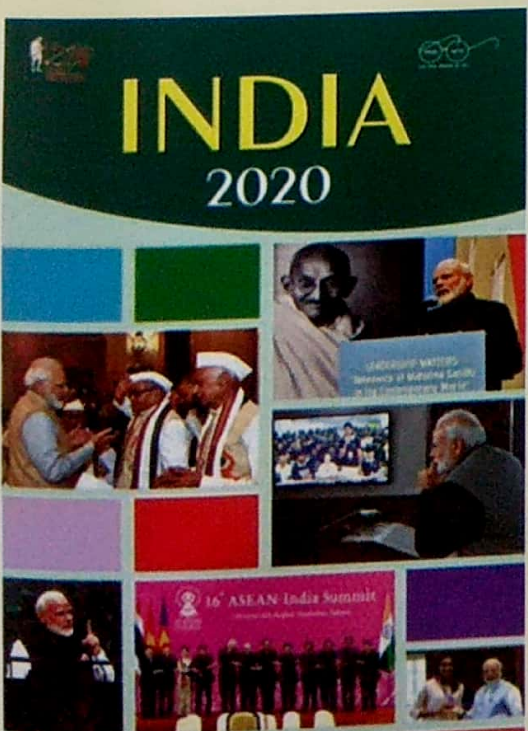

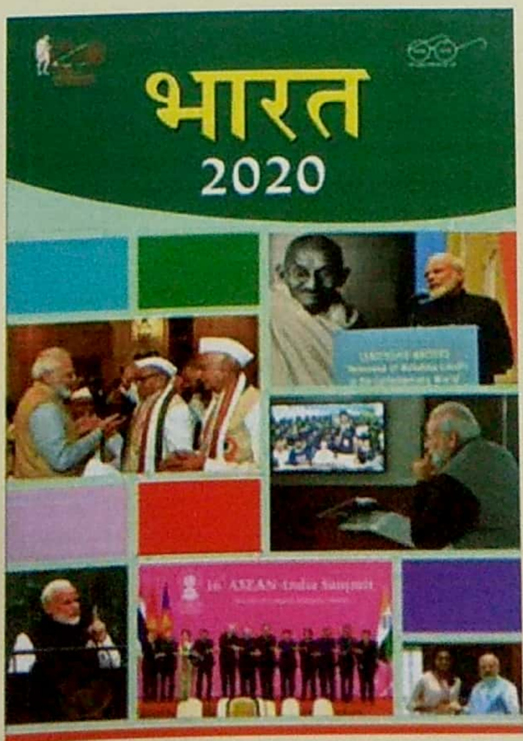

भारत/इंडिया 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के **प्रकाशन विभाग** और **न्यू मीडिया विंग** द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। यह विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक प्रतियोगियों के लिए एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रकाशन है। वर्षों के दौरान इसने शोधकर्ताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, मीडिया पेशेवरों में एक अच्छी जगह बनाने का गौरव हासिल किया है। ❑

Scanned with CamScanner